षोडश माला, खंड 6, अंक 11 **सोमवार, 8 दिसंबर, 2014**
17 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 6 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

08.12.2014

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

मनीश कुमार
उप निदेशक

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

08.12.2014

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2014 / 1936 [शक]
अंक 11, सोमवार, 8 दिसंबर, 2014 / 17 अग्रहायण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
रोमानिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत	12
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख 5 दिसंबर, 2014 को जम्मू और कश्मीर में चार सिलसिलेवार आतंकवादी हमलों में सेना के आठ सैन्य कर्मियों, तीन पुलिसकर्मियों और दो नागरिकों की मृत्यु की सूचना	13
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 205 तक	20-43
प्रश्नों के लिखित उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या 206 से 220 अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530	44

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 45-51

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन 52

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 53-54, 70-71

(एक) जन जातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सामाजिक न्याय सम्बन्धी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जुएल ओराम 53

(दो) 5/6.12.2014 को दिल्ली में एक कैब चालक द्वारा एक महिला के साथ कथित बलात्कार की घटना के बारे में वक्तव्य

श्री राजनाथ सिंह 70-71

श्रम संबंधी कानूनों के बारे में दिनांक 24 नवंबर, 2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

श्री बंडारू दत्तात्रेय 54-69

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दिल्ली और देश के अन्य भागों में चर्चों पर कथित हमलों के बारे में 73-74, 76-77

(दो) छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के शहीदों के प्रति अमानवीय व्यवहार के बारे में 215-217

नियम 377 के अधीन मामले 102-116

(एक) वन विभाग और रेल विभाग की अनुप्रयुक्त भूमि को खेतिहर मजदूरों को खेती के लिए प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशल किशोर 102

(दो) बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं प्रदान किये जाने तथा स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की आवश्यकता

103

श्री कीर्ति आजाद

(तीन) सभी पात्र कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों को 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. ताड़स 104

(चार) समाचार चैनलों में कार्यरत् कर्मचारियों, जो बेरोजगार हो गये हैं अथवा देश में छटनी की आशंका का सामना कर रहे हैं, को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

105

श्री प्रहलाद सिंह पटेल

(पांच) देश में सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के समुचित संचालन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी 106

(छह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बूचड़खानों, जिनकी वजह से क्षेत्र की लोन नदी प्रदूषित हो रही है तथा लोगों को गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है, को बंद किए जाने की आवश्यकता

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज 107

(सात) उत्तर प्रदेश में झाँसी-मनिकपुर तथा बाँदा-कानपुर रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा इन मार्गों पर चलने वाली रेलों के फेरे बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 108

(आठ) गुजरात में सेंटर फॉर कॉटन एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 109

(नौ) छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की वर्दी और जूतों को कूड़े के ढेर में फेंके जाने के खिलाफ समुचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

श्री ताम्रध्वज साहू 110

(दस) तमिलनाडु में नामाक्कल रेलवे स्टेशन के लिये एक वैकल्पिक संपर्क सड़क का निर्माण किये जाने तथा नामाक्कल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. सुन्दरम 111

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में कृष्ण नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नादिया में कृष्णा नगर और बेथूहाधाहरी समपारों पर एक फ्लाई ओवर या पैदल पार पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री तापस पाल 112

(बारह) उड़ीसा, भुवनेश्वर में खंडागिरी स्कवेयर और कोलाथिया के बीच एक फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी 113

(तेरह) तेलंगाना में एक मेगा पर्यटक सर्किट बनाये जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार 114

08.12.2014

(चौदह) बाल कल्याण योजना में लगे अध्यापकों और हेल्परों का मानदेय बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन 115

(पंद्रह) देश में अनैतिक चिकित्सा प्रैक्टिस में लगे नीम हकीमों और नकली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश रंजन 116

निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 118-138

श्री एम. वीरप्पा मोइली 118-122

श्री कल्याण बनर्जी 122-128

श्री दुष्यंत चौटाला 129-130

श्री राजेश रंजन 130-131

डॉ. ए. संपत 131-133

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 133-138

खंड 2 से 4 और 1 135

पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव 138

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2014-15 139

संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014 139-140

08.12.2014

नियम 193 के अधीन चर्चा 141-211

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाएँ

श्री केशव प्रसाद मौर्य 141-144

श्री अधीर रंजन चौधरी 144-147

श्री कीर्ति आजाद 147-155

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर 156-158

डॉ. रत्ना डे (नाग) 159-161

श्रीमती कोथापल्ली गीता 162-163

श्रीमती संतोष अहलावत 164-165

श्री गौरव गोगोई 165-167

श्री राजेश रंजन 168-170

श्री धर्मेन्द्र यादव 171-173

श्री धर्म वीर गांधी 174-175

श्री नाना पटोले 176-1177

डॉ. अरुण कुमार 177-178

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 179-181

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 182-184

श्री कौशलेन्द्र कुमार 185-186

श्रीमती कविता कलवकुंतला 187-189

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 190-191

श्री दद्दन मिश्रा 192-194

08.12.2014

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	195-197
श्रीमती कृष्णा राज	197-198
श्री किरेन रिजीजू	199-208, 211

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

सोमवार, 8 दिसंबर, 2014 / 17 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*]

08.12.2014

रोमानिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य गण, मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं, अपनी और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे देश की यात्रा पर आए रोमानिया की संसद के 'डेप्यूटीज़ ऑफ चैम्बर' के प्रेजीडेंट, महामहिम श्री वलेरियो स्टीफन गोनिया तथा रोमानिया संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करती हूं।

वे शनिवार, 6 दिसम्बर, 2014 को भारत पहुंचे और उन्होंने फतेहपुर सीकरी और आगरा का भ्रमण किया है। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। भारत के रोमानिया के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम उनके माध्यम से रोमानिया की संसद, सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं।

08.12.2014

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा उल्लेख</u>

5 दिसंबर, 2014 को जम्मू और कश्मीर में चार श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी हमलों में सेना के आठ जवानों, तीन पुलिसकर्मियों और दो नागरिकों की मौत की सूचना

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 5 दिसम्बर, 2014 को जम्मू-कश्मीर में चार श्रृंखलाबद्ध आतंकी हमलों में आठ सेना कार्मिक, तीन पुलिसकर्मी तथा दो नागरिकों के मारे जाने की सूचना मिली है।

सभा इन कायरतापूर्ण हमलों, जिनके कारण शोक संतप्त परिवारों तथा चोटग्रस्त व्यक्तियों को व्यथा तथा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

08.12.2014

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे खेद है। मैं सभा के कार्य को बाधित नहीं करना चाहता लेकिन मैं बस आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा। [हिन्दी] जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर शुक्रवार के दिन हाजिर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट साध्वी ज्योति जी के बारे में दिया था। उस वक्त हमने यह सोचा कि चन्द क्लेरिफकेशन प्राइम मिनिस्टर से पूछें और जो हादसा या जो स्टेटमेंट्स हर जगह हो रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। सारी पार्टियों के नेताओं का कहना और जो सारे मेंबर्स इधर हैं, उनका यही कहना है कि हम सभी को मिलकर ऐसे स्टेटमेंट्स को कंडेम्न करना चाहिए।

यह अच्छा नहीं है। यह बात हम प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहते थे। शायद प्राइम मिनिस्टर भी फिर एक बार उस पर अपना रिएक्शन देते। लेकिन मैं जब बात कह रहा था, उसी वक्त माइक्रोफोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने जब प्रोसीडिंग्ज़ निकाल कर भी देखा तो उसमें इंटरप्शंस, इंटरप्शंस लिखा है। जो बात मैंने यहां कही है, वह बात उसमें आई नहीं है और माइक्रोफोन भी स्विच ऑफ हो गया। ऐसा होना ठीक नहीं है। वह कैसे हुआ, क्यों हुआ? ...(व्यवधान) हमको भी अच्छा नहीं लगा और हम आपको बार-बार इसके बारे में कहना भी नहीं चाहते हैं। आप तो हमारी संरक्षक हैं। आपको इसके बारे में बार-बार कहना और सदन में इंटरप्शन करना हमारी इच्छा नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी ही उम्मीदें थीं कि प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बोलेंगे और सारी तरफ जो एक माहौल फैल रहा है, इस माहौल को रोकने के लिए वे कदम उठाएँगे, यही हमें आपके नोटिस में, सदन के नोटिस में और देश की जनता के नोटिस में लाना था। लेकिन बदकिस्मती से एक तरफ माइक भी ऑफ हुआ और टेलिविज़न पर भी मैं देख रहा था, क्योंकि हाउस में जो कुछ चलता है, वह हमेशा आप दिखाते हैं। लेकिन टेलिविज़न पर भी वह बात नहीं आई, वह भी ऑफ हो गया था। इसलिए, आइंदा ऐसी चीज़ें नहीं होने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ क्योंकि इस सदन के सभी सदस्य बराबर हैं और सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, चाहे मैं हूँ या दूसरी पार्टी के नेता हों। क्योंकि हम कहते हैं कि उनको जो कहना है, वे कह देते हैं, इसमें हमारी आपत्ति नहीं है लेकिन आइंदा ऐसा न हो, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। यह कहते

हुए मैं कहूँगा कि हाउस को चलने देने से रोकने के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं। हम हाउस को चलाएँगे, ठीक ढंग से चलाएँगे और लोकतंत्र के उसूल के तहत चलाएँगे, यही हमारी आशा है।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम.वैंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं खड़गे जी का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि सभा सुचारू और प्रभावी ढंग से चले। मैं इस बात से खुश हूं**।** [हिन्दी] मेरा कहना इतना ही है कि जो रिकार्ड मैंने देखा, उसमें खड़गे जी ने जो बोला, वह रिकार्ड पर आया। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, वह रिकार्ड पर आया। बाद में जो इंटरप्शन हुआ, वह रिकार्ड पर नहीं आया। [अनुवाद] यह तथ्यात्मक स्थिति है। **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, अब उसी पर बात नहीं करें। आप भी सुनिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम.वैंकैय्या नायडू:जब आप कुछ कहते हैं, तो आपको भी सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। [हिन्दी] विपक्ष ने जो मांगा कि प्रधानमंत्री जी सदन में आएँ और वक्तव्य दें, तो प्रधानमंत्री जी सदन में आए और वक्तव्य दिया। [अनुवाद] मुद्दा समाप्त हुआ ।

माननीय महोदया, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अब प्रश्नकाल आगे बढ़ाएं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं जिन पर माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है। वह भी हम दिन के दौरान उठाएंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी, आपकी बात हमने सुनी है। मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि अब आप सदन चलाने में सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगी, लेकिन बात इतनी सी होती है कि स्पीकर जिसको अलाऊ करती है, उसी का माइक चलता रहता है। लेकिन यह बात सही है कि मैं आज चाहूँगी कि आगे सभी लोग एक दूसरे को कोआपरेट करते हुए हाउस को चलाएँ, देश के लिए महत्वपूर्ण बातों पर ठीक चर्चा करें। अब इसी बात पर कितने घंटे चर्चा दे दूँ, यह पहले बता दें [अनुवाद] यदि आप चाहते हैं ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बाद में बोलें। एक बात उन्होंने कही है। हर कोई इस बात पर नहीं बोलेगा। मैंने आप सबकी बात सुन ली है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.करूणाकरन (कासरगोड):महोदया, हमारी बात भी सुननी चाहिए **...(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : अब, प्रश्नकाल लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए। यह नहीं होगा। फिर मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, अब श्री वेणुगोपाल बोलेंगे ।

...(व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, मैं छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में मारे गए सीआरपीएफ शहीदों के प्रति अमानवीय व्यवहार की एक चौंकाने वाली घटना की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री एम.वैंकैय्या नायडू: प्रश्नकाल के बाद, वे इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

श्री के.सी.वेणुगोपाल: नहीं, मैंने प्रश्नकाल के निलंबन के लिए पहले ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने पहले ही इसकी अनुमति दी है।

एक चौंकाने वाली घटना में, हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मारे गए सीआरपीएफ कर्मियों की वर्दी और जूते बुधवार को डॉ. बी.आर.अम्बेडकर अस्पताल के पास एक कचरे के डिब्बे में पाए गए थे। क्या शर्मनाक घटना है? **...(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : नहीं, उससे अधिक नहीं। केवल दो वाक्य ही बहुत हैं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल : महोदया, मुझे एक और बात भी कहनी है।

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जी नहीं, आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

श्री के.सी.वेणुगोपाल : ऐसे मामलों के प्रति सरकार का रवैया क्या है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे नोटिस प्राप्त हुए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, यह तरीका नहीं है**।** [हिन्दी] **फिर** यही होता है, फिर माइक बंद हो गया आपका। [अनुवाद] मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे श्री राजेश रंजन और श्री के.सी.वेणुगोपाल से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि यह मामले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिन के कामकाज में व्यवधान डालने योग्य नहीं हैं। इन मामलों को अन्य साधनों के माध्यमों से भी उठाया जा सकता है। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या होता है? [अनुवाद] नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने मुद्दा उठाया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। [हिन्दी] मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया है लेकिन दस मिनट बोलने का मौका नहीं दिया है। [अनुवाद] मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप फिर भले ज़ीरो आवर में बोलें, लेकिन अभी नहीं।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, प्रश्नकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 201 - डॉ. वीरेंद्र कुमार बोलेंगे।

...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 201)

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश बुलेट ट्रेन की ओर कदम बढ़ा रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर के भाग ग में कहा है - "सेल ने रेलवे के साथ एक संयुक्त उद्यम के आधार पर कोच निर्माण यूनिट की स्थापना करने के लिए अप्रैल, 2013 में एक प्रस्ताव भारतीय रेलवे को प्रस्तुत किया था।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल प्रश्नकाल की कार्यवाही को ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा

...(व्यवधान) †

---

* * प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

† कार्यवाही- वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

08.12.2014

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण रेलवे के इंजीनियरों एवं तकनीकी विशषज्ञों के संयुक्त प्रयासों से विश्वसनीय आधुनिकतम एवं गुणवत्ता के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से लैस कोचों का निर्माण करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाएगा, जिन कोचों में रेल यात्रियों को जापान एवं आस्ट्रेलिया की कोचों के समान सुखद अहसास हो सके? ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, सेल ने 2013 में रेलवे को रेलवे कोच निर्माण की दृष्टि से एक प्रस्ताव दिया था और सेल की इच्छा थी कि रेलवे के साथ मिलकर कोच निर्माण करे। लेकिन उससे पहले ही रेलवे डिपार्टमैंट ने एक निर्णय किया और निर्णय में इस प्रकार का कोच निर्माण का कारखाना डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोली स्पर्द्धा में प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। **...(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, फिर वही बात हो रही है। जब आप बोलेंगे, मैं मिनिस्टर को नहीं कहूँगी। वे रिप्लाई दे देंगे। आपको उचित समय पर मैं अलाउ करूँगी। फिर अगर उनको उत्तर देना होगा तो देंगे, लेकिन हर समय शुरूआत में नहीं होगा। मैं अलाउ नहीं करूँगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : जी नहीं, इसे प्रश्नकाल के बाद लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : सेल के पास चूँकि रेलवे कोच की टैक्नोलॉजी नहीं थी, बोली स्पर्द्धा में मानदंड रखे गए थे। उन मानदंडों में जो टैक्नोलॉजी कोच बनाने के लिए सेल से मांगी गई थी, वह सेल के पास उपलब्ध नहीं थी। इसलिए निविदा में सेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन यदि रेलवे की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा

कि सेल उनके साथ कोच बनाने के लिए काम करे और वे टैक्नोलॉजी देने को तैयार होंगे तो निश्चित रूप से सेल इस पर विचार करेगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अगर वह चाहते हैं, तो इसे प्रश्नकाल के बाद लिया जाएगा । इसे अब नहीं लिया जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड देश का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक उपक्रम है जो न केवल भारतीय रेलवे परियोजनाओं के विकास के सामान की आपूर्ति करता है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, एक मिनट ।

देखिए, यह तरीका नहीं है। आपको मैंने मौका दिया था मगर एडजर्नमैंट नोटिस ग्राह्य नहीं किया है। यदि आप चिल्लाकर कुछ मजबूरी करें, प्लीज़, ऐसा मत होने दें। मैं आपको रिक्वैस्ट कर रही हूँ। वह भी ऐसा होता नहीं है। शून्य काल में आपको फिर से मामला उठाने का मौका दूँगी। मंत्री चाहें तो उत्तर दे सकते हैं, मैं उनको मजबूर नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं करूंगी , और हर कोई चिल्लाकर सदन नहीं चलाए।

...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड देश का सबसे बड़ा इस्पाद उत्पादक उपक्रम है, जो न केवल भारतीय रेल परियोजनाओं के विकास हेतु इस्पात की आपूर्ति करता है, बल्कि दूसरे देशों में भी रेल नेटवर्क के विकास के लिए इस्पात की आपूर्ति करता है।...(व्यवधान) जैसा कि सेल ने तेहरान के साथ रेल नेटवर्क के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपयों का अनुबंध किया है।**...(व्यवधान)**

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आवश्यक इस्पात की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित कराने में विदेशों को दिए जाने वाले इस्पात से हमारे देश की उपलब्धता प्रभावित तो नहीं होगी तथा सेल की रेल के साथ आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण की क्या कोई योजना है?**...(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष जी, सेल का रेलवे के साथ अनुबंध रेल की पटरियां सप्लाई करने का है। इसमें हमारी वचनबद्धता है कि रेलवे जितनी पटरियां मांगेगा, सौ प्रतिशत उतनी पटरियां की सप्लाई की जाएगी**।...(व्यवधान)** इसके आतिरिक्त सेल दूसरे देशों में भी अतिरिक्त रेल पटरियों की सप्लाई करता है परंतु उस सप्लाई से रेलवे की आपूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।**...(व्यवधान)**

सेल के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की योजना निश्चित रूप से अभी प्रचलित है और इसमें सेल ने 61,870 करोड़ रुपए का काम प्रारम्भ किया है, जिसमें से 56661 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।**...(व्यवधान)** सेल के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण प्रक्रिया में निश्चित रूप से विलम्ब हुआ था, लेकिन नई सरवार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी के मजबूत संकल्प के कारण छह महीने में जो मोनिटरिंग हुई, उसके कारण अब यह प्रक्रिया काफी हद तक पूरी होने की स्थिति में आ गई है**।...(व्यवधान)** बर्नपुर, राउरकेला स्टील प्लांट में विस्तार और आधुनिकीकरण का काम इस महीने पूरा हो जाएगा और हम पूरी क्षमता के साथ उसमें काम करना शुरू कर देंगे। बोकारो स्टील प्लांट का आधुनिकीकरण का काम पूरा हो गया है। वहां ट्रायल चल रहा है। दुर्गापुर स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट मार्च 2015 और सितम्बर 2015 में पूरे हो जाएंगे।**...(व्यवधान)** आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम पूरा होने के बाद निश्चित रूप से इस्पात बेचने योग्य हमारी क्षमता, जो वर्तमान में 11.1 मिलियन टन है, वह बढ़ कर 20.23 मिलियन टन हो जाएगी।**...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री कडियम श्रीहरि (वारंगल): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, दो राज्य, नामत:, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दिनांक 02 जून, 2004 से

अस्तित्व में आए। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के समय, भारत सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के समग्र विकास के लिए अनेक प्रावधान किए थे।

तेलंगाना क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अधिनियम में एक प्रावधान किया कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, निर्धारित दिन से छह माह के भीतर, तेलंगाना से बनने वाले राज्य के खम्माम जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करेगा।

मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने खम्माम जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना का कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है? यदि हां, तो कृपया तत्संबंधी ब्योरा प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष जी, जब आंध्रप्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो रहा था, उस समय बातचीत के दौरान यह बात हाउस के सामने आई थी और यह कहा गया था कि यहां स्टील प्लांट की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। यह काम सेल के जिम्मे किया गया था और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसकी संभावनाएं पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही पूरी रिपोर्ट आएगी, आपकी जानकारी में लाया जाएगा।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर : माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मंत्री जी की बात सुनना और उनके द्वारा सभा पटल पर रखा गया वक्तव्य का अवलोकन करना काफी दिलचस्प है। मंत्री महोदय, क्या आप दुनियाभर में रेलवे के विकास में इस्पात से 'कम्पोजिट प्लास्टिक' की ओर जाने की बढ़ती प्रवृत्ति से अवगत हैं, जो पर्यावरण के काफी अनुकूल है? यहां तक कि भारतीय रेलवे ने देश के 10 से अधिक रेलवे क्षेत्रों में 'कम्पोजिट स्लीपर' लगाने की प्रक्रिया शुरू की है।

उस अर्थ में, मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए अनुमानों और वह जो वक्तव्य दे रहे हैं, उनका भारतीय रेलवे में इस्पात के कम उपयोग की लंबित वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। मैं, इस बारे में बहुत उत्सुक हूँ कि

क्या मंत्री जी को 'कम्पोजिट स्लीपर' की इस नई तकनीक के बारे में पता है। क्या उनका कोई विचार है कि विशेषरूप से, स्टील *बनाम* पुनर्चक्रित प्लास्टिक के निर्माण में शामिल पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए यह रेल पटरियों के लिए इस्पात के भविष्य के उपयोग के बारे में उनका कोई मत है,? धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय सदस्य ने जो कहा है, निश्चित रूप से वह मेरे संज्ञान में आया है। लेकिन, उसके बारे में पूरी जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

प्रो. सौगत राय : मैडम, पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान जिले के कुल्टी में इस्को का एक प्लांट है, जो मॉडर्नाइज किया जा रहा है। जब ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थीं, उस समय स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के साथ रेलवे बोर्ड का एक एग्रीमेंट हुआ था कि कुल्टी में रेलवे वैगन्स और रेलवे पार्ट्स बनेंगे [अनुवाद] भारतीय इस्पात प्राधिकरण और रेलवे प्राधिकरण के संयुक्त सहयोग से [हिन्दी] इसके बारे में कितनी प्रगति हुई है? क्या माननीय मंत्री इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय सदस्य जो बात पूछ रहे हैं, यह बात सही है कि उस समय यह समझौता हुआ था। लेकिन, वह समझौता इसकी संभावनाएं पता लगाने के लिए हुआ था। संभावनाएं पता लगाने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही वह पूरी होगी, अगर वहां वायबिलिटी होगी तो वह काम आगे बढ़ेगा**।...(व्यवधान)**

प्रो. सौगत राय : इसके तीन साल हो गए हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : जो पुराने काम नहीं हुए हैं, उनको हम गति देने का प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) जैसे ही संभावनाओं का पता चलेगा, हम आपको बताएंगे**।...(व्यवधान)**

(प्रश्न संख्या 202)

[अनुवाद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: माननीय मंत्री जी से मेरा अतिरिक्त प्रश्न है कि भारत के आदिवासियों के पास कुछ बहुत गहरा ज्ञान है। जो भारत की जनजातीयों के पास मोजूद है, कुछ वर्ष पूर्व, *आरोग्य पचा* एक दवा थी, जिसे उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान द्वारा लाई गई थी । इसी प्रकार, ऐसे अनेक औषधीय और वन संबंधी ज्ञान मौजूद हैं। क्या उस ज्ञान को संग्रहित करने, उसका डिजिटलीकरण करने या आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका उपयोग करने हेतु सरकार की कोई योजना है?

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, इसके बारे में अभी मेरे पास तथ्य नहीं हैं। मैं माननीय सदस्या को यह दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: पूर्व में, सरकार की मानव विकास सूचकांक की तर्ज पर जनजातीय विकास सूचकांक बनाने की नीति मौजूद थी क्योंकि इनमें से अधिकांश जनजातियां या तो खेती या वनोपजों या किसी भूमिहीन श्रम गतिविधि पर निर्भर होती हैं। उन परिस्थितियों में, क्या भारत की जनजातियों, विशेषरूप से, कमजोर वर्गों का विकास करने के लिए संकेतकों की कोई नई योजना या ऐसी कोई पद्धति है?

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, बाकी लोगों के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के साथ ट्राइबल का अलग-से प्लानिंग कमीशन आकलन करता है। उसमें जितना भी गैप होता है, उसको फिल-अप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं।**...(व्यवधान)**

सॉरी, इसे रजिस्ट्रार जनरल और सेन्सस कमिश्नर अलग से सेन्सस करते हैं। व्यवधान [अनुवाद] जी हाँ, मैंने इस जानकारी को ठीक कर लिया है। [हिन्दी] सेन्सस कमिशन इसे करता है और वह हमें देता है। हम उसके आधार पर आगे काम करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन : महोदया माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में बहुत सारी जानकारी दी गई है, लेकिन साथ ही ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां छोटे बच्चे कुपोषण के कारण मर रहे हैं।

केरल में अट्टापदी में भी जनजातीय आबादी है जहां 13 छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई है, और हमारे एक सांसद, जो स्थानीय सांसद भी है, जिनका नाम, श्री एम.बी.राजेश है, पांच दिनों तक भूख हड़ताल पर थे। इसके बाद, केरल सरकार ने हस्तक्षेप किया और कुछ उपाय किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की थी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा है कि मौतें कुपोषण के कारण नहीं हुई थीं और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। क्या सरकार को इस बात का एहसास है कि ऐसे मामले सामने आए हैं? चाहे किसी भी राज्य के हों जहां, कुपोषण प्रमुख मुद्दों में से एक है। उत्तर में ही, आपने कहा है कि शिशु मृत्यु दर 62 प्रतिशत है, जबकि कुल संख्या लगभग 57 प्रतिशत है। यह जनजातीय क्षेत्रों में एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। यहां तक कि राज्य सरकार भी सहमत है कि इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए।

क्या केंद्र सरकार इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाएगी ताकि ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जहां इन मुद्दों से निपटने के लिए एक विशेष कार्य योजना लागू करने की आवश्यकता है?

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, शिशु मृत्यु के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मॉलन्यूट्रिशन भी एक कारण है। मॉल न्यूट्रिशन जहाँ-जहाँ रिपोर्टेड होता है, वहां पर भारत सरकार की ओर से स्पेशल प्रोविजन हम उनको देते हैं। लेकिन उसमें क्या चाहिए, यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है? केरल के 13 बच्चों के मर जाने की जो

रिपोर्ट हमने माँगी थी, उस प्रदेश की सरकार ने यह मॉल न्यूट्रिशन की डेथ नहीं है, कहकर इसे मना किया है। हम राज्य सरकार को बाध्य कैसे करेंगे, तो जो वहाँ से उत्तर आया है, उसे हमने रखा है।

[अनुवाद]

श्री पी.करुणाकरण: यह वास्तव में गलत है। मौतें, कुपोषण के कारण हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष : करुणाकरन जी, माननीय मंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री के.अशोक कुमार : महोदया, 'इरालूर' समुदाय नामक कमजोर जनजातीय समूहों में से एक, मेरी निर्वाचन क्षेत्र के अनेक जनजातीय क्षेत्रों यथा कृष्णगिरी, तमिलनाडु में रह रहा है।

केंद्र सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। वर्ष 2003 में, इंदिरा आवास योजना के तहत, प्रत्येक व्यक्ति 30,000 रुपये की लागत से 'इरालुर' समुदाय के लिए केंद्र सरकार ने 510 घरों के निर्माण के लिए धनराशि संस्वीकृत की है और उन्हें रहने के लिए घर सौंप दिया गया है। अब वे मकान बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं। बरसात के दिनों में छतों से पानी रिसता है और यह मकान रहने लायक नहीं रह गए हैं । अब, केंद्र सरकार ने केवल 50 घरों के निर्माण के लिए प्रति घर 30,000 रुपये संस्वीकृत किए हैं। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या शेष 460 क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, केरल के पी.वी.टी. जी. में एरला ग्रुप नहीं है। उसमें जो ग्रुप है, वह चोलानाइक्कन है। .. व्यवधान) मैं उस कम्युनिटी के बारे में डिटेल में तथ्य माननीय सदस्य को दे दूँगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, बिहार के बाँका से हम आते हैं, जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है। जनजाति वर्गों को केन्द्र से जो भी या राज्यों से धनराशि दी जाती है, यह महसूस किया गया है कि उसकी हकमारी होती है और इसमें उदासीनता बरती जाती है, चाहे वह आंगनबाड़ी का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, स्वास्थ्य को हो, शिक्षा का हो, सड़क का मामला हो। यहाँ तव कि आर्सेनिक और फ्लोराइड का जहरीला पानी आदिवासी भाई पीते हैं। वे नदी और कछाड़ का पानी पीते हैं। वे जंगल में

रहते हैं। जल-जमीन-जंगल, आदिवासी कहाँ जाएंगे, वे वहाँ के मूल निवासी हैं। उन पर झूठे मुकद्मे दर्ज किए जाते हैं। उनकी सुरक्षा, संरक्षा और विकास के लिए कौन सी ठोस पहल की जा रही है, ताकि उनकी धनराशि की हकमारी न हो और उनके कार्यो के प्रति सरकार उदासीन न रहे? उनके बारे में ऐसी कौन सी योजना बनाई जा रही है? इस बारे में माननीय मंत्री जी बताएँ।

श्री जुएल ओराम : महोदया, जो आति पिछड़े 75 पी.वी.टी.जी. हैं, यह उसका है।

माननीय अध्यक्ष : यह अति पिछड़े के सन्दर्भ में है।

08.12.2014

(प्रश्न संख्या 203)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, सभा पटल पर रखे हुए उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बेहतर उत्तर देने का प्रयास किया। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि 23.08.2013 को इसी सदन के पटल पर भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखा रिपोर्ट में भारतीय पुरातन सर्वेक्षण और इससे सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की भारी कमी की रिपोर्ट आई थी ? इतने कर्मचारियों की कमी होने के बाद माननीय मंत्री जी संग्रहालय और स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षा और रख-रखाव कैसे कर पा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

डॉ. महेश शर्मा : माननीय सांसद ने जो चिंता व्यक्त की है, वह सच्चाई है कि कुछ म्यूजियम्स के लिए हमें सक्षम कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, सक्षम कर्मचारी भी नहीं मिल पा रहे हैं और जो कमियां अभी महसूस की गई हैं, उन कमियों को एक पारदर्शी पत्र के माध्यम से कल्चर मंत्रालय की सभी योजनाओं और उनमें पद हैं, उसका एक ग्रंथ समर्थन के माध्यम से, अंग्रेजी वर्जन तैयार हो गया है, हिंदी वर्जन तैयार हो रहा है जिसमें कल्चर मंत्रालय की योजना के तहत सरकार ने जो पारदर्शिता की शुरुआत की है, उपलब्ध है। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है और वे शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे। देश में म्यूजियम्स और आर्काइव्ज विषय के बहुत-सारे ज्ञाता उपलब्ध नहीं हैं, उनकी उपलब्धता पूरी की जा रही है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : ताजमहल के बारे में आपका क्या ख्याल है**?...(व्यवधान)** ताजमहल किसका है?

माननीय अध्यक्ष : बीच में कौन बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय मंत्री जी, अगर इसकी अहर्ताएं कम हैं तो क्या मानव संसाधन मंत्रालय के साथ बैठ कर उसमें कोई नए कोर्स या नई योजना की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनके लिए योग्य कर्मचारी मिल सकें और यदि यह नहीं कर रहे हैं तो उसे कैसे कर पाएंगे?

जहां तक हमारे दूसरे सप्लिमेंट्री का प्रश्न है तो इलाहाबाद हिन्दुस्तान की आजादी का केन्द्र रहा है। इलाहाबाद केवल आजादी का केन्द्र ही नहीं, बल्कि अनेक मायनों में महत्वपूर्ण स्थान है। संगम नगरी है। इलाहाबाद उत्तर भारत के न्याय का केन्द्र है। माननीय मंत्री जी ने इलाहबाद के संग्रहालय के बारे में जो कहा, सभी संग्रहालयों की तुलना में इलाहाबाद के केन्द्रीय संग्रहालय को जो अनुदान रहा है, अगर उनकी तुलना करेंगे तो इलाहाबाद संग्रहालय का नम्बर नीचे से दूसरा या तीसरा है। जबकि देश की आजादी में, देश के निर्माण में, हर क्षेत्र में, इलाहाबाद चन्द्रशेखर आजाद का शहादत स्थल है, इलाहाबाद न्यायपालिका का केन्द्र है, गांधी जी के आंदोलन से लेकर अनेक आंदोलनों की चर्चा करेंगे तो यह चर्चा लंबी हो जाएगी। मैं उस शहर से भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि इलाहाबाद के संग्रहालय के लिए आप कोई न कोई विशेष योजना चला कर जो पिछड़ापन है, उसमें जो कमी है, चाहे वह आपके स्तर से रही हो या किसी सरकार के स्तर से रही हो, क्या आप इलाहाबाद संग्रहालय के लिए विशेष पैकेज देने का काम करेंगे? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। **...(व्यवधान)**

डॉ. महेश शर्मा : माननीय सांसद की चिंता है कि ट्रेंड मैन पावर हमारे म्यूजियम्स को उपलब्ध हों जिसके तहत भारत सरकार की तीन स्कीम्स हैं - म्यूजियम ग्रांट स्कीम, कैपेसिटी बिल्डिंग और मैन पावर प्रोफेशनल ट्रेंड करने की स्कीम भारत सरकार ने इसी वर्ष लागू की है। इस स्कीम के फल आएंगे। मैं समझता हूं कि पिछले 7,80,00,000 रुपए इलाहाबाद म्यूजियम को दिए गए हैं। वर्ष 2012, 2013, और 2014 में दी गई राशि 2,71,00,000 रुपए से बढ़ा कर 7,80,00,000 की गई है। मैं माननीय सदस्य की भावनात्मक विषय को देख कर इलाहबाद म्यूजियम के विषय में और क्या किया जा सकता है, के बारे में और प्रयास करूंगा।

श्री केशव प्रसाद मौर्य : अध्यक्ष महोदया, मैं उसी लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आया हूं जिस क्षेत्र में इलाहाबाद संग्रहालय है। उस संग्रहालय की दशा निश्चित तौर से खराब है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाए

हैं मैं उससे अपने-आपको संबद्ध करते हुए, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष वहां की बहुत-सारी आवश्यकताओं के लिए उसके बजट में कोई तात्कालिक वृद्धि करके देश के महत्वपूर्ण म्यूजिम, चंद्रशेखर आजाद पार्क के परिसर के अंदर है, के लिए अलग से कुछ धन आवंटन करेंगे?

प्रयाग चूंकि संगम नगरी है, संगम नगरी के प्रधान देवता वहां के वेणी माधव भगवान हैं। उसके अलावा 12 माधव का वहां जिक्र है, कुछ लुप्त हुए हैं। यह इसी से जुड़ा हुआ विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उसका पता करवाकर, वह संग्रहालय से जुड़ा है, प्रयाग से जुड़ा हुआ है, उस पर भी कार्यवाही करेंगे?

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसदों ने इलाहाबाद म्युज़ियम के बारे में जो चिन्ता जाहिर की है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस विषय में जांच करके उचित कार्यवाही और उपलब्धि के अनुसार फंड्स एलोकेट किए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री विनसेंट एच.पाला: माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में संग्रहालयों और राष्ट्रीय महत्व के अभिलेखागारों की रक्षा और रखरखाव करना सरकार की नीति है। शिलौंग में उत्तर-पूर्व में, डॉन बॉस्को संग्रहालय एशिया में सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक है। क्या माननीय मंत्री जी, मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के संग्रहालयों की क्षमता निर्माण के लिए सरकार क्या वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इस प्रकार के संग्रहालयों में जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने में यह सरकार कितनी गंभीर है?

(हिन्दी)

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले दौरों के अनुसार नार्थ-ईस्ट स्टेट्स के लिए विशेष योजना जाहिर की है। माननीय सांसद मेरे संज्ञान में शिलांग के बारे में जो विषय लाए हैं, उस विषय में और जांच करके उपलब्धता का प्रयास किया जाएगा।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभास कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ क्या यह सत्य है कि 'संग्रहालय के प्रमुख' का पद नौकरशाहों द्वारा

भरा जाता है। यह पद तकनीकी व्यक्तियों के लिए हैं। क्या इसे तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है?

दूसरी बात, ओडिशा में अनेक संग्रहालय हैं। हमारे पास ओडिशा में बहुत सारे बौद्ध सर्किट्स हैं। पिछले बजट के दौरान बौद्ध सर्किट की सुरक्षा के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

एक और मुद्दा यह है कि पूरे देश में संग्रहालयों में गंभीर सुरक्षा खामियां हैं। सुरक्षा खामियों के कारण अनेक मूर्तियां और प्राचीन वस्तुएं चोरी हो जाती हैं। कोई सी.सी.टी.वी., कोई 'मेटल डिटेक्टर' और कोई सशस्त्र कर्मचारी नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि वे इन संग्रहालयों की सुरक्षा कैसे करेंगे?

एक और मुद्दा पर्यटकों की रुचि का है। क्या भारत के संग्रहालयों में अनुसंधान गतिविधियों, प्रकाशनों, 'इंटरप्रेटेशन सेंटरों' को खोला जा सकता है? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं।

डॉ. महेश शर्मा: महोदया माननीय सदस्य ने नौकरशाहों के बारे में प्रश्न किया है। आई.ए.एस. अधिकारियों जैसे नौकरशाहों को केवल संस्कृति मंत्रालय के स्तर पर रखा जाता है। लेकिन, अन्य सभी विभागों में, तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति और उस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वालों को उन संग्रहालयों और अभिलेखागारों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। माननीय सदस्य ओडिशा के बारे में जो बातें मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैं इसकी जांच कराऊंगा ।

श्री एन.के.प्रेमचंद्रन : माननीय अध्यक्ष महोदया, तिरूवनन्तपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, जिसमें महोदया ने पिछले महीने भी दौरा किया था, एक पारंपरिक, पुरातन और प्राचीन मंदिर है। हाल के माह के दौरान, मंदिर से बड़े बहुमूल्य खजाने पाए गए हैं। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्मारक के रूप में भी यह बहूमूल्य है। जनता के हित में, बहूमूल्य खजाने को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय बनाने की योजना थी। सरकार की क्या योजना है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई अनुमान लगाया गया है। यह पता चला है कि अभी तक खजाने के अनुमानित मूल्य का भी आकलन नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा प्रश्न यह है कि

क्या यह योजना भारत सरकार के पास लंबित है? यदि कोई योजना है, तो इसे बचाने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए योजना का विवरण क्या है ताकि जनता की भी इन तक पहुंच हो संके?

डॉ. महेश शर्मा: सरकार की हर राज्य में कम-से-कम एक संग्रहालय स्थापित करने की योजना है। यह विशिष्ट प्रश्न, जो माननीय सदस्य मेरी जानकारी में लाए हैं, उसकी जांच करूंगा और मैं माननीय सदस्य को उत्तर दूंगा ।

08.12.2014

(प्रश्न संख्या 204)

[हिन्दी]

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली): महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। यह स्पष्ट है कि सरकार छोटे उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन डी.जी.एस. एंड डी. के द्वारा ग्रिन पॉलिसी लाया गया, जो नीतियां बनाई गई हैं उससे स्पष्ट है कि उससे छोटे उद्योगों को रोकने का, अवरोध करने के अनेक हथकंडे अपनाए गए, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। छोटी कंपनियां एक हजार करोड़ रुपये का टर्न ओवर कहां से लाए, 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी, पेमेंट और इंस्पेक्शन जो तरीका है, बिहार का यदि कोई छोटा उत्पादक कन्याकुमारी कोई सामान भेजता है तो उसका इंस्पेक्शन और पेमेंट कन्याकुमारी से होगा। हमने देखा है कि एक वर्ष पहले लाया गया उसका परिणाम यह हुआ कि इससे एम.एस.एम.ई की वृद्धि दर में कमी आई है, दो प्रतिशत की कमी आई है। हमारी सरकार से मांग है कि क्या सरकार डी.जी. एस. एंड डी. ग्रिन पॉलिसी के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अंतर्गत आरक्षित जो 358 उत्पादों को आरक्षित किया गया है कि रेट कांट्रेक्ट का आधिकार उत्पादों के स्पेसिफिकेशन और निबंधन के बिना बड़े उद्यमियों को दिए गए, उसे समाप्त कर पुनः सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को रेट कांट्रेक्ट का अधिकार प्रदान करने का मंशा रखती है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है।

श्री कलराज मिश्र : महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही समुचित है। एक खरीद नीति सुनिश्चित की गई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के विकास की दृष्टि से यह भी तय किया गया कि जितने भी पी.एस.यू. हैं और इस प्रकार जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वे खरीदे गए उत्पादों का कम से कम 20 प्रतिशत प्रक्योर करेंगे। लेकिन वह तीन वर्ष के अंदर जिस तरह की अपेक्षा थी वह पूर्ण नहीं हो सकी। इन्होंने जो कठिनाइयां बताई हैं वह बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हमने एक शिकायत प्रकोष्ठ सुनिश्चित किया है, शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से जो भी शिकायतें आ रही हैं उनके निराकरण के लिए लगातार प्रयत्न हो रहे हैं। डी.जी.एस एंड डी के बारे में जो बताया गया है, यह बात सही है कि उनके साथ भी अनेक बैठकें हुई है, परामर्श समिति के द्वारा उस पर विचार भी किया गया है और विचार करने के पश्चात् किस ढंग से इसका निराकरण किया जा सके, उसके

लिए प्रक्रियाएं सुनिश्चित की गईं और उस दिशा में हमारा प्रयत्न है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के जो उत्पाद हैं, जो आरक्षित किए हैं, उसको खरीदने की दृष्टि से ये सार्वजनिक उपक्रम आगे आएं।

श्री रामा किशोर सिंह : महोदया, सरकार की छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की मंशा स्पष्ट है लेकिन हम माननीय मंत्री जी जानना चाहते हैं कि एक तरफ सरकार की मंशा है कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें, लोगों को जागरूक करें, उसके लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता है, लेकिन कहीं भी विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। (हिन्दी) मंत्री जी ने पहले पूरक प्रश्न में स्पष्ट किया है कि हम ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में जो भी खामियां हैं, जो भी त्रुटि हैं, उसको दूर करेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि छोटे उद्योगपतियों को बढ़ावा मिले। दूसरे पूरक प्रश्न का उत्तर भी माननीय मंत्री जी ने पहले पूरक में ही दे दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री संतोष कुमार : महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह भ्रामक और अस्पष्ट है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि गत एक वर्ष में और चालू एक वर्ष के दौरान एमएसजीआई एक्ट, 2006 के अंतर्गत डीजीएस एंड डी द्वारा लघु उद्योगों के हित में भुगतान में विलंब की स्थिति में ब्याज सहित भुगतान करने के संबंध में टेंडर में उल्लेख करने और प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, 2012 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास के लिए आयोजित किए गए जागरूकता अभियान या सेमिनार संबंधित संचालित करने हेतु राज्य-वार ब्योरा क्या है।

श्री कलराज मिश्र : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उस संबंध में मैंने कोई भ्रामक उत्तर न देकर स्पष्ट उत्तर दिया है। जहां तक जागरूकता का सवाल है, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विकास आयुक्त ने स्वयं बॉयर्स के साथ 349 स्थानों पर बैठकें की हैं। हमने निरन्तर, अनेक बैठकें की हैं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। (हिन्दी) इसके साथ-साथ लोग सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। वे अपना टर्नओवर ज्यादा दिखा देते हैं, इस कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम के लोग अपना माल नहीं दे पाते। वे अ्निस्ट मनी के लिए बाध्य करते हैं, जो बाध्यकारी नहीं है। इस तरह की अनेक दिक्कतें हैं। [अनुवाद] इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने 349 स्थानों पर जागरूकता आभियान चलाने का प्रयास किया है।

(हिन्दी) वेंडर अवेयरनैस की दृष्टि से भी प्रयास किया है। हम ये सारे कार्य लगातार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 अप्रैल, 2015 से यह मेनडेटरी हो जायेगा। इन लोगों को करना पड़ेगा, इस तरह का प्रावधान कानून में है। इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : माननीय अध्यक्ष महोदया इस देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विनिर्माण में 40 प्रतिशत और निर्यात में भी 40 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। इन उद्योगों की रक्षा के लिए, यूपीए सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों के कम से कम 20 प्रतिशत की खरीद करने के लिए एक नीति लाई। इसमें से, सामान्य श्रेणी द्वारा प्रबंधित उद्योगों से 20 प्रतिशत और अ.ज. और अ.ज.जा. श्रेणियों द्वारा प्रबंधित उद्योगों से 4 प्रतिशत की खरीद की जानी थी । मंत्रालय, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सबको मिलाकर यूपीए सरकार की नीति के अनुसार 20 प्रतिशत उत्पादों की खरीद करनी होगी। मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या लगातार तीन वर्षों की बैठकों का खरीद के संबंध में कोई परिणाम निकला? नीति के अनुसार लघु उद्योगों के उत्पादों की 20 प्रतिशत खरीद की तुलना में आज की स्थिति में खरीद का सटीक प्रतिशत क्या है? अ.ज. और अ.ज.जा. श्रेणियों द्वारा प्रबंधित लघु उद्योगों के उत्पादों की खरीद के 4 प्रतिशत की तुलना में आज की स्थिति में खरीद का प्रतिशत क्या है? लघु उद्योग 40 प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं जबकि 80 प्रतिशत निवेश, 60 प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 20 प्रतिशत निवेश, 40 प्रतिशत निर्यात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार की ओर से कुल कितनी खरीद की गई है?

[हिन्दी]

श्री कलराज मिश्र : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य स्वयं इस मंत्रालय को देखते रहे हैं। इन्होंने ठीक बताया कि यह कानून बना। यह बात सही है कि 20 परसेंट प्रोक्योरमैंट पीएसयूज के लिए होगा और 4 परसेंट एससी और एसटी के लिए होगा। पीएसयूज में एससी और एसटी चिन्हित न होने के कारण उसकी उपेक्षा होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मंत्रालय की तरफ से जोर देने के कारण 32 ऐसे पीएसयूज हैं, जिन्होंने 20

परसेंट प्रोक्योरमैंट पूरा किया है और उनकी 4 परसेंट के बारे में भी कोशिश जारी रही है। एससी और एसटी का 4 परसेंट प्रोक्योरमैंट है, उस दिशा में हमारी तरफ से प्रयत्न चल रहा है। पूर्व मंत्री जी ने बहुत स्वाभाविक चिंता व्यक्त की है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आंकड़े के अन्तर्गत एससी और एसटी का कोई स्थान नहीं था और न पीएसयूज उस दिशा में सोचती थी और न ही बाकी लोग सोचते थे। हमने इस बात पर जोर दिया है। इसे 32 पीएसयूज ने खरीदा है और 131 पीएसयूज उस दृष्टि से आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि वे इसे आगे बढ़ायें।

[अनुवाद]

श्री पी.पी.चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे एक अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के एक भाग (क) के उत्तर में यह उल्लेख किया कि मंत्रालय ने विकास आयुक्त, एमएसएमई के कार्यालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों और साथ ही उद्योग संघों की शिकायतों को प्राप्त करता है और मुद्दों को समाधन करता है।

मेरा प्रश्न यह है कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कितनों का समाधान किया गया है और विवादों के समाधान में कितना समय लगा।

(हिन्दी)

श्री कलराज मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितनी शिकायतें आई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 100 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। हमारे विभाग ने इसे समाप्त करने की दिशा में प्रयत्न किया है। शिकायतों का निराकरण 15 दिन के अंदर हो जाए, यह हमारी कोशिश रही है। हमने इस दिशा में काम किया है।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटिल शिवजीराव : धन्यवाद। देश के आर्थिक विकास में लघु और मध्यम उद्योगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तथापि, लघु उद्योगों को सरकारी विभागों से बकाया भुगतान जैसी बड़ी समस्याओं का

सामना करना पड़ रहा है। ईएमडी, धरोहर जमा राशि और 'परफॉर्मेंस बैंक गारंटी' की छूट अनिवार्य है। तथापि, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि अनिवार्य नीति का पालन नहीं किया गया। ईएमडी छूट संबंधी नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए लघु उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार के विभागों को 30 दिनों के भीतर लघु उद्योगों को भुगतान जारी करने का कोई निदेश दिया जाता है जैसा कि सरकार द्वारा विनिर्धारित किया गया है, जो भुगतान की मानक अवधि है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।

(हिन्दी)

श्री कलराज मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 में इस कानून को लागू करने का प्रयत्न किया गया है और तीन वर्ष का आब्जर्वेशन था। यह बात सही है कि पीएसयू की तरफ से कठिनाइयां पैदा की गईं, ठीक से प्रोक्योरमेंट नहीं किया गया और मूल्य भी समय से नहीं दिया गया। 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी हो जाएगा और यह सुनिश्चित हो जाएगा। इस अवधि के अंदर ढंग से पीएसयू खरीद सकें, इसके लिए हमने अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंतर्गत लगभग सभी पीएसयू और सरकारी विभाग इस दिशा में प्रोक्योर करेंगे।

माननीय सदस्य ने ईएमडी रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपोजिट के बारे में कहा है। यह बात सही है कि अर्नेस्ट मनी के बारे में कानून के अंतर्गत है कि नहीं लिया जाएगा, जबकि वे मांग रहे हैं और टर्न ओवर ज्यादा दिखा रहे हैं। अनेक ऐसे पीएसयू हैं जो बिल्कुल ले नहीं रहे हैं। यदि मैं नाम लूं तो आतिश्योक्ति नहीं होगी, रेल विभाग नहीं ले रहा है। ये कठिनाइयां हैं। आगे मैंडेटरी होने के पश्चात् कुछ चीजें होंगी जैसे कि कैसे दांडिक प्रावधान हो सकता है, इसके बारे में विचार किया जाएगा।

08.12.2014

(प्रश्न संख्या 205)

(हिन्दी)

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष जी, रेल मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने साथ मिलकर पर्यटक रेल चलाई है, माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि क्या इसकी कोई समीक्षा की है? उस समीक्षा में पर्यटकों को कितना आकर्षित कर पाए हैं? वाणिज्य रूप से रेल को कितना नुकसान हुआ है?

श्री सुरेश प्रभु: माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार की नीति रही है कि किसी भी तरह से ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए अलग-अलग उपाय किए जाते हैं, इसमें एक उपाय यह भी है कि रेलवे अपना योगदान दे। हमें इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कि भारत ऐसा देश है कि जहां बहुत कम विदेशी टूरिस्ट आता हैं। आपको पता होगा कि एक विदेशी टूरिस्ट आता है तो 10-15 अलग तरह की जॉब का निर्माण होता है।

इसलिए जब हम मुनाफा या नुकसान का अनुमान करते हैं तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसके इकोनॉमिक रिटर्न्स क्या हैं। यदि समाज को, देश को और वहाँ काम करने वाले लोगों को उसमें से कुछ इकोनॉमिक रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए टिकट का कलेक्शन कितना होगा, हम इसी बात पर सीमित नहीं रह सकते हैं। मेरे पास अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दे दूंगा। मेरी आपसे विनती यह है कि टूरिस्म को बढ़ाने से देश को बहुत लाभ होगा, इसके लिए उस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पहुंचने के लिए यातायात की सुविधा न होने के कारण लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारा मंत्रालय टूरिस्म डिपार्टमेंट और राज्य टूरिस्म कार्पोरेशन के साथ मिलकर ऐसी नीति बनाने जा रहा है जिससे और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्म को बढ़ावा मिले।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार की पॉलिसी सही है कि रेल की सुविधा हो न हो, लेकिन किस तरीके से पर्यटकों को आकर्षित करके उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें, इतना ही नहीं इस माध्यम से हम विदेशी पर्यटकों को देश की रेल सेवाओं के बारे

में भी बता सकते हैं। राजस्थान की जो पैलेस ऑन व्हिल्स रेल सेवा है, यह देश में सबसे पहले चली जिसके माध्यम से देश और विदेश के पर्यटक आए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वर्ष 2012 से 2015 तक पाँच रेलगाड़ियाँ तीर्थस्थलों और पर्यटक स्थलों के लिए शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन उसमें से राजस्थान के लिए एक भी रेलगाड़ी नहीं है, जबकि राजस्थान पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। कोटा-बूंदी लोक सभा क्षेत्र में बूंदी और कोटा को पर्यटन सर्किट में डेवलप कर सकते हैं। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि पैलेस ऑन व्हिल्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हिल्स, इन दोनों ट्रेनों का ठहराव बूंदी स्टेशन पर हो, क्योंकि हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को लाकर हिन्दुस्तान में राजस्थान के पर्यटन सर्किट को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना। पर्यटन सर्किट को डेवलप करना है तो नये गंतव्य स्थान पर ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए।

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, यह बिल्कुल सही है कि वर्ष 1981 से इस प्रकार की पहली ट्रेन राजस्थान जाती है और वहाँ से वापस आती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो छः-सात मेजर ट्रेन्स हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हिल्स राजस्थान जाती है, रॉयल राजस्थन ऑन व्हिल्स राजस्थान जाती है, डेक्कन ओडिशी राजस्थान जाती है, महाराजा एक्सप्रेस राजस्थान जाती है, स्टीम एक्सप्रेस भी राजस्थान जाती है, लेकिन बहुत सारी जो ट्रेनें हैं, वे राजस्थान ही जाती हैं क्योंकि राजस्थान ही हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। इसलिए मैं समझता हूं कि जरूर राजस्थान में ज्यादा ट्रेनें चलनी चाहिए। मैं आपकी मांग को मानने के लिए तैयार हूँ। यदि राजस्थान सरकार चाहेगी कि और ट्रेनें राजस्थान में चलें तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे, लेकिन कहाँ ट्रेन रुकनी चाहिए, इस बिन्दु को टूरिज्म डिपार्टमेंट पर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ज्यादा जगहों पर ट्रेन रुकेगी, चूंकि आप अभी पूछ रहे थे कि किस तरह से नुकसान हो रहा है, तो ट्रेनें ज्यादा रुकने से लाभ होता है या नुकसान होता है, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

श्री भगवंत मान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सिख धर्म के पाँच तख्त हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु दर्शनार्थ जाते हैं। इनमें अमृतसर में तख्त श्री अकालतख्त

साहिब हैं, आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केशगढ़ साहिब हैं, पटना में तख्त श्री पटना साहिब हैं, तख्त श्री हुज़ूर साहिब हैं और तख्त श्री दमदमा साहिब हैं। सिर्फ सचखण्ड एक्सप्रेस इन जगहों पर जाती हैं जिसमें दो-ढ़ाई महीने तक की वेटिंग रहती है। क्या रेल मंत्रालय ऐसा प्रावधान कर सकता है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी तख्तों के दर्शन करवाने के लिए पैलेस ऑन व्हिल्स की तर्ज पर एक ऐसी रेलगाड़ी चलायी जाए, जो बहुत ही कामयाब रहेगी और लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी सत्कार हो जाएगा। क्या निकट भविष्य में रेल मंत्रालय इस पर विचार कर सकता है?

श्री सुरेश प्रभु : मैं आपसे सहमत हूँ। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि स्पेशल ट्रेन के तहत इस प्रकार की जितनी भी ट्रेनों की मांग है, उसमें यह भी देखना होगा कि कितनी डिमांड है, किस प्रकार से उसकी आपूर्ति की जाएगी, लेकिन यदि हम चाहते हैं, खासकर सिख धर्म के लिए, सिख ही नहीं, जैन धर्म के लिए भी अभी कुछ ट्रेनें शुरू की गयी हैं, मुस्लिम धर्म में अज़मेर जाने के लिए सूफी सर्किट पर भी लोग जा सकते हैं, चार धाम के लिए भी यात्रा का प्रबंध किया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे यह विनती कर रहा हूं कि यदि इस तरह का प्रस्ताव पंजाब सरकार हमारे साथ बैठकर करने को तैयार है तो मैं अभी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस तरह की स्पेशल ट्रेन हम जरूर पूरी सिख सर्किट के लिए चलाएंगे। हमारी एक कंपनी है - इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, आईआरसीटीसी - वह कंपनी जल्दी ही इस तरह की ट्रेन शुरू करेगी। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। भारत की सड़कों और बसों और रेलगाड़ियों में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के हाल के मामलों ने पूरे देश और विश्व को चौंका दिया है। बलात्कार और यौन हमलों की बढ़ती संख्या के चलते महिला पर्यटकों के लिए भारत में रेलगाड़ियों में अकेले, बिना किसी के साथ अथवा समूहों के यात्रा करना मुश्किल हो गया है। मैं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या रेलगाड़ियों में महिला पर्यटकों को हर तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए पर्याप्त बल मौजूद हैं? क्या माननीय मंत्री सदन, देश और विश्व को आश्वस्त कर सकती हैं कि दिल्ली में एक कैब में

यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के साथ जो हुआ है, वो भारत में रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाली महिला के साथ नहीं होगा?

<u>अपराह्न 12.00 बजे</u>

(हिन्दी)

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महिला बल, महिला वाहिनी बनाई जा रही है, वह इसे देखेगी। साथ ही, हम ट्रेन में सीसीटीवी लगाकर अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे, तो उसे रोकेंगे। खासकर महिलाओं के लिए हम एक एप डेवलप करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में वह रेडी हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यदि यह एप जल्दी रेडी हो जाएगा तो वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूर काम आएगा।

श्री गणेश सिंह: मैडम, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक निशुल्क तीर्थयात्रा योजना शुरू की है और वे रेलवे की स्पेशल ट्रेन लेकर देशभर में सभी धर्मों के विभिन्न तीर्थस्थलों में लोगों को भेजते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के तीर्थस्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, वहां के लिए रेलवे की तरफ से आज तक कोई सुविधा नहीं दी गयी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, विशेषरूप से सतना मेरा लोक सभा क्षेत्र है, जहां चित्रकूट है, मैहर है, अनेक राट्रीय उद्यान हैं, वहां से मुंबई के लिए एक ट्रेन देने की कृपा करेंगे।

श्री सुरेश प्रभु: हां, जरूर। हम इसके बारे में सोचेंगे।

08.12.2014

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 206 से 220
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1018/16/14)

(2) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1019/16/14)

(3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1020/16/14)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): महोदया, मैं सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1021/16/14)

08.12.2014

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदया, मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 680 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1022/16/14)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ

(एक) (1) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1023/16/14)

(दो) (1) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1024/16/14)

(तीन) (1) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1025/16/14)

(8) **संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा):** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1026/16/14)

[हिन्दी]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ

(1) कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्निलखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1027/16/14)

(ख) (एक) इंस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) कोलकाता के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1028/16/14)

(ग) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1029/16/14)

(घ) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1030/16/14)

(ड.) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1031/16/14)

(च)(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1032/16/14)

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1033/16/14)

(3) (एक) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1034/16/14)

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 1035/16/14)

———

08.12.2014

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

कौशल विकास,उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

अपराह्न 12.03 ½ बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय कीअनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): महोदया, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एलटी संख्या 1037/16/14

08.12.2014

अपराह्न 12.04 बजे

श्रम कानूनों में संशोधन और उत्तर में विलम्ब के कारणों के बारे में दिनांक 24वें नवम्बर, 2014 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदय, मैं श्रम कानूनों में संशोधन' के बारे में सर्वश्री सी.एन. जयदेवन, धर्मेन्द्र यादव, कोडीकुन्नील सुरेश, दिलीप सिंह भूरिया, श्रीरंग आप्पा बारणे, अधलराव पाटील शिवाजीराव, सुमेधानन्द सरस्वती और राम मोहन नायडू किंजरापु, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के संबंध में 24 नवम्बर, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

———

***सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एलटी संख्या 1038/16/14**

08.12.2014

संशोधित उत्तर

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
दिनांक 24.11.2014 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं 147

श्रम कानूनों में संशोधन

147.श्री सी.एन.जयदेवेन:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री दिलीप सिंह भूरिया:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री अधलराव पाटिल शिवजीराव:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री राज्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं;
[ख] यदि हां, तो इसके कारणों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा;
(ग) श्रम कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तनों से नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए परेशानी किस स्तर तक कम होने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार ने कारखाने में और उसके आसपास के कर्मचारियों और लोगों की सुरक्षा के संबंध में नियोक्ता द्वारा स्व-प्रमाणन का प्रस्ताव भी रखा है; और
(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (आईसी)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): हाँ, महोदया

(ख):केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा संलग्नक-1 में है। भारत के माननीय राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित और प्रस्तुत किए गए संशोधन का विवरण संलग्नक- 2 में है।

(ग) से (ङ):सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारी संगठनों के बीच त्रिपक्षीय परामर्श के बाद उन्हें अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों के अनुरूप लाने के लिए श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन करते समय मजदूरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कार्य वातावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि जैसे श्रम के समग्र हितों को भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संरक्षित किया जाता है ताकि इसे कुशल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। यह श्रम सुधारों का एक आवश्यक भाग है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उत्पादकता और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कदम उठाना।

श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम कानूनों की बहुलता और एक सक्षम व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन में आसानी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण, निरीक्षणों की प्रतिवेदनिंग और वार्षिक रिटर्न जमा करने और शिकायतों के निवारण के लिए एक एकल एकीकृत वेब पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल एकल ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के लिए एक स्थान पर प्रतिवेदनिंग में आसानी प्रदान करता है; श्रम निरीक्षण की जानकारी को समेकित करता है और इसके प्रवर्तन से श्रम निरीक्षण में पारदर्शिता के साथ-साथ श्रम निरीक्षण की निगरानी में भी पारदर्शिता बढ़ जाती है।

08.12.2014

अनुबंध – एक

श्री सी.एन.जयदेव, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री कोडिकुन्नील सरेश, श्री दिलीप सिंह भूरिया, श्री श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अधलराव पाटिल शिवजीराव, श्री सुमेधानन्द सरस्वती और श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन के संबंध में 24.11.2014 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 147 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधन

1.बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

- इस अधिनियम के तहत बालक की परिभाषा को शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत जोड़ना,
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अधिकार के तहत आयु के साथ प्रतिबंध की आयु को जोड़ना,
- फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 में निर्धारित खानों, विस्फोटकों और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों के काम करने पर प्रतिबंध,
- अपराधियों को अधिक सख्त सजा और अधिनियम के तहत अपराधों को संज्ञेय बनाना।

2. फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948

- फ़ैक्टरी अधिनियम के तहत कवरेज के लिए सीमा, जैसा कि धारा 2(ड) में परिभाषित है, में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें 10 श्रमिकों (विद्युत के साथ इकाइयों के लिए) और 20 श्रमिकों (विद्युत के बिना इकाइयों के लिए) की मौजूदा सीमाओं के अलावा, ऐसी संख्या में श्रमिकों की इकाइयां, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, क्रमशः 20 श्रमिकों (विद्युत के साथ इकाइयों के लिए) और 40 श्रमिकों (विद्युत के बिना इकाइयों के लिए) की सीमा शामिल है। इससे राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने राज्य के कानून में संशोधन करने का लचीलापन मिलेगा।

- किसी कारखाने या समूह या वर्ग के लिए रात के काम के लिए महिलाओं के रोजगार की अनुमति या उनके निवास के दरवाजे तक सुरक्षा और परिवहन के प्रावधान के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ कारखानों का विवरण से संबंधित अधिनियम की धारा 66 का संशोधन।

- ओवरटाइम की सीमा को प्रति तिमाही 50 घंटे की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 100 घंटे प्रति तिमाही करने के लिए अधिनियम की धारा 64 और 65 का संशोधन। संशोधन में राज्य सरकार के अनुमोदन से जनहित में इस सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 125 घंटे प्रति तिमाही करने का भी प्रस्ताव है। कतिपय अपराधों के साथ जोड़कर (धारा 92ग और नई चौथी अनुसूची) और अपराधों के लिए शास्ति की मात्रा को बढ़ाने वाले अधिनियम की धारा 92 के संशोधन से संबंधित उपबंध का अंत:स्थापन।

- धारा 6 में संशोधन के माध्यम से कारखाने के विस्तार के उद्देश्य से स्व-प्रमाणन का प्रावधान पेश किया गया है।

- राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रसार की अवधि को 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे (धारा 56) करने के लिए सशक्त बनाने का प्रावधान।

- विभिन्न खतरों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान पर और सीमित स्थानों में प्रवेश और खतरनाक धुएं, गैसों आदि के विरुद्ध सावधानियों के बारे में धारा 36 और 37 के संशोधन पर एक नई धारा 35क की पुर:स्थापना।

- 250 श्रमिकों (धारा 45) के वर्तमान आदेश के बजाय 200 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों के संबंध में कैंटीन सुविधाओं का प्रावधान और 150 श्रमिकों (धारा 47) के वर्तमान आदेश के बजाय 75 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों के संबंध में आश्रयों या विश्रामालयों और दोपहर के भोजन कक्षों का प्रावधान।

- मौजूदा परिभाषाओं (धारा 2ग.ग. 2ङक) के लिए "खतरनाक पदार्थ" और "विकलांगता" जैसे नए शब्दों को पुर:स्थापित करना।

- गर्भवती महिलाओं के रोजगार का निषेध (यह पहले सभी महिलाओं के लिए था) और मशीनरी पर या उसके पास विकलांग व्यक्तियों को चालू हालत में और कपास ओपनरों के पास (धारा 22 (2)।

- 240 दिनों से 90 दिनों (धारा 79) तक वेतन के साथ वार्षिक अवकाश की पात्रता के लिए पात्रता मानदंड में कमी।

- वर्तमान में केवल राज्य सरकारों को ही फ़ैक्टरी अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार है। अब केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए भी सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

3.<u>खान अधिनियम, 1952</u>

- "लंबी शीर्षक" में संशोधन करना ताकि "खदानों में नियोजित व्यक्तियों के कार्य, स्वास्थ्य और कल्याण की शर्तों का विनियमन" प्रदान किया जा सके,

- मालिक की परिभाषा को प्रतिस्थापित करें ताकि इसे अधिक व्यापक बनाया जा सके;

- कंपनी अधिनियम, 1956 के संदर्भ में "विदेशी कंपनी" को परिभाषित करें;

- खानों में नियोक्ता के एजेंटों के अलावा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करना;

- धारा 63 से 70, धारा 72क , 72ख , 72ग और 73 में प्रदान किए गए दंड को बढ़ाएं और उस व्यक्ति पर सबूत का बोझ स्थानांतरित करें, जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है या यह साबित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है कि यह उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था, सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय; और

- धारा 76 में संशोधन करें ताकि विदेशी कंपनियों को कवर करने के लिए दायरा बढ़ाया जा सके और एक नई धारा 76 क सम्मिलित करने के लिए यह उपबंध किया जा सके कि जिस व्यक्ति का खानों के मामलों पर वास्तविक अंतिम नियंत्रण है, वह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए या किसी नियम या विनियम या उसके तहत बनाए गए कानून या आदेश के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

4.<u>श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने और रजिस्टर बनाए रखने से छूट) अधिनियम, 1988</u>

- मूल अधिनियम के कवरेज को 9 अनुसूचित अधिनियमों से 16 अनुसूचित अधिनियमों तक विस्तारित करना, जैसा कि 2005 विधेयक में प्रस्तावित किया गया था,

- प्रतिष्ठानों को 'बहुत छोटे' और 'छोटे' के रूप में परिभाषित करने की मौजूदा पद्धति को जारी रखते हुए, इस परिवर्तन के साथ कि 'छोटे' प्रतिष्ठान अब 10 से 19 श्रमिकों के मौजूदा प्रावधान के मुकाबले 10 से 40 श्रमिकों के बीच रोजगार वाले प्रतिष्ठानों को कवर करेंगे,

- छोटे प्रतिष्ठानों को तीन रजिस्टरों के रखरखाव के मौजूदा प्रावधान की तुलना में दो रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता होगी,

- कंप्यूटर, फ्लॉपी, डिस्केट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रजिस्टर या रिकॉर्ड को बनाए रखने और 2005 बिल में प्रस्तावित ई-मेल के माध्यम से विवरणी जमा करने की अनुमति देना।

5.<u>प्रशिक्षु अधिनियम, 1961</u>

प्रशिक्षुता को युवाओं और उद्योग के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में प्रमुख प्रस्तावित परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

- चार या अधिक राज्यों में संचालित प्रतिष्ठानों के लिए प्रावधान को रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के दायरे में लिया जाएगा;
- व्यापारवार के बजाय स्थापना स्तर पर लगाए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रदान करना;
- गैर-इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना;
- नियोक्ताओं के लिए नए पाठ्यक्रम (वैकल्पिक व्यापार) शुरू करने के लिए प्रदान करना जो मांग आधारित हैं;
- नियोक्ताओं के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षा आयोजित करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना और वैकल्पिक व्यापार में प्रशिक्षु से संबंधित अन्य शर्तों को निर्धारित करने के लिए प्रदान करना;
- अनुबंध प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रदान करना;
- पोर्टल-साइट के माध्यम से सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था करना;
- नियोक्ताओं को अन्य राज्यों से प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करना;
- प्रशिक्षु की भर्ती के लिए नियोक्ताओं को अपनी नीति तैयार करने का प्रावधान करना;
- दंड की व्यवस्था केवल जुर्माने के संदर्भ में होगी;

08.12.2014

- प्रशिक्षण की मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्व तथ्यात्मक नियम बनाने की शक्तियों का प्रावधान अधिनियम के तहत नए व्यापारों की लंबित अधिसूचना शुरू हुई;
    - किसी सक्षम एजेंसी से परीक्षा वैकल्पिक और प्रमाणन में बैठने का प्रावधान करना।

08.12.2014

अनुबंध -2

श्री सी.एन.जयदेव, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री कोडिकुन्नील सरेश, श्री दिलीप सिंह भूरिया, श्री श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अधलराव पाटिल शिवजीराव, श्री सुमेधानन्द सरस्वती और श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन के संबंध में 24.11.2014 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 147 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

1.प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन [प्रशिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014] के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

कौशल क्षेत्र में और एक प्रशिक्षु के लिए; एक उद्योग में दुकान-फ्लोर प्रशिक्षण के महत्व, वास्तव में काम करके सीखने के लिए, अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। चूंकि राज्य के युवाओं को अधिक रोज़गार देने योग्य बनाने के लिए विपणन योग्य कौशल का निर्माण राज्य की प्राथमिकता है; प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत राजस्थान में शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि, तेजी से बदलते कौशल क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिनियम में वर्तमान प्रावधानों की संख्या को फिर से संरेखित करने की आवश्यकता है।

t [अनुवाद] प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 एक केंद्रीय अधिनियम है और 12 दिसंबर, 1961 को इसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इसके बाद समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन किया गया। फिर भी, आम तौर पर प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के खराब कार्यान्वयन के कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो अधिनियम के लचीलेपन और अक्षमता से उत्पन्न होते है, उद्योग के साथ-साथ प्रशिक्षु को उनकी महसूस की गई जरूरतों के अनुसार पूरा करता है।

अधिनियम की धारा 6 के तहत 1992 के नियमों द्वारा निर्धारित विभिन्न निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण की अवधि काफी लंबी है। आजकल, वांछित गुणवत्ता के साथ छोटी अवधि के कॉम्पैक्ट मॉड्यूल उपलब्ध हैं। न तो प्रशिक्षु और न ही उद्योग लंबे समय तक प्रशिक्षण पसंद करता है। इसके अलावा, संघ के बजाय, राज्य को सेक्टरों की मांगों के बारे में बारीकी से पता होना चाहिए, उद्योग के साथ परामर्श में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सशक्त होना चाहिए। इसलिए राज्य शिक्षुता परिषद को अधिनियम की धारा 6 के प्रशिक्षण खंड (ख) की अवधि निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उद्योग या प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षुता अनुबंध को समाप्त करने के मामले में, राज्य प्रशिक्षुता परिषद और राज्य प्रशिक्षुता सलाहकार को उनके केंद्रीय समकक्षों के स्थान पर अधिकार दिया जा रहा है ताकि शिकायत निवारण

तंत्र में तेजी लाई जा सके। इसलिए अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

धारा 8 एक ही व्यवसाय में उद्योग के स्थायी कर्मचारियों की संख्या पर लागू निर्धारित अनुपात के अनुसार, एक निर्दिष्ट व्यवसाय में एक उद्योग द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या को निर्धारित करती है। यदि कोई उद्योग किसी विशेष व्यापार में प्रशिक्षुओं की कम संख्या चाहता है, तो उसे पचास प्रतिशत तक दिया जा सकता है, बशर्ते उद्योग अन्य व्यवसायों में बाकी सीटों के समायोजन करता हो। इन प्रावधानों को राज्य के लिए आवश्यकता के अनुसार कदम उठाने के लिए अधिक यथार्थवादी और अनुकूल बनाने के लिए, राज्य प्रशिक्षुता परिषद को अनुपात तैयार करने का अधिकार दिया जा रहा है। तदनुसार राज्य द्वारा संघ को प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 8 के तहत संशोधन प्रस्तावित हैं। एक व्यवसाय के लिए सीटों के अंतर-उद्योग पुनर्गठन के लिए अर्हता प्राप्त करने की सबसे कम सीमा को भी पचास प्रतिशत से घटाकर तीस प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार एक नामित व्यवसाय के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता परिषद परीक्षा आयोजित करती है और सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान करती है। अनेक उद्योगों में उचित काम करने वाले वातावरण और प्रशिक्षक की कमी है जो परिसर में प्रशिक्षु प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। आज बाजार में, तीसरे पक्ष के पेशेवर प्रशिक्षक हैं, जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उद्योग स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हैं। हालांकि, वर्तमान प्रावधान तीसरे पक्ष के प्रशिक्षण की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए धारा 9 की उप-धारा (1) को तीसरे पक्ष के प्रशिक्षण प्रदाता को प्रशिक्षुओं के व्यावहारिक प्रशिक्षण का संचालन करने की अनुमति देने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

व्यवसाय प्रशिक्षु को दिए जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण के संबंध में उन्हें आवर्ती लागत को वहन करने के लिए उद्योगों से लगातार मांग की गई है। अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, धारा 9 की उप-धारा (8) के खंड (क) में संशोधन तदनुसार प्रस्तावित किया गया है। आवास, भोजन और परिवहन की बुनियादी लागतों का बचाव करने के लिए उचित मात्रा में वजीफा प्रदान किए बिना; प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में इच्छुक प्रशिक्षुओं को आकर्षित करना संभव नहीं है। वजीफा की वर्तमान राशि काफी कम है। इसलिए खंड 13 में संशोधन प्रशिक्षु को अकुशल श्रमिक श्रेणी के अधिसूचित न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का प्रस्ताव है।

धारा 14 में संशोधन का उद्देश्य राजस्थान की दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अधिनियम, 1958 के तहत निर्धारित स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण मानकों को अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं पर लागू करना है। यह प्रशिक्षुओं के सर्वोत्तम हित में प्रायोजक उद्योगों में एकरूपता सुनिश्चित करेगा। तदनुसार अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

अधिनियम की धारा 23 राज्य परिषद और राज्य शिक्षुता परिषद को उनके केंद्रीय समकक्ष से अनिवार्य रूप से संबद्ध करने का प्रावधान करती है। इसके लिए उक्त प्रावधान को वैकल्पिक बनाने का प्रस्ताव है, ताकि शिक्षुता प्रशिक्षण क्षेत्र में तेजी से निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर अधिक लचीलापन सुनिश्चित हो सके। तदनुसार अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

2.उत्तराखंड सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधन:

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का केंद्रीय अधिनियम संख्या .04) की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात्:-

(हिन्दी) "6. [अनुवाद] सभी मजदूरी का भुगतान बैंक के चेक या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर (एनईऍफ़टी) या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस सिस्टम या डाक चेक द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि नियोजित व्यक्ति का कार्य अस्थायी प्रकृति का है या नियोजित व्यक्ति प्रवासी व्यक्ति है और वह अपने अर्जित वेतन का नकद भुगतान प्राप्त करना चाहता है, तो नियोक्ता के कार्य क्षेत्र में तैनात सहायक श्रम आयुक्त की लिखित अनुमति के बाद नियोक्ता के कार्य क्षेत्र में तैनात अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद संबंधित नियोजित व्यक्ति के वेतन का नकद भुगतान किया जा सकता है।

3.पंजाब सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2013 में प्रस्तावित संशोधन:

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में, पंजाब राज्य के लिए अपने आवेदन में, धारा 6 में, मौजूदा परंतुक के अंत में, चिह्न (पंचांग) के लिए "." , चिह्न ":" को प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात्: -

परंतु यह कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके नियोक्ता उसमें नियोजित व्यक्तियों को, या तो चेक द्वारा या उनके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके वेतन का भुगतान करेंगे।

4.मजदूरी भुगतान(केरल संशोधन) अध्यादेश, 2014 में केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन:

08.12.2014

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में, धारा 6 में, मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात्ः-

परंतु यह और कि इस अधिनियम में किसी तथ्य के होते हुए भी, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके नियोक्ता उसमें नियोजित व्यक्तियों को, वेतन या तो चेक द्वारा या उनके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके, नियोजित व्यक्ति का कोई प्राधिकार प्राप्त किए बिना भुगतान करेंगे।

5.मध्य प्रदेश श्रम कानूनों (संशोधन) और विविध प्रावधान अध्यादेश, 2014 के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव

प्रस्तावित अध्यादेश का उद्देश्य निम्नानुसार विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन करना हैः

(1) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996: की धारा 7 की उपधारा (3) के बाद उपधारा 3क का अंतःस्थापन, पंजीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद स्थापना के पंजीकरण के लिए मानद प्रावधान को शामिल करने के लिए।

(2) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के बाद उपधारा (1क) का अंतःस्थापन: किसी कारखाने में स्थापना के बाहर से खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी की लागत को छोड़कर भवन निर्माण कार्यों की तर्कसंगत लागत पर पहुंचने के लिए और ऐसी अन्य लागतें जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं जैसे कि ऐसी लागतें जो परियोजना लागत का भाग हैं लेकिन निर्माण की लागत के लिए शामिल नहीं की जानी चाहिए जैसे कि कर, बैंक ब्याज, विज्ञापन व्यय, लेखा परीक्षा शुल्क, कानूनी शुल्क, वित्त की लागत, आदि।

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन, निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर के निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है। वर्तमान में निर्धारिती को अपील के साथ, उपकर की आदेशित राशि और विवादित राशि का एक वर्तमान शुल्क के रूप में जमा करना होगा। यह अन्यायपूर्ण लगता है क्योंकि विवाद में राशि को पूर्ण रूप से जमा करना होता है, इसलिए, इस संशोधन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा नियमों में ऐसे प्रावधानों को शामिल करना है ताकि केवल निर्विवाद उपकर राशि को पूर्ण रूप से और विवादित राशि का एक प्रतिशत शुल्क के रूप में अपील के साथ जमा किया जा सके।

(3) बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में धारा 14 के बाद एक नई धारा 14-क को सम्मिलित करना, जारी बाल श्रम के त्वरित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए संक्षिप्त जांच के बाद बाल श्रम को

संलग्न करने वाले नियोक्ता से पच्चीस हजार रुपये की वसूली के लिए एक नया प्रावधान शामिल करना है।

(4) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (3) और धारा 13 की उपधारा (4) का अंत:स्थापन: जैसा भी मामला हो, पंजीकरण या लाइसेंस के लिए सभी मामलों में पूरा आवेदन जमा करने के बाद निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद मूल नियोक्ता के पंजीकरण के लिए मानद प्रावधानों और ठेकेदार को लाइसेंस को शामिल करना।

(5) धारा 65 की उपधारा (2) और (3) को हटाना और फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 में धारा 65-क को जोड़ना, ओवरटाइम कार्य की पूर्व अनुमति को समाप्त करने, ओवरटाइम कार्य की सीमा बढ़ाने और ओवरटाइम काम लेने के लिए श्रमिकों से सहमति को भी शामिल करना प्रस्तावित किया गया है, और उपधारा 66 के खंड (ख) को हटाना और रात की शिफ्ट के दौरान महिलाओं के रोजगार को सुविधाजनक बनाना है।

अधिनियम की धारा 66 की उपधारा 1-क का अंत:स्थापन कारखानों में रात की शिफ्टों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रावधान करना है।

धारा 79 की उपधारा (1) में संशोधन उन श्रमिकों को सक्षम करने के लिए प्रस्तावित है जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिनों (240 दिनों के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर) काम किया है, उन्हें अगले कैलेंडर वर्ष के बजाय उसी कैलेंडर वर्ष में मजदूरी के साथ छुट्टी का लाभ मिलेगा।

धारा 105 की उपधारा (1) में संशोधन कानून की न्यायालय में कोई अभियोजन दायर करने से पहले श्रम आयुक्त की अनुमति लेने के लिए प्रस्तावित है ताकि नियोक्ताओं के अनावश्यक उत्पीड़न से बचा जा सके और उचित जांच के बाद अभियोजन दायर करना सुनिश्चित किया जा सके।

(6) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-क की उपधारा (3) में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए सुलह अधिकारियों के पास जाने के लिए 3 वर्ष की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करना है, इस प्रकार अदालतों और न्यायाधिकरणों के लिए निर्वहन, बर्खास्तगी, समाप्ति आदि से संबंधित मामलों में आवेदन स्वीकार करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अनुरूप यह समय सीमा बनाना है।

धारा 25-च का खंड (क) में संशोधन किसी कर्मचारी की छंटनी से पहले नोटिस अवधि को एक महीने से तीन महीने तक संशोधित करने के लिए प्रस्तावित है, ताकि उसे नई नौकरी प्राप्त करने

के लिए अधिक समय प्रदान किया जा सके और धारा 25 -च के खंड (ख) के संशोधन, प्रत्येक/रिट्रेन्च्ड कर्मचारी को कम से कम 3 महीने के औसत वेतन के बेहतर मुआवजे का प्रावधान करना है।

धारा 25-ट की उपधारा (1) के संशोधन का प्रस्ताव है कि कर्मचारियों को छंटनी और बंद करने की अनुमति के संबंध में अधिनियम के अध्याय फ-ख के आवेदन के लिए कर्मचारियों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 किया जाए, इस प्रकार ऐसी प्रक्रियाओं को छोटे और मध्यम स्तर की स्थापना के लिए सरल बनाया जाए और 300 श्रमिकों को अनुबंध श्रम के रूप में रखने के बजाय उनके स्थायी / नियमित वेतन रोल पर नामांकित करने के लिए ऐसी इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए।

(7) अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (3) में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें सभी प्रकार से आवेदन प्रस्तुत करने के बाद 30 दिनों की अवधि के बाद किसी प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रावधान शामिल है।

(8) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें सभी तरह से आवेदन जमा करने के बाद 30 दिनों की अवधि के बाद किसी प्रतिष्ठान के पंजीकरण के प्रावधान को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(9) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत वर्गीकृत सूक्ष्म उद्योगों को छूट के लिए विशेष प्रावधान, विभिन्न श्रम कानूनों के अनुप्रयोग से, अर्थात्:

(क) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 की सं 37);
(ख) फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 (1948 की सं .63)। बशर्ते कि यदि फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 85 के तहत राज्य सरकार द्वारा उक्त कारखाने को अधिसूचित किया जाता है, तो अधिनियम के सभी प्रावधान उस पर लागू होंगे;
(ग) अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 की संख्या .30)
(घ) श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने और रजिस्टरों को बनाए रखने से छूट) अधिनियम, 1988 (1988 की संख्या .51);
(ङ) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 (1961 की संख्या .27);
(च) बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 की सं .11)।
(छ) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (1926 की संख्या .16)

सूक्ष्म और बहुत छोटे उद्योगों और प्रतिष्ठानों के रूप में प्रस्तावित उपरोक्त छूट को पंजीकरण प्राप्त करने, अनेक रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखने और वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने, औपचारिकताओं और अनेक श्रम कानूनों के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों की बहुलता सुनिश्चित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार उन्हें अनावश्यक मुकदमों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए, उन्हें कुछ श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रखने और ऐसे कृत्यों के तहत लगातार निरीक्षण से बाहर रखने का प्रस्ताव है। यद्यपि यह भी प्रस्ताव किया जा रहा है कि राज्य सरकार, किसी भी समय, श्रमिकों के हित में, ऐसी सभी या ऐसी किसी भी छूट को वापस ले सकती है।

(10) विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन अपराधों के संघटन और मुकदमों के उन्मूलन के उपबंधों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, अर्थात्:

(क) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या .25)
(ख) श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने और रजिस्टरों को बनाए रखने से छूट) अधिनियम, 1988 (1988 की संख्या .51);
(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 की संख्या .11);
(घ) वेतन का भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 की संख्या .4);
(ङ) बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 की सं .11)।

यह प्रस्ताव ऐसे उल्लंघनों के मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए है जिसमें 3 महीने तक की शास्ति और कारावास प्रदान किया जाता है। यह देखा गया है कि विभिन्न श्रम कानूनों में मौजूदा प्रावधानों के तहत, अपराधों के शमन का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अदालतों में अधिक संख्या में अभियोजन मामले लंबित हैं, जिससे सरकारी अधिकारियों और नियोक्ताओं का कीमती समय भी लगता है। केवल 3 महीने तक के दंड और कारावास के साथ अपराधों के त्वरित निपटान और मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए, इस संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है।

केवल जुर्माने वाले दंडनीय अपराध को पिछले अपराध से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ही जोड़ा जा सकता है। लेकिन कारावास (3 महीने तक) वाले दंडनीय अपराध को केवल एक बार बढ़ाया जा सकता है और वह भी निर्धारित अधिकतम जुर्माने के दस गुना जमा करने पर।

08.12.2014

(11) अनेक रजिस्टरों को बनाए रखने और श्रम कानूनों में अनेक विवरणी जमा करने से छूट देने का भी प्रस्ताव है, अर्थात्:-

(a) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 की संख्या .37);
(b) समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (1976 की संख्या .25)
(c) कारखाने अधिनियम 1948 (1948 की सं .63)
(d) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की संख्या .14)
(e) अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 की संख्या .30)
(f) श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने और रजिस्टरों को बनाए रखने से छूट) अधिनियम, 1988 (1988 की सं .51);
(g) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (1961 की संख्या .53)
(h) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 की संख्या .11)
(i) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 (1961 की संख्या .27)
(j) बोनस का भुगतान अधिनियम , 1965 (1965 की संख्या .21)
(k) उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 की संख्या .39)
(l) मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 की नहीं .4)
(m) बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या .11)

उद्यमियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अनावश्यक उत्पीड़न को कम करने और सूचना और अभिलेखों की बहुलता से बचने के लिए उपरोक्त अधिनियमों में निर्धारित सरल और एकीकृत रजिस्टर और रिटर्न निर्धारित करना।

———————————

08.12.2014

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य...जारी

(दो) दिल्ली में एक कैब ड्राइवर द्वारा 5/6.12.2014 को एक महिला के यौन उत्पीड़न की घटना‡

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, दिल्ली में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में वक्तव्य देना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं, 5/6.12.2014 में रात को एक युवती के साथ यौन उत्पीड़न की एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी देना चाहता हूँ।

भारत सरकार, इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधी को दंडित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

दिनांक 05.12.2014 को, देर शाम को एक 26 वर्षीय महिला ने उत्तर जिले के पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला के क्षेत्राधिकार में वसंत विहार क्षेत्र से इंद्र लोक जाने के लिए ऑनलाइन कैब सेवा 'उबर' के माध्यम से लगभग रात्रि 10.30 बजे एक टैक्सी किराए पर ली थी। महिला गुड़गांव में काम करती है और अपने कार्यालय के समय के बाद वह कुछ दोस्तों के साथ वसंत विहार आई थी।

महिला ने बताया कि, टैक्सी में बैठते समय, उसने थोड़ी देर के लिए झपकी ली और फिर अचानक महसूस किया कि टैक्सी एक सुनसान जगह पर खड़ी थी और चालक उसे पिछली सीट पर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। उसने शोर मचाने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर ने उसे शारीरिक चोट पहुंचाने की धमकी

‡ ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1036/16/14

दी और फिर कार में उसका यौन उत्पीड़न किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद, ड्राइवर ने रात्रि लगभग 1.00 बजे उसे उसके घर पर छोड़ दिया और उसे फिर से धमकी दी कि वह घटना के बारे में किसी को नहीं बताए।

जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली, दिनांक 06.12.14, को धारा 376/323/506 के तहत थाना सराय रोहिल्ला में प्राथमिकी संख्या 1291/14 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तत्काल आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई। महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था और दिल्ली महिला आयोग द्वारा अधिकृत एक एनजीओ स्वयंसेवक द्वारा उसकी काउंसलिंग भी की गई थी।

मौजूदा सुराग और लम्बी जांच के माध्यम से, अपराधी चालक की मथुरा से एक व्यक्ति के रूप में पहचान की गई जो वाहन स्विफ्ट डिजायर, संख्या डी.एल. -1वाई.डी 7910 का मालिक था। उसका वाहन उबर कैब सेवा के साथ पंजीकृत है। अपराध में प्रयुक्त वाहन को ढूंढ़ लिया गया है और उसे दिल्ली लाया गया है जहां उसकी गहन फोरेंसिक जांच की जाएगी।

आरोपी को दिनाक 07.12.2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया है और उसे दिल्ली लाया गया है जहां उसे 08.12.2014, अर्थात् आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब हम 'शून्य काल' प्रारम्भ करेंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, आज दिल्ली में महिलाओं की यही हालत है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठ जाइये। आपने नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

)माननीय अध्यक्ष : क्या आप प्रीवलेज नोटिस की बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। (हिन्दी) जीरो-आवर में ऐसा नहीं होता है। पहले जिन्होंने नोटिस दिया है उन्हें अलाऊ करुंगी, फिर आपको अलाऊ करुंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कृपाल बालाजी तुमाने - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, आपको बुलाऊंगी, पहले जिन्होंने नोटिस दिये हैं उन्हें बुलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : क्या आपने नोटिस दिया है?

...(व्यवधान)

08.12.2014

अपराह्न 12.10 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दिल्ली और देश के अन्य भागों में चर्चों पर कथित हमलों के बारे में

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। ...(व्यवधान)

मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान दिल्ली में चर्चों पर हमलों की घटनाओं की ओर आकर्षित करता हूँ। पिछले सप्ताह दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में स्थित सेंट सेबेस्टियन चर्च जलकर खाक हो गया था। परसों, दक्षिण-पूर्व दिल्ली के जसोला क्षेत्र में एक और चर्च, अर्थात् फातिमा माथा चर्च पर हमला किया गया था। चर्चों पर बार-बार होने वाले हमले न केवल इस देश में ईसाइयों की चिंता है, बल्कि उन लोगों की भी चिंता है जो धार्मिक सद्भाव चाहते हैं।

मेरे साथ-साथ संसद के अनेक सदस्यों ने दिलशाद गार्डन में सेंट सेबेस्टियन चर्च का दौरा किया और हम देख सकते हैं कि धार्मिक भावनाओं से परे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने एक पवित्र स्थान के विनाश पर अपनी चिंता व्यक्त की । उन्होंने सांत्वना दी और उन लोगों के प्रति अपनी सद्भाव व्यक्त की, जिनके पूजा केंद्र नष्ट हो गया । यह भारतीय समाज की महानता है।

इस सम्मानित सभा ने भी चर्च पर जघन्य हमले की निंदा की। तथापि, कुछ असामाजिक तत्व भारतीयों के बीच भाईचारे के बंधन को क्षति पहुंचाना और तोड़ना चाहते हैं। इन चर्चों पर हाल के हमलों को इसका भाग माना जाता है। यदि सेंट सेबेस्टियन चर्च पर हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया होता, तो फातिमा माथा चर्च पर हमला नहीं होता ।

चर्चों पर बार-बार होने वाले हमलों के पीछे दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में ढिलाई प्रमुख कारण है। इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में दोषियों का पता लगाने और उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई करने और देश में धार्मिक संस्थाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करता हूँ। ...(व्यवधान)

08.12.2014
(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी से उत्तर आ चुका है। अब बार-बार एक ही विषय पर नहीं हो सकता है। मुझे खेद है। [अनुवाद] मंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, श्री जोस के.मणि, श्री पी.करुणाकरन, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, श्री पी.के.बीजू, और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री एंटोनी द्वारा उठाए गए मामले के साथ संबंद्ध करने की अनुमति है।

———————

[हिन्दी]

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।**...(व्यवधान)**

महोदया, ऊर्जा का उत्पादन करने वाला मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी तीन राज्यों को छूता है- झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़।...(व्यवधान) यह वामपंथ उग्रवाद से भी बहुत ज्यादा प्रभावित है।...(व्यवधान) वहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के नौजवान बेहद प्रतिभाशाली हैं।...(व्यवधान) परन्तु रेलवे लाइन न होने के कारण उन प्रतिभाओं को आज तक अवसर नहीं मिल पाया है।...(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र में एलसीएल, एनटीपीसी जैसी अनेक और भी कम्पनियां हैं।...(व्यवधान) अनेक बड़े खेल मैदान भी हैं, लेकिन वहां प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। अतः एसएआई जैसे खेल प्रतिष्ठानों की वहां आवश्यकता है जो हमारे युवाओं को खेल के माध्यम से सही दिशा दे सकें और उन्हें भ्रमित करने से रोक सकें।

इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करती हूं और माननीय खेल व युवा कल्याण मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भारतीय खेल प्राधिकरण की शाखा खोलने की कृपा करें।...(व्यवधान)

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में एक ऐसी घटना हुई कि अभी भी लोगों में भय व्याप्त है।...(व्यवधान) एक माह पूर्व एव नौ वर्ष के लड़के का अपहरण किया गया।...(व्यवधान) उसकी नरबलि दी गयी। उसकी दोनों आंखे निकाल ली गईं। ...(व्यवधान) उसकी मुण्डी धड़ से अलग कर दी गयी और उसका पूरा खून एक लोटे में भर कर हमारे गांव में एक मंदिर है, जिसमें डाला गया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलने का समय में दे रही हूं, लेकिन माननीय सदस्य को तो कम्पलीट करने दीजिए।

श्री रामदास सी. तडस : अंधश्रद्धा के कारण यह घटना हुई है। आज वहां के लोगों में इतना भय है कि लोग स्कूल में अपने बच्चे भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। इतनी बड़ी घटना यह हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो तांत्रिक बाबा इसमें शामिल रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। इसके अलावा इस घटना की जांच सीआईडी से करवायी जाए।...(व्यवधान)

08.12.2014
[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.15 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन-जारी...</u>

(एक) दिल्ली और देश के अन्य भागों में चर्चों पर कथित हमलों के बारे में

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष : ई. अहमद जी, आप मेरी बात सुनिए। आप चर्च के विषय में कहना चाहते हैं। [अनुवाद] यदि मंत्री जी तैयार हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बार इसका उत्तर दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वह फिर से उत्तर दे और यदि वह भी तैयार है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह चर्च की घटना के बारे में है या कुछ और?

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): चर्च पर हमला एक बहुत ही गंभीर मामला है। ...(व्यवधान) । चर्च पर हमला, जिसे माननीय सदस्य श्री एंटोनी ने उठाया है, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। ...(व्यवधान)। सरकार का कर्तव्य है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर वे तैयार है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप दोबारा चाहते हैं, यदि माननीय मंत्री तैयार हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई नहीं बोलेगा। एक बार हो चुका है। सबने यह मुद्दा उठाया था।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप स्वंय को संबद्ध कर लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संबद्ध करने के लिए स्लिप भिजवा दीजिए।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, इस देश की कम्युनल हॉर्मनी को बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में टॉप पर है। ...(व्यवधान) इस संबंधित घटना, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, उसकी जानकारी ज्यों ही मुझे प्राप्त हुई, तुरंत मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की और उनको कहा कि इस मामले की प्रॉपर इंवेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस मामले की इंवेस्टिगेशन के लिए तुंरत एक एसआईटी कंस्टिट्यूंट कर दी गई और साथ ही साथ इस इंवेस्टिगेशन को हमने टाइमबाउंड भी किया है।...(व्यवधान) यदि कोई नई घटना है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मुझे दे दें, मैं उसकी प्रॉपर इंवेस्टिगेशन करवाऊंगा। ...(व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में माथेरान नामक हिल स्टेशन है, जो कि ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध है। यहां प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे देश को आर्थिक लाभ मिलता है। पर्यावरण विभाग ने शुरू से ही इस क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया हुआ है। महोदया, यहां पर माथेरान नगर परिषद् भी है। बीते अनेक वर्षों से यहां रह रहे नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहां ब्रिटिश काल से मिनी ट्रेन चल रही है। कोई और साधन नहीं होने के कारण यहां आने वाले पर्यटक आने-जाने

के लिए इस ट्रेन का उपयोग करते हैं तथा पर्यटकों को पूर्ण रूप से इस मिनी ट्रेन और घोड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। बारिश या अनेक अन्य कारणों से यह मिनी ट्रेन अनेक बार बंद कर दी जाती है, जिससे यहां आने-जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे और माथेरान हिल स्टेशन में पर्यटकों के अवागमन हेतु सीएनजी वाहनों या बैटरी वाहनों की अनुमति प्रदान करे और इस क्षेत्र में रोप-वे की व्यवस्था करे। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सरकार को और आधिक आर्थिक लाभ मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल - उपस्थित नहीं।
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली - उपस्थित नहीं।
श्री विक्रम उसेंडी।

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ के बस्तर संभाग में पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां पर प्रत्येक जिला मुख्यालय में भवन वगैरह की कमी तो है ही साथ ही साथ जो विकासखण्ड मुख्यालय और तहसील मुख्यालय हैं, वहां पर भी भवन वगैरह नहीं होने से पोस्ट ऑफिस प्रॉपरली संचालित नहीं हो पा रहा है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहां पर पंचायतों की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, मनरेगा का भुगतान, आधार कार्ड वा वितरण आदि ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन भवन वगैरह नहीं होने कारण ये सारे काम-काज ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे हैं तथा उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है।

महोदय, बस्तर संभाग जो केरल राज्य से बड़ा संभाग है, वहां पर जिला मुख्यालय जैसे कुंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा आदि जैसी जगहों में पोस्ट ऑफिस या कोई भवन नहीं है। मेरा कहना है कि वहाँ पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था ठीक ढंग से संचालित हो। बहुत सारे विकास खण्ड मुख्यालय वगैरह में बैंकों की व्यवस्था नहीं है। पोस्ट ऑफिस के लिए देश की आजादी के बाद वहाँ पर भवनों का निर्माण नहीं हो पाया। वहाँ भवनों का निर्माण कर ठीक से पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था की जाए। यह मेरी माँग है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, बिहार में राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण स्वास्थ्य सैक्टर में काफी धीमी प्रगति है। आज भी हजारों-हजार लोग बीमारियों के इलाज के लिए कर्ज लेकर, घर-जमीन को बंधक

रखकर दो-दो दिन ट्रेन में सफर कर दिल्ली, कोलकाता, बंगलौर, चेन्नई, मुंबई जैसे महानगरों में जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिहार में समुचित चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती है।

टेली-मेडिसिन एक चमत्कारी चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें चिकित्सक विज्ञान और तकनीक के द्वारा देश वे दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग बिना बड़े शहर में गए हुए स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के शिवहर, सीतामढी के और पूर्वी चम्पारण जिलों में हजारों गरीब बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग हैं, जो समय पर समुचित चिकित्सा के अभाव में असमय ही मौत के शिकार हो जाते हैं। जब एक घर में कोई बीमार होता है तो उसका दर्द उसके परिजन ही महसूस कर सकते हैं और जब इलाज के अभाव में उनका कोई प्यारा दम तोड़ देता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर जीवन पर्यन्त पड़ता रहता है।

मुझे जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार बिहार में टेली-मेडिसिन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कुछ कदम तो उठाए गए हैं, परन्तु उन प्रयासों का विशेष फायदा राज्य की गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ई-स्वास्थ्य पहल के अन्तर्गत वेन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय को राष्ट्रीय ग्रामीण टेली-मेडिसिन नेटवर्क स्थापित करना था, परन्तु यह नेटवर्क कितना प्रभावकारी है या इसका कितना फायदा लोगों को मिला है, इसकी जाँच बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में टेली-मेडिसिन का जिक्र किया था। अब लोगों को यह उम्मीद होने लगी है कि हेल्थ का सेक्टर जरूर सुधरेगा और उसमें टेली-मेडिसिन का अहम रोल होगा। आज बिहार सहित पूरे देश में स्वच्छता अभियान की तर्ज पर टेली-मेडिसिन केन्द्रों को स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। ग्रामीण भारत के गरीब लोगों की बीमारी दूर होगी। अगर इस काम में एन.जी.ओज. की भी मदद लेने की जरूरत पड़े तो सरकार को उनकी मदद लेनी चाहिए और वे मदद देने को तैयार हैं।

इसलिए हम चाहेंगे कि वैसे तो इस योजना को पूरे भारत में लागू करने की सख्त जरूरत है। परन्तु कम से कम हमारे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी चम्पारण जिले की ग्राम पंचायत घोड़ासहन (दक्षिण), जो दसवीं

पंचायत है, जिसे हमने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है, में इसे लागू कर दिया जाए। मेरे 17 प्रखण्ड हैं, उनमें जल्द से जल्द इस योजना को लागू कर दिया जाए। ऐसा करने से गरीबों को बहुत फायदा होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए सुबह स्थगन प्रस्ताव के लिए भी नोटिस दिया है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे ज्ञात है।

श्री के.सी.वेणुगोपाल: यह नोटिस छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले की घटना में मारे गए सीआरपीएफ शहीदों के प्रति अमानवीय व्यवहार के संबंध में एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामले के संबंध में था ।

मेरे पास कुछ रिपोर्ट हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब स्थानीय लोगों को शवगृह के पास कूड़ेदान में खून से सनी वर्दी और शहीदों के जूते पड़े मिले। शहीदों का पोस्टमार्टम कल अस्पताल में हुआ था और उसके बाद वर्दी को कूड़ेदान में फेंकने की सूचना मिली। रिपोर्ट में यही कहा गया है। गंभीर बात यह है कि *पोस्टमार्टम* के बाद मारे गए सी.आर.पी.एफ. सैनिकों के शरीर के अवशेषों को कुत्तों द्वारा खाने के आरोप भी लगाए गए थे, जिससे पूरा देश सदमे में आ गया था। यह पूरे देश के लिए एक अत्यंत शर्मनाक घटना है।

इसके साथ-साथ, इस घटना के संबंध में एक और रिपोर्ट सामने आई है। यह क्या है? मुठभेड़ प्रात: 11.30 बजे हुई। हेलीकॉप्टरों के लिए अनुरोध केवल शाम 4.30 बजे किया गया था। हेलीकॉप्टरों के आने में विलम्ब मौत का मुख्य कारण रहा है। हम इस तरह के रवैये को कैसे सही ठहरा सकते हैं? रक्षा मंत्रालय की टिप्पणी अत्यंत गंभीर थी । रक्षा मंत्रालय की यह टिप्पणी थी कि इस स्थान को राज्य सरकार द्वारा सैनिटाइज नहीं किया गया । यही कारण है कि वे हेलीकॉप्टर भेजने की स्थिति में नहीं थे। इसका मतलब है कि भारत सरकार, विशेषरूप से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच समन्वय का पूर्ण अभाव है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई है।

सरकार कह रही है कि अच्छा दिन आएगा और वे सुशासन दे रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ के शहीदों के मामले में, जो नक्सली चरमपंथियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है, सरकार

उनकी जान बचाने की चिंता नहीं है। देश इसे कैसे माफ कर सकता है? माननीय गृह मंत्री पहले यहां मौजूद थे। अब वह यहां नहीं है। जहां तक देश का सवाल है, यह एक गंभीर घटना है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अपील करता हूँ कि वे यहां आएं और इस मामले पर एक वक्तव्य दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय: श्री पी.करुणाकरन , डॉ. ए.सम्पत और श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर को श्री के.सी.वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति है।

(हिन्दी)

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय़ सदन में रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक -सवाई माधोपुर में रणथम्भौर के आसपास के लगभग 50 गांवों में जंगली जानवर नीलगाय का आक्रमण काफी बढ़ गया है जिससे लोगों की लगभग 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है और जंगली जानवरों से लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। अनेक बार जंगली जानवर यहाँ के पशुओं और बच्चों को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। अभी दो दिन पहले ही जंगली जानवर शेर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकार जंगली जानवरों से मरने वाले व्यक्ति को दो लाख रुपये देती है। दो लाख रुपये से गरीब आदमी की कुछ भी भरपाई नहीं होती। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार उनको दस लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करे और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को कांटेदार तार लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करे जो कि पहले भी सरकार द्वारा लागू थी परंतु अब नहीं है। पानी के पाइपों पर गवर्नमैंट सब्सिडी दे रही है लेकिन कांटे वाली तार पर सब्सिडी नहीं दे रही है। यदि ऐसा कर दिया जाए कि कांटेदार तार पर 80 परसेंट सब्सिडी गवर्नमैंट दे और 20 परसेंट ज़मींदार दे, तो उनकी फसल बच जाएगी और वे बेचारे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर सदन में आई हूँ। मैं जिस चुनाव क्षेत्र का मुद्दा लेकर आई हूँ, वह केवल चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा मुम्बई, महाराष्ट्र और देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश के बिज़ीयैस्ट एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे पर मुम्बई और तीसरे नंबर पर हैदराबाद आता है। यह दूसरे नंबर का मुम्बई एयरपोर्ट जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है, उस एयरपोर्ट के मुद्दे के बारे में मैं यहाँ विषय रखना चाहती हूँ। मैं खुद पायलट होने की वजह से जानती हूँ कि मुम्बई एयरपोर्ट में जिस प्रकार से बिज़ीयैस्ट एयरपोर्ट के रूप से वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल यातायात बढ़ता जा रहा है, उसके लिए जिस प्रकार की यंत्रणा चाहिए, जो डैवलपमैंट चाहिए, वह अब तक मुम्बई एयरपोर्ट पर नहीं हुआ है। उस हवाई अड्डे पर इतनी अपेक्षा की जाती है कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बाहर प्रदेशों में देखते हैं, दिल्ली और कोलकाता में भी देखते हैं तो पैरलल रनवे तीन या चार लगते हैं। आज मुम्बई एयरपोर्ट में दिक्कत यह आती है कि दो और तीन पैरलल रनवे नहीं हैं। वे एक दूसरे से कटे हुए हैं तो एक ही रनवे का इस्तेमाल होता है। इसीलिए एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया और जीवीकेएस ने मिलाकर एम.आई.एल. करके एक नया कंस्ट्रक्टिव जेवी तैयार किया था जो 3 मई, 2006 को [अनुवाद] *जैसा है जहाँ है* **(हिन्दी)** बेसिस पर बनाया गया था। उसमें यह तय किया गया था कि वहाँ जो एनक्रोच्ड लैंड है जहाँ पर 90 हज़ार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे रूप से वहाँ ही घर मिलेंगे और फिर एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। यहाँ पर दो फायदे होते हैं कि एयरपोर्ट का विस्तार होगा तथा डिफैन्स के रूप से, सिक्योरिटी के रूप से, एयरपोर्ट के पास के नज़दीकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको दूर रखा जाए तो एयरपोर्ट मंत्रालय को भी इसका समर्थन होगा और जो झुग्गी झोपड़ियों में इतने सालों से रहने वाले लोग हैं, जिनके सिर पर अच्छा घर चाहिए, छत चाहिए, उनके लिए भी वहीं अच्छे रूप से घर बनें। इस एम.आई.ए.एल. के रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2006 में एच.डी.आई.एल कंपनी के साथ टाइ अप किया। उसको 2000 एकड़ के रूप में महाराष्ट्र गवर्नमैंट में भी मदद की और स्लम रीहैबिलिटेशन अथॉरिटी के रूप में उनको घर बनाने की इजाज़त दी। लेकिन जब घर बनाने की इजाज़त दी तो उसके बाद एच.डी.आई.एल. ने जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, वह नहीं किया और फिर एम.आई.ए.एल. और एच.डी.आई.एल. का मामला न्याय

प्रविष्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट से आर्बिट्रेशन में पहुँच गया। आज आर्बिट्रेशन में मामला तो पहुँच गया है लेकिन वहाँ इतने सालों से रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, एयरपोर्ट की सिक्यूरिटी बहुत महत्तवपूर्ण मुद्दा है, वह नहीं हो पा रहा है। एच.डी.आई.एल. ने जो ट्रांसफर ऑफ डैवलपमैंटल राइट्स होते हैं, जिसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से कमाया जाता है, उस एच.डी.आई.एल. कंपनी पर अभी बहुत सारी एफ.आई.आर. हुई हैं। उस एच.डी.आई.एल कंपनी ने टीडीआर तो ले लिया, बेच भी दिया और अपनी कंपनी को मुनाफा दिया।

महोदया, बस्तियों में रहने वाले 90 हजार गरीब लोगों में से 15 हजार लोगों को भी घर नहीं दिया। जिन प्रोजेक्ट्स से लोग प्रभावित होते हैं, उन लोगों के रहने के लिए घर दिए जाते हैं, जैसे अंधेरी में तीन-चार जगहों पर घर बनाने के लिए कहा था। ऐसे 15 हजार घर बने हैं, लेकिन अब तक लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिया गया है।

महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नवी मुम्बई में एयरपोर्ट बने। जब मैंने नवी मुम्बई की अभ्यासिका निकाली तो मुझे पता चला कि नवी मुम्बई के पहले चरण का इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते-होते वर्ष 2018 हो जाएगा। तब तक मुम्बई का जो बीजिएस्ट एयरपोर्ट है, उससे लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी तथा लोग चाहेंगे कि मुम्बई एयरपोर्ट का विस्तार हो। मैं सदन से अपेक्षा करती हूं कि महाराष्ट्र सरकार, एम.आई.ए.एल., एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस बीजिएस्ट एयरपोर्ट को ज्यादा महत्व दे। मुम्बई हमारी आर्थिक राजधानी है और इंटरनेशनल सिटी भी है। मुम्बई एयरपोर्ट ने 25 प्रतिशत जी.डी.पी. इस देश को दी है। मैं अपेक्षा करती हूं कि मुम्बई के लिए और मुम्बई के अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह से ध्यान दिया जाए और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को घर मिले।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्षा जी, मैं अपने आपको सुश्री पूनम महाजन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : महोदय, पुरातन काल में भारत में रहने वाले लोगों अपने शरीर पर जो कपड़ा पहनते थे, उसे बुनने का काम हिंदू जुलाहा और कोरी जाति के लोग करते थे, जिन्हें कबीरपंथी समाज

भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कोरी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है। कोरी जाति और जुलाहा जाति एक ही हैं, लेकिन जुलाहा जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि अन्य प्रदेशों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यहां तक कि जम्मू-कश्मीर में भी कोरी जाति और जुलाहा जाति को अनुसूचित जाति में माना गया है। वर्ष 1997 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब एक आदेश भी पारित हुआ था कि जुलाहा जाति को कोरी जाति के साथ सूचीबद्ध किया जाए। लेकिन राजनीति के चलते जो सरकारें बनीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन सरकारों ने जुलाहा जाति को उस सूची में से हटा दिया। आज जिन लोगों के नाम के आगे जुलाहा जाति लिखा हुआ है, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक रूप से इन पिछड़े लोगों को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि अनुसूचित जाति की अनुसूची में कोरी समाज के संग हिंदू जुलाहा और कबीरपंथी जुलाहा को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिल सकें और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. भोला सिंह, श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, देश के अनेक प्रदेशों में पिछले वर्षों में खनन के अंधाधुंध प्रयोग के कारण अनेक राज्यों ने अपने प्रदेशों में खनन पर प्रतिबंध लगाया है। खनन के प्रतिबंधों के कारण जहां पर्यावरण में फर्क पड़ा है, वहीं इस कारण एक समस्या भी पैदा हुई कि देश की विभिन्न नदियों में रेत का स्तर काफी बढ़ गया है, जिस कारण बाढ़ आना आम बात हो गई है। दूसरी तरफ नियमानुसार खनन न होने से रेत और बजरी के भाव भी आसमान को छूने लगे हैं। एक गरीब व्यक्ति के लिए घर बनाना एक सपना बन गया है। राज्य सरकारों व भारत सरकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत चलने वाली सभी योजनाओं का खर्च भी ईंट, रेत और बजरी के भाव बढ़ने के कारण डबल हो गया है।

महोदया, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए देश में एक पारदर्शी खनन नीति का बनाना अतिआवश्यक है, जो इनक्लूसिव होनी चाहिए न कि एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप देश के आम नागरिक का अपना घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदया , मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका प्रदान किया।

महोदया , मेरे पाली लोक सभा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में, हर गांव में प्राचीन काल से जो देव भूमि या ओरण भूमि कहलाती हैं, वे आरक्षित रखी जाती हैं। उस ओरण भूमि में किसी तरह का निर्माण या आबंटन नहीं होता है। उस ओरण भूमि का फायदा यह है कि वह गांव व किसान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है क्योंकि वहां पशु-पक्षी और जितने भी जीव-जंतु हैं, वे चाहे जंगली हों या पालतू हों, वे उसमें विचरण करते हैं। लेकिन, धीरे-धीरे पिछले साठ वर्षों में इस ओरण भूमि को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उसमें अंग्रेजी बबूल पैदा हो गए हैं, वे अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं और जगह-जगह प्रत्येक स्थानीय निकायों ने उस भूमि का आबंटन शुरू कर दिया है। इससे पर्यावरण असंतुलित हो गया है और जो उसमें वाटर बॉडीज़ और तालाब हैं, उनके कैचमेंट एरिया ऑब्सट्रक्ट हो गए हैं। इससे धीरे-धीरे वहां की वनस्पति, पशु-पक्षी और जंगली जानवर लुप्त होते जा रहे हैं।

मैं पर्यावरण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन को आम जनता महसूस कर रही है। मेरे पाली लोक सभा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में, जहां कहीं भी ओरण् भूमि हैं, देव भूमि हैं, उनके पर्यावरण के घटने और उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं, उन्हें उठाने के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी द्वारा उठाए गए विषय से श्री सुमेधानन्द सरस्वती और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष महोदया, गत तीन-चार सालों से महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में जो अकाल की स्थिति पैदा हुई है, उस सूखे के कारण विदर्भ, महाराष्ट्र और मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में युवा किसान बहुत बड़ी संख्या में खुदकुशी कर रहे हैं। पिछले तीन सालों से किसानों ने बैंकों से फसल के लिए जो ऋण लिया है, प्रत्येक वर्ष वहां अकाल घोषित होने से उन ऋणों के हफ्ते गिराकर प्रत्येक वर्ष वहां पर नया ऋण किसानों को दिया जा रहा है। आज की स्थिति ऐसी है कि किसानों के पास जो भी प्रॉपर्टी या खेती है,

उससे भी ज्यादा उनके ऊपर बैंकों के ऋण हो गए हैं। इन्हें वे कैसे देंगे, यह सोच कर ही वहां के युवा किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिन किसानों ने वहां पर आत्महत्या की हैं, जिन पर बैंकों के फसल ऋण अभी तक लाखों की तादाद में हैं, उन्हें माफ किया जाए। जो पशु धन हैं, उनके लिए चारा न होने से किसान लोग उन्हें बाज़ारों में बेच रहे हैं, लेकिन दूसरे किसान उन्हें लेने को तैयार नहीं हैं। इसके कारण ये सब पशु धन को कसाई लोग लेकर उसे कसाईखानों में ले जाकर काट रहे हैं। एक तरफ तो हम गौ माता को बचाने के लिए कानून लाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारा यह जो पशु धन है, उसका वहां पर खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। उसके लिए भी सरकार को उन किसानों की मदद करने की आवश्यकता है।

महोदया, अभी किसानों के पास जो थोड़ा-बहुत पानी है, उससे अगर अच्छी बिजली हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में दी जाती है और जो जले हुए ट्रांसफॉर्मर हैं, जो एक-एक महीने से नहीं बदले जा रहे हैं, अगर वे ट्रांसफॉर्मर उन क्षेत्रों में दो दिनों में बदल कर मिलें तो किसान वहां पर थोड़ा-बहुत चारा पैदा कर सकते हैं, अपने पशु धन को बचा सकते हैं, और थोड़ी तादाद में उनकी फसल भी हो सकती है। इसकी तरफ केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन में अपनी परिवाद व्यक्त करने के लिए आपसे केवल तीन मिनट का अनुरोध करता हूं।

मैं, आपका और पूरे सभा का ध्यान, एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले उद्योग अर्थात् जूट मिल के समक्ष उत्पन्न गंभीर संकट जिसके परिणामस्वरूप कमाई की हानि के साथ-साथ लगभग पैंतीस लाख जूट उत्पादकों की आजीविका को क्षति पहुंच रही है, जिसमें से अधिकतर मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। लगभग दो लाख जूट श्रमिकों ने 26 जून को पश्चिम बंगाल की सभी जूट मिलों में एक दिन की हड़ताल के माध्यम से ऐसी स्थिति के विरुद्ध अपने विरोध और शिकायतों को आवाज दी।

महोदया, इस संकट के कारण पश्चिम बंगाल में लगभग 58 जूट मिलों ने अपने उत्पादन में भारी कटौती की है या इन्हें बंद कर दिया है। इस संकट के मुख्य कारणों में से एक जूट पैकेजिंग अधिनियम को लगातार कमजोर किया जाना है और जूट पैकेजिंग को इस तरह से कमजोर किया जाना केंद्र में एक के बाद एक सभी सरकारों द्वारा लगातार किया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने कथित तौर पर अगले दो से तीन वर्षों में पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया जो जे.पी.एम .अधिनियम के ताबूत में अंतिम कील लगाने की तरह है।

चीनी के लिए जूट पैकेजिंग को अनिवार्य बनाया जाना, धीरे-धीरे वर्ष 2009-2010 में 100 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2013-2014 में 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय बाजार में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर जूट की बोरियों की डंपिंग भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क में छूट के साथ पहले ही 1.45 लाख टन तक पहुंच चुकी है। अब भी, केंद्र सरकार ऐसे आयात के खिलाफ कोई भी डंपिंग रोधी उपाय शुरू करने हेतु अनिच्छुक है।

इसके अलावा, 35 लाख पटसन उत्पादकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि एम.एस.पी. पर कच्चा जूट खरीदने के लिए जे.सी.आई. के 171 विभागीय खरीद केंद्र हैं लेकिन जूट किसानों को हमेशा जे.सी.आई. से खराब अनुभव का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष भी पटसन किसान अपना उत्पादन केवल रु. 1600 प्रति क्विंटल की दर से बेचने के लिए मजबूर हैं जबकि जूट का एम.एस.पी. 2400 रु. प्रति क्विंटल है। मैं जानना चाहता हूं कि जे.सी.आई. को जूट कहां से खरीदना है।

महोदया, अंत में मैं कहना चाहता हूँ, दो लाख जूट श्रमिकों और 35 लाख जूट उत्पादकों को बचाने के लिए, हमें बांग्लादेश से जूट की बोरियों का आयात करना बंद कर देना चाहिए और हमारे देश के जूट श्रमिकों और जूट उत्पादक को बचाने के लिए चीनी और खाद्यान्नों के लिए शत प्रतिशत जूट पैकेजिंग को अनिवार्य कर देना चाहिए। धन्यवाद, महोदया।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, भागलपुर लोक सभा क्षेत्र जो बिहार ही नहीं पूरे देश के मानचित्र पर है। भागलपुर जहां कोसी और गंगा दोनों नदी अ्वस्थित हैं, विगत पांच-सात वर्ष से उनसे भारी कटाव वहां पर हो रहा है। विक्रमशिला के अपस्ट्रीम में राघवपुर गांव है और डाउनस्ट्रीम में इस्माइलपुर, बिंगटोली, सैदपुर गांव हैं, जहां भारी कटाव हो रहा है। कोसी नदी पर मदरौनी, सौहरा कट चुके हैं और अब वह रेलवे लाइन को प्रभावित करेगा। पिरपैती में रौनीदेड़ा, टोफिल, अन्ठाबन, इस तरह से पूरे भागलपुर में, जो गंगा, कोसी के किनारे पर अवस्थित् है, भयंकर कटाव है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों लोक सभा में मैंने इस विषय को उठाने का काम किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां चूंकि जनवरी में काम शुरू होना है, तभी यह काम पूरा हो सकेगा। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस काम को कराने का निश्चित रूप से आदेश दिया जाए कि समय रहते इस पूरे काम को पूरा कर लिया जाए।

पिछले पांच-सात वर्ष से बहुत भयंकर कटाव हो रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उस कटाव में, जहां राघवपुर स्थित है, वहां हमारा घर भी है। हमारा घर भी अगर कटाव की चपेट में आएगा तो फिर इस सभा की, जो देश की सर्वोच्च सभा है, उसकी भी कहीं न कहीं बदनामी होगी। मैं चाहूंगा कि विभाग को निर्देशित किया जाए ताकि निश्चित रूप से वह काम समय रहते जनवरी-फरवरी में शुरू हो जाए।

श्री सुभाष पटेल (खरगौन) : अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र खरगौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत झिगड़ी, मऊ-खंडवा रेल मार्ग पर स्थित है। रेल मार्ग होने से ग्राम की जनता को रेलवे क्रासिंग करने में भारी दिक्कत होती है। उक्त मार्ग पर रेलवे फाटक न होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मेंत्री जी से आग्रह करता हूं कि रेल मार्ग पर रेलवे फाटक लगाने के आदेश प्रदान करें, ताकि जनता को मार्ग में आवाजाही करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदया, मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बिहार राज्य के सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया परिमण्डल में किसान मक्के की खेती प्रचुर मात्रा में करते हैं। मक्के की खेती पर आने वाली लागत के अनुरूप किसानों को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मक्का उत्पादित इस क्षेत्र में उसके रख-रखाव का कोई उचित प्रबन्धन भी नहीं है। सीमांचल क्षेत्र में कोई उद्योग-धंधा नहीं रहने के कारण आम जनता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। यहां के युवक और युवतियां पढ़-लिखकर बेरोजगारी की समस्या के कारण देश के बड़े शहरों में रोजगार पाने के लिए ठोकरे खा रहे हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में मक्के पर आधारित कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए ताकि इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार मिल सके और यहां के मक्का किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाया जाए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, यह सच है किसी देश का ग्रोथ रेट वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। लोगों का स्वास्थ भी देश की पूंजी है। मैं समझता हूं कि अगर देश की ग्रोथ रेट बढ़ानी है तो स्वास्थ्य चिकित्सा पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मुझे इस बात का दुःख है कि पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हमारी जी.डी.पी. का मात्र 1.1 प्रतिशत ही उस पर खर्च होता रहा है। जबकि चाइना जैसे देशों में उस पर जी.डी.पी. का 4 प्रतिश्त से आधिक और अमेरीका जैसे देशों में 15 प्रतिशत से आधिक खर्च होता है। इसलिए हमारा सर्वाइवल रेट बहुत कम है, जैसे लीवर की बीमारियों में यह 4 प्रतिशत है, कैंसर में यह बहुत कम है। अमेरीका में सर्वाइवल रेट 50 प्रतिशत से भी अधिक है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने "न्यू इंडिया टॉपअप हेल्थ प्लान चीपेस्ट', स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरैंस स्कीम इंट्रोड्यूंस की है। उसमें 43 वर्ष के लोगों को लिया गया है और 60 वर्ष वाले लोगों में से 1.6 प्रतिशत लोगों को लिया गया है, जबकि यह जरूरत उनकी है। 60 वर्ष के बाद ही स्वास्थ्य चिकित्सा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन जिनको यह जरूरत है उनको यह नहीं मिलती है। हेल्थ इंश्योरैंस स्कीम कंप्रीहैंसिव होनी चाहिए। वह समाज

को बांटने वाली नहीं होनी चाहिए। वह उम्र या बी.पी.एल. के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर वह कंप्रिहैंसिव होगी तो सबको लाभ पहुंच पाएगा।

मैं, सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उसने जेनरिक मेडिसिन इंट्रोड्यूस की है। आयुर्वेद की दवाइयां हमारे कॉलेजेज में होनी चाहिए और अस्पतालों में भी होनी चाहिए, उनका प्रचार भी होना चाहिए ताकि गरीब लोग सस्ता इलाज करा पाएं। यह मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : अध्यक्ष महोदया, आज देश में जंगलों का काफी एरिया है। बहुत से किसानों की खेती जंगलों के आस-पास होती है। जंगलों से जंगली जानवर आकर उनके खेतों में भ्रमण करते हैं। जब उनके खेतों में फसल उगते हैं तो जंगली जानवर खेतों में घुसकर, उन्हें खा जाते हैं एवं पूरे खेत को तबाह कर देते हैं, जिससे किसानों पर बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि जंगल को तार से फैंसिंग करें या किसान भाइयों को सब्सिडी के रूप में मदद दें या उन्हें आर्थिक मदद दें, जिससे हमारे किसानों को लाभ हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, दामिनि और निर्भया बलात्कार केस के बाद दिल्ली और देश में 35.8 प्रतिशत बलात्कार की घटनाएं बढ़ीं है। लुधियाना के जमालपुर गांव में बिहार की एक बच्ची के साथ 5 आदमियों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसे जला दिया गया। वह 80 प्रतिशत जल गई है। उसी तरह हरियाण के अटेली में एक लड़की, जो 9 वर्ष की थी, के साथ 5 पूंजिपतियों ने ब्लेड से चीरकर उसके साथ बलात्कार किये । सरकार ने उसे 50 लाख रुपए देने की बात कही है। इस घटना के कारण लगातार हरियाणा बंद रहा। उस परिवार में यह मात्र एक ही बच्ची थी, उसे मार दिया गया

अध्यक्ष महोदया, आप खुद समझती हैं कि देश में महिलाएं कैसे असुरक्षित है? यहां की कैब घटना के बारे में गृहमंत्री जी ने उत्तर दिया है। यह आतिसंवेदनशील मामला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि दिल्ली जैसी घटना लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं कब रूकेंगी? इस देश की महिलाएं कैसे सुरक्षित हों? 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, उसकी इंक्वायरी हो। बिहार की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, उन पर सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए मैडम आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हो। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी): महोदया, मुझे कृषि भूमि के संबंध में एक मुद्दा उठाना है। पिछले 10 से 15 वर्षों से यह देखा गया है कि पूरे देश में कृषि भूमि को किसी भी तरह बेचा या छीना गया है।

भूमि एक ऐसी वस्तु है जो विश्व सृजन के समय ईश्वर ने दी है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है लेकिन भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे राज्य असम में भूमि का बेचना और उसका अतिक्रमण बेरोकटोक चल रहा है। ग्रामीण आबादी का मुख्य आधार कृषि है। कृषि भूमि के विक्रय और हड़पने के कारण कृषि उपज तेज़ी से कम होती जा रही है।

असम के विभिन्न भागों में, विशेषरूप से, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों - पलासबाड़ी, सोयागांव, बाको, दिसपुर - भूमि छीन ली गई है। इन गरीब लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है और अपनी ज़मीन बेचकर वे कंगाल हो गए। यद्यपि, भूमि समवर्ती सूची में है फिर भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को बचाया जा सके।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मुंबई शहर में पानी की कमी के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

यह सोचना बहुत दर्दनाक है कि मुंबई के एक तटीय शहर में पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। यह कोई प्राकृतिक समस्या नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों के योजना न बनाने और कुप्रबंधन की वजह से पैदा हुई है।

महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2010 में प्रस्तावित पिंजल बांध में अधिशेष दमन गंगा जल के हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की सरकारों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रस्तावित पिंजल बांध दमन गंगा से पिंजल में अनुमानित 1,586 मिलीलीटर पानी अंतरित करेगा। मुंबई को कुल 2,451 एमएलडी पानी मिलेगा। प्रस्तावित परियोजना में भुगड़ और खड़गिहिल में दो बांध बनाए जाएंगे। सुरंगों को जोड़कर पानी पिंजल में अंतरित कर दिया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत करीब एक 2,747 करोड़ रुपये है। कार्य को राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, भारत सरकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

महोदया, यह परियोजना बृहन्मुंबई में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ इस लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। पिंजल परियोजना के लिए एमसीजीएम को केंद्र सरकार द्वारा पचास प्रतिशत वित्तपोषण प्रदान किया जाए। इसके अलावा, इस परियोजना को केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा जल्द पूरा करने के लिए निष्पादित किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति है।

§**श्री सी. महेंद्रन (पोल्लाची) :** माननीय अध्यक्ष महोदया। *पुराचिथल्वै* अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में, पालानी और पोलाची के बीच ब्रॉड गेज परिवर्तन कार्य पूरा कर लिया गया है। माननीय *पुराचिथल्वै* अम्मा ने पोलाची से पालक्काड़ और पोलाची से पोथनूर के बीच रेलवे लाइनों के ब्रॉड गेज परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं, माननीय रेल मंत्री से आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा आग्रह करता हूँ। *पुराचिथल्वै* अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने,जहां बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य पूरा हो गया है, पोलाची से रेल सेवाएं शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। पालानी से चेन्नई के लिए संचालित पलानींदावर एक्सप्रेस रेल को पोलाची से चेन्नई तक संचालित किया जाए। 'अम्मा एक्सप्रेस' नाम से नई रेल सेवा पोलाची और चेन्नई के बीच चलाई जाए। एक नई रेल सेवा, आनमलाई एक्सप्रेस, पोलाची से बेंगलुरु तक चालू होनी चाहिए। पोलाची शहर में माननीय *पुराचिथल्वै* अम्मा के शासन के दौरान तेजी से विकास हुआ है। इस पोलाची शहर में यातायात की भीड़-भाड़ के मुद्दे का समाधान करने के लिए, बेहतर रेल संपर्क प्रदान करने के लिए नई रेल सेवाओं को शुरू किया जाना चाहिए। मेरी प्रिय नेता माननीय *पुरचिथलाईवी* अम्मा अमर रहें।

धन्यवाद।

(हिन्दी)

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो देश का दूसरा सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। इसकी तीन जनजातीय क्षेत्रों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। चीन भारतीय सीमा क्षेत्रों के साथ लगते सड़क व रेल निर्माण कार्य पूर्ण कर चुका है जबकि भारतीय क्षेत्र का आधारभूत ढांचा न के बराबर है। सीमा पर चीन का विस्तृत एवं मजबूत आधारभूत ढांचा देखकर इस क्षेत्र के लोग हीन भावना से ग्रस्त होते जा रहे हैं क्योंकि मैं स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा करके आया हूं।

§ मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अत: मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सीमावर्ती क्षेत्र में शीघ्र सड़क व रेल निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। चीन आधिकृत तिब्बत से सटी सामरिक महत्व की पांच सड़कों पर वन विभाग ने रोक लगा दी है और फॉरेस्ट क्लीयरेंस न मिलने से इनका विस्तारीकरण रुका पड़ा है जबकि इन्हीं सड़कों द्वारा सेना की रसद खाद्य सामग्री तिब्बत बार्डर तक पहुंचाई जाती है। वर्ष 2006 में चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में 72 सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली लेकिन वर्ष 2010 तक केवल 9 ही पूरी हो पाई हैं। इनके निर्माण में पर्यावरण मंजूरी न मिलना और प्रशासनिक शिथिलता सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिसको तत्काल दूर किया जाए और सड़कों का निर्माण युद्धस्तर पर किया जाए। दूसरा जनजातिय क्षेत्रों में छह महीने तक बर्फबारी होने के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं तथा दूरसंचार सेवाएं भूस्खलन के कारण ठप हो जाती हैं इसलिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए सेटेलाईट सेवा प्रदान करने की कृपा करें

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : महोदया, आपने एक बड़े सिरियस मैटर पर बोलने का मौका दिया है। पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से इंडियन आर्मी और बी.एस. एफ पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें काफी नौजवान हमारे देश के मारे गए। हमारे नौजवान देश की रक्षा की खातिर अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर इंनिश्यटिव ले रहे हैं, उनकी मीटिंग भी हुई है किन्तु उसका कोई सार्थक रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा आतंकवादी हमले होते हैं। क्या हमारी सरकार उससे सख्ती से नहीं निपट सकती। अगर इससे सख्ती से निपटा जाएगा, तभी हम बच सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को कम्पन्सेंट किया जाए, इम्पलायमेंट और मुआवजा दिया जाए। मेरे एरिया का एक नौजवान अफगानिस्तान में आतंकवादी हमला में मारा गया, अभी तक उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिला है।

08.12.2014

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): अध्यक्ष महोदया, मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाने की अनुमति देने पर मैं आपका आभारी हूँ। मैं, महात्मा गांधी उद्योग खत्री योजना के तहत कर्नाटक की राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी करने में हुए विलंब का मामला उठाना चाहता हूँ।

महात्मा गांधी उद्योग खत्री योजना यूपीए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दो माह पूर्व, अर्थात, 14 अक्तूबर, 2014 को, कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि 2,204 करोड़ रुपये की राशि, जो दूसरी किस्त के रूप में एक शेष है, अभी तक केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गई है।

इसलिए, मैं ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर कर्नाटक सरकार को दूसरी किस्त की 2,204 करोड़ की राशि रुपये जारी करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा, श्री डी. के., सुरेश, श्री बी. एन. चन्द्रप्पा, को श्री आर. ध्रुवनारायण द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के साथ को संबद्ध करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया (अमरेली): महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश का सबसे ज्यादा समुद्री किनारा 1640 किलोमीटर गुजरात में हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेरे क्षेत्र अमरेली के चार तहसील में है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे मछुआरे जो मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, उनको बॉर्डर का पता नहीं है, एरिया का पता नहीं होता है, इसलिए उनको पाकिस्तानी मरिन पुलिस पकड़ लेती है, उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जो यातनाएं दी जाती हैं, वह हम जानते हैं। आज अनेक सालों से पाकिस्तान की जेलों में हमारे यहां गुजरात और खासकर मेरे क्षेत्र के मछुआरे जेलों में पिछले अनेक सालों से सड़ रहे हैं। मैं भारत सरकार से उनको छुड़वाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मछुआरों की वोट जो बैंक लोन से ली जाती हैं या साहूकारों से ब्याज पर लिया जाता है। एक वोट की कीमत लगभग 50-60 लाख रुपये होती है, वह भी सड़ रहा है। मैं

भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इन मछुआरों को छुड़वाया जाए और उन्हें परिवार के मिलाया जाए, जिससे वह अपने परिवार के साथ रह सके।

अपराह्न, 13.00 बजे

डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़-छत्तरपुर में ओरछा धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां ऐतिहासिक किले हैं, पुरातत्व का महत्व रखने वाले मंदिरों की श्रृंखला है और भगवान राम का धार्मिक महत्व रखने वाला मंदिर है। यहां पूरे देश से बड़ी संख्या में धर्मालु और विदेशों से पर्यटक आते हैं। अक्तूबर माह से लेकर फरवरी माह के अंत तक वहां होटलों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। इन पर्यटकों को ओरछा आने-जाने के लिए झांसी से खजुराहो ट्रेन चलती है, उसका और किसी भी एक्सप्रैस ट्रेन का वहां स्टापेज नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओरछा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ यहां से निकलने वाली बुन्देलखंड एक्सप्रैस, उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांति, तुलसी एक्सप्रैस, उदयपुर-खजुराहो पर्यटन केन्द्र को जोड़ने वाली ट्रेनों का ओरछा स्टेशन पर स्टापेज किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों झारखंड और जम्मू-कश्मीर में अनेकों सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए। मेरी लोकसभा और हरियाणा के तीन जवानों ने इस देश में सुख-शांति रखने के लिए अपना बलिदान दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि एंटी टेरोरिस्ट और नक्सल एक्टिविटीज के अगेन्स्ट हम जिस तरह की पालिसी फार्मेशन की बात करते रहे हैं, उस पर सरकार जल्द से जल्द गंभीरता के साथ कदम उठाये। हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वह एक ऐसी पालिसी लाये या फिर आल्टरनेट कोई ट्रीट्री दूसरे देशों के साथ करे, जिससे हम अपने जवानों को सुरक्षा और बेहतर इक्विपमैंट्स दिलवा पायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग , यानी 70 से 80 प्रतिशत भाग गांव में रहता है। लेकिन जब से कोरियर सेवा शुरू हुई है तब से संचार मंत्रालय

के अन्तर्गत देश के लगभग 1 लाख 55 हजार डाकघरों की हालत बहुत खराब है। कहीं डाकघर का भवन नहीं है और अगर भवन है तो कर्मचारी नहीं हैं। सरकार की तरफ से इस पर ध्यान न देने के कारण उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदया, मैं कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जिसे 4 अप्रैल,1997 को इलाहाबाद से अलग करके एक अलग जिला बनाया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वहां पर एक हैड पोस्ट आफिस भी नहीं है, जिस कारण वहां डाक समय से नहीं पहुंच पाती।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के संचार मंत्रालय से मांग करना चाहता हूं कि देश में जितने भी डाकघर हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें आप सुदृढ़ करें और मेरे चुनाव क्षेत्र में एक हैड पोस्ट आफिस खोलने की कृपा करें।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं बड़े अदब से सरकार और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पंजाब और देश के अलग-अलग भागों में हजारों ऐसे कैदी हैं, जो अपनी पूरी सजा भुगतने के बाद, यानी दस-पन्द्रह वर्ष बाद भी जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। इस बारे में पंजाब में दो बार मरण व्रत भी रखा गया। पहले मोहाली में और अब अम्बाला में रखा गया। यह काफी गंभीर और चर्चित मुद्दा है।

मैं सरकार से विनती करता हूं कि पंजाब के ऐसे तमाम लोग, हिन्दुस्तान के तमाम लोग, जो अपनी सजा भुगत चुके हैं, उसके बावजूद भी वे जेलों में सड़ रहे हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं यह सवाल 15 करोड़ आम जनता, हजारों वकीलों और देश की हायर ज्यूडिशएरी की तरफ से उठा रहा हूं। लोग कहते हैं कि [अनुवाद] न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। (हिन्दी) अगर हम न्याय में देरी करते हैं, तो न्याय नहीं मिलता। इसी प्रकार कहा जाता है कि [अनुवाद] महंगा न्याय एक अभिशाप है; और यह ग्रामीण/आम आदमी को तबाह कर देता है। (हिन्दी) हमारी 20 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उसकी एक ब्रांच वर्ष 1948 में

अवध में बनी थी, जो केवल मात्र 12 जिलों के लिए है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की स्ट्रैन्थ है, जबकि उसमें अभी केवल 80 जजेज ही हैं। जिस प्रकार से हार्ड ज्यूडिशएरी में जजेज जाते हैं, उसी तरह वर्ष 2012 में वहां से 15 जजों की संस्तुति हुई थी, जिसमें से केवल मात्र 9 जजेज ही सलैक्ट हुए। इससे पूरे देश की ज्यूडिशएरी अफैक्ट होती है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार और लॉ मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं इसलिए मेरठ, आगरा, बनारस और गोरखपुर चार और बैंचिज़ बनाई जाएं। अवध केवल 12 जिलों को कवर करता है। इलाहाबाद मेन हाईकोर्ट है, इसके अंतर्गत 15 जिले रखे जाएं और अन्य जगह 12 जिले रखे जाएं। इससे आम आदमी को न्याय मिलने में सुविधा होगी।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तीन बैंचिंज़ हैं जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है, यहां केवल एक बैंच है। इन सभी जगहों पर मेरठ का स्थान देश के इतिहास में सर्वोपरि है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। मेरा निवेदन है कि इसे ध्यान में रखते हुए मेरठ में सबसे पहले बैंच स्थापित की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भोला सिंह को डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदया, मैं आपके माध्यम से यूपीए सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों की जबरदस्त मांग पर माननीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यूपीए सरकार के दौरान, ईएसआई योजना में शामिल होने के लिए ईएसआईसी बोर्ड ने वेतन सीमा 15,000 से 25,000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया था।

यदि निर्णय लागू हो जाता है, तो अनुमान है कि लगभग 25 लाख नए कर्मचारी, ईएसआईसी के दायरे में आएंगे और इस प्रकार, उन्हें सामाजिक सुरक्षा का कवच मिलेगा। जबकि, हम अधिक कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा कवर देने के मामले में बात कर रहे हैं, वेतन सीमा में वृद्धि, कर्मचारियों, श्रमिकों और उनके

परिवारों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। यह न केवल चिकित्सा बीमा के संदर्भ में, बल्कि अन्य सामाजिक सुरक्षा कवर के संदर्भ में भी उन्हें लाभान्वित करेगा।

लेकिन मंत्रालय ने एक वर्ष बाद भी निर्णय अधिसूचित नहीं किया है। यह मंत्रालय के विलंब के कारण है। महोदया, 25 लाख श्रमिक ईएसआई योजना के तहत नहीं आ रहे हैं क्योंकि मंत्रालय ने अधिसूचना जारी नहीं की है। मजदूरी की सीमा बढ़ाए जाने के कारण हज़ारों पत्रकार भी ईएसआई योजना के तहत आएंगे।

मैं, माननीय श्रम मंत्री और सरकार से इस अधिसूचना को जारी करने और इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। धन्यवाद, महोदया।

(हिन्दी)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार देश और दुनिया का अध्यात्म हृदय कहा जाता है। यहां पिछले दिनों लगातार घटनाएं हो रही हैं, इससे संपूर्ण क्षेत्र आहत है और दहशत में है। 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद् के बड़े आयोजन से ठीक 50 मीटर दूरी पर एक भीषण बम विस्फोट हुआ। इसमें एक बच्चे की जान गई जिससे पूरा क्षेत्र दहशत में है।

मैं कहना चाहता हूं कि सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दो देश की सीमाओं से जुड़ा है। देश की सीमाओं की बड़ी घटना में शायद ही इस क्षेत्र का नौजवान शहीद नहीं होता होगा। इस सामरिक क्षेत्र में माओवाद की घटनाएं हो रही हैं और आतंकी गतिविधियां शुरु हो रही हैं। यहां वर्ष 2016 में कुंभ का मेला होना है। मेरा विनम्र निवेदन है कि तत्काल जांच करके ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

08.12.2014

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही, अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है।

<u>अपराह्न13.08 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

08.12.2014

अपराह्न 14.12 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न दो बजकर दस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

(एक) वन विभाग और रेल विभाग की अनुप्रयुक्त भूमि को खेतिहर मजदूरों को खेती के लिए प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान भूमिहीन व खेतिहर मज़दूरों की दयनीय अवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर भूमिहीनों व खेतिहर मज़दूरों की बहुत बड़ी तादाद है जिस कारण उनके समक्ष रोज़ी-रोटी की समस्या व आर्थिक तंगी हर समय बनी रहती है जबकि हमारे देश में वन विभाग के पास बहुत बड़ी मात्रा में करोड़ों एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें मात्र या तो कटीले पेड़ गिने-चुने स्थानों पर लगाये गये हैं या यह वन विभाग के नाम पर खाली पड़ी है जिसका जनहित में कोई उपयोग नहीं होता। इसी तरह रेलवे लाइन के किनारे-किनारे भी पूरे देश में लाखों एकड़ भूमि पड़ी है जिसमें अच्छी खासी फसल पैदा की जा सकती है। यदि उक्त भूमि का आवंटन खेती करने के लिए भूमिहीनों व खेतिहर मज़दूरों को फसल बोने के लिए आवंटित कर दिया जाए तो करोड़ों भूमिहीनों व खेतिहर मज़दूरों की जिन्दगी संवर सकती है और उक्त बेकार पड़ी भूमि का सही उपयोग भी हो सकता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि रेलवे विभाग व वन विभाग में खाली पड़ी भूमि को भूमिहीनों व खेतिहर मज़दूरों को फसल बोने हेतु आवंटित किया जाए।

(दो) बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं प्रदान किये जाने तथा स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दरभंगा (बिहार) 'ए 1' श्रेणी रेलवे स्टेशन होने के बावजूद भी यहाँ 'ए 1' श्रेणी की सुविधाएं स्टेशन पर उपलब्ध नहीं हैं। स्टेशन पर साफ-सफाई की व्यवस्था दयनीय है। शौचालयों की सफाई तो कल्पना से परे है। स्टेशन परिसर में व्यापक वाहन पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण स्टेशन के बाहर जाम की स्थिति बनी रहती है। स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेटल डिटेक्टर का अभाव है तथा आधिकतर खराब स्थिति में हैं। सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी सदैव नदारद रहते हैं। सी.सी. टी.वी. कैमरे उपयुक्त मात्रा में नहीं है। दरभंगा स्टेशन से निकले पानी की निकासी का समुचित समाधान न होने के कारण दरभंगा शहर वार्ड संख्या 17 में सदैव पानी भरा रहता है जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक छोटे-छोटे रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पर पेयजल, शौचालय, रोशनी की व्यवस्था का अभाव है तथा क्षेत्र के अन्तर्गत बने अनेक समपारों के दोनों तरफ की सड़कों की स्थिति दयनीय है।

(तीन) सभी पात्र कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों को 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा**)** महोदय**,** मार्च**,** 2013 के सर्वे के अनुसार कुल 44 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या की जानकारी मिली है जबकि कुल 44 लाख लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनने के 100 दिन में एक हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की जिससे 28 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी कारण से लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए जो पूर्व में एक कमेटी सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में बनाई थी, उसने जो सिफारिश की है, उसे लागू करने की कृपा करें जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अहम भागीदारी निभायी है, उनका रखरखाव करना हम सबका फर्ज है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिनकी देखभाल एवं रखरखाव हेतु एक हजार रुपये पेंशन लागू की गयी है, उसे कर्मचारियों के हित में शीघ्र बढ़ाया जाए।

(चार) समाचार चैनलों में कार्यरत कर्मचारियों, जो बेरोजगार हो गये हैं अथवा देश में छटनी की आशंका का सामना कर रहे हैं, को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, देश के अंदर चल रहे कुछ लोकप्रिय चैनल जैसे पी7न्यूज, पल्र्स-मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पल्र्स-हरियाणा, जिया न्यूज, 4रियल न्यूज, आजाद न्यूज, जी.एन.एन. न्यूज, श्री न्यूज, भास्कर न्यूज, सहारा इत्यादि चैनलों में काम करने वाले कर्मचारियों से जानकारी मिली है कि इनमें से अनेक चैनल बंद हो गए हैं या कुछ चैनल के कर्मचारियों को तीन-चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है तथा कुछ कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। इन चैनलों में काम करने वाले मीडियाकर्मियों का परिवार इसी वेतन पर आधारित है और उन परिवारों की स्थिति दयनीय हो गयी है। देश में चैनल प्रारम्भ करते समय तीन करोड़ रुपये की सुरक्षा निधि ली जाती है पर बंद करते समय कोई शर्त या नियम नहीं है।

राष्ट्रीय स्तर पर एन.बी.ए.-न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एवं बी.इ.ए.-ब्रॉडकास्ट एडीटर एसोसिएशन नाम की दो संस्थाएं हैं, लेकिन वे उन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। इस भयावह स्थिति के बावजूद मीडिया बेरोजगार हुए हजारों तकनीशियन एवं बौद्धिक पत्रकार श्रमिकों का पक्ष रखने में विफल रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस संबंध में कोई वैकल्पिक एवं तात्कालिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि अचानक बेरोजगार बनाने वाली संस्थाओं, चैनलों एवं चैनल मालिकों को रोका जा सके।

(पांच) देश में सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के समुचित संचालन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदय, देश के बड़े शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सरकार की सहायता से लगाए गए और उन्हें बाद में नगर निगम को संचालन के लिए सौंप दिया गया। उनकी हालत बहुत ही खराब है और उनका रखरखाव भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, यहां तक कि अनेक निगमों और नगरपालिकाओं ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया ही नहीं और कचरा सीधे नदी में गिरा रहे हैं। नदियों के सफाई आभियान वा कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक कि बड़े शहरों में प्लांटों को दुरुस्त नहीं किया जाता और इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती कि नदियों में बिना शाधन के पानी न गिराया जाए।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि देशभर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों की हालत सुधारी जाए और वह ठीक ढंग से कार्य करें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(छह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बूचड़खानों, जिनकी वजह से क्षेत्र की लोन नदी प्रदूषित हो रही है तथा लोगों को गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है, को बंद किए जाने की आवश्यकता

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : महोदय, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश में टेनरियों व बूचड़खानों के कारण लोन नदी भयंकर रूप से प्रदूषित है। बूचड़खानों के मलबे से लोन नदी लबालब भरी है। लोन नदी से लगे नालों से पानी शहर की गलियों में घुस जाता है, छोटी सी वर्षा से उन्नाव नगर डूबने लगता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, दूषित जल घर में घुस जाता है तथा जाम लग जाता है। सरकार गंगा को निर्मल, अविरल बनाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध है, परन्तु जनपद उन्नाव में लोन नदी की स्थिति भयानक है तथा लोन नदी के मलबे में फंसकर पशु मर जाते हैं, जल दूषित हो रहा है। अतः लोन नदी की तत्काल सफाई का कार्य कराया जाए व उन्नाव में मेरे साथ केन्द्र सरकार की टीम भेजी जाए। यहां स्थित चमड़ा फैक्ट्री या अन्य किसी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जिससे फैक्ट्रियों से निकलने वाला कैमिकलयुक्त पानी तथा बूचड़खानों से निकलने वाला खून 12 इंच बोर से जमीन के अंदर जाता है। दूषित जल पीने से उन्नाव में विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि लोन नदी की सफाई कराई जाए और सभी फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट आनिवार्य किया जाए और बूचड़खाने बंद किए जाएं क्योंकि इन बूचड़खानों का पूरा मांस विदेशों को निर्यात किया जाता है। जब दुधारु पशु काट दिए जाएंगे तो सरकार की श्वेत क्रान्ति का लक्ष्य कैसे पूरा होगा।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : केवल अनुमोदित विषय वस्तु ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जाएगी और अन्य चीजें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएंगी ।

08.12.2014

(सात) उत्तर प्रदेश में झाँसी-मनिकपुर तथा बाँदा-कानपुर रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा इन मार्गों पर चलने वाली रेलों के फेरे बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली एकमात्र रेलवे लाइन झांसी मानिकपुर में दोहरीकरण न होने से मेरे संसदीय क्षेत्र के यात्रियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां क्रॉसिंग की समस्या के कारण काफी समय लेती हैं तथा लेट होती हैं। नई ट्रेनें भी जब हम मांगते हैं तो सिंगल ट्रेक कहकर वहां की उपेक्षा होती है।

अतः सदन का ध्यान इस ओर दिलाते हुए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सबसे पुराने झांसी मानिकपुर मार्ग तथा बांदा कानपुर मार्ग को शीघ्र गी दोहरीकृत कराने को इसी बजट में धन उपलब्ध कराकर उसे शीघ्र पूरा कराने तथा तब तक यात्रियों को तत्काल राहत हेतु इन दोनों लाइनों पर चलने वाली सभा ट्रेनों के फेरे बढ़ाकर नियमित कराने की वृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अशोक कुमार दोहरे - उपस्थित नहीं।
श्री दुष्यंत सिंह - उपस्थित नहीं।

08.12.2014

(आठ) गुजरात में सेंटर फॉर कॉटन एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. किरिट पी.सोलंकी (अहमदाबाद): महोदय, गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश में कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। गुजरात में कपास उत्कृष्टता के लिए एक केंद्र स्थापित करने की सख्त आवश्यकता है जो विशेषरूप से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में सुधार करने और कपास के किसानों द्वारा अच्छी पद्धतियां अपनाने की दिशा में काम करेगा। हम कपास की खेती के लिए उसी उपलब्ध भूमि पर क्षमता उत्पादन में सुधार कर सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के 20 से 25 प्रतिशत तक रोजगार स्तर में सुधार कर सकते हैं। यह केंद्र, ढुलाई, ओटाई, कपास केक और फाइबर जैसे अन्य संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार प्रदान करेगा।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि भवन, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आता है।

राज्य में मौजूदा अनुसंधान नेटवर्क जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित दो सभी भारत समन्वित कपास सुधार परियोजनाएं शामिल हैं जो वर्तमान में सूरत और जूनागढ़ में चल रही हैं। यह चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, गुजरात में कपास उत्कृष्टता के लिए एक और केंद्र की स्थापना किए जाने की सख्त आवश्यकता है।

08.12.2014

(नौ) छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की वर्दी और जूतों को कूड़े के ढेर में फेंके जाने के खिलाफ समुचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 14 जवान नक्सली हमले में शहीद हुए । नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के बूट और वर्दी रायपुर में अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर कूड़े के ढेर पर पड़े मिले थे। इसी अस्पताल में मंगलवार को इन जवानों का पोस्टमार्टम हुआ था। शहीद जवानों का सामान 24 घंटे से ज्यादा समय तक कूड़े पर पड़ा था और इसे कुछ मरीजों के रिश्तेदारों ने सबसे पहले देखा था। हमले में मारे गए 14 सी.आर.पी.एफ. जवानों की शहादत का 'अपमान' हुआ। इस मामले में सी.आर.पी.एफ. के किसी आधिकारी की गलती हुई या सरकारी नाकामी रही, सरकार इस मामले में उचित कार्यवाही करे।

08.12.2014

(दस) तमिलनाडु में नामाक्कल रेलवे स्टेशन के लिये एक वैकल्पिक संपर्क सड़क का निर्माण किये जाने तथा नामाक्कल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी.आर.सुन्दरम (नामाक्कल): तमिलनाडु के मेरे नामाक्कल निर्वाचन क्षेत्र में, नामाक्कल रेलवे स्टेशन सेंथामंगलम मार्ग पर स्थित है। व्यस्ततम घंटों के दौरान, भारी यातायात के कारण, यात्री समय पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाते हैं।

जन साधारण के हित में एक अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि रेलवे ट्रैक के बगल में थुरैयूर रोड से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक और सड़क बिछाई जा सकती है। रेल ट्रैक के पश्चिमी ओर खाली भूमि भी है जो नई सड़क के लिए उपयुक्त है।

दक्षिणी रेलवे डिविजनल मैनेजर, डिविजनल इंजीनियर के साथ नामाक्कल एमएलए और संसद सदस्य द्वारा नई सड़क के लिए दिनांक 17 नवंबर 2014 को एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था। नए संपर्क मार्ग को अपनाने का प्रस्ताव किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपये है। इसलिए, माननीय रेल मंत्री मेरे अनुरोध पर विचार करें और रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए सड़क बिछाने को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मैं निम्नलिखित अनुरोध भी करना चाहता हूं-

(1) चेन्नई से सलेम तक चलने वाली चेन्नई एक्सप्रेस को नामाक्कल तक बढ़ाया जाए;

(2) सलेम से करूर तक चलने वाली यात्री रेलगाड़ी को तिरुची तक बढ़ाया जाए और रविवार को भी संचालित किया जाए;

(3) जन साधारण को लाभ पहुंचाने के लिए रसिपुरम रेलवे स्टेशन में एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर स्थापित किया जाए।

08.12.2014

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में कृष्ण नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नादिया में कृष्णा नगर और बेथूहाधाहरी समपारों पर एक फ्लाई ओवर या पैदल पार पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री तापस पाल (**कृष्णानगर**):कृष्णानगर और बेथूहाधाहरी, नादिया, पश्चिम बंगाल में फ्लाईओवर या सबवे के ना होने ने कृष्णानगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए भारी समस्या खड़ी कर दी है। कृष्णानगर शहर में रेलवे फाटक सं. 68टी, जो खौनीश पार्क के पास बेलडंगा में स्थित है, आधे समय के लिए बंद रहता है। चूंकि, सड़क, राज्य राजमार्ग अर्थात् कृष्णानगर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 34 से जुड़ी हुई है । बेथूहाधाहरी में दो और रेलवे फाटक सं. 83/84टी, राज्य राजमार्ग से जुड़े हए हैं, अर्थात, बेथूहाधाहरी अस्पताल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 34 से जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत भीड़भाड़ होती है, यातायात की गति बहुत धीमी होती है और किसी भी समय किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। इसलिए, इस स्थिति से बचने के लिए एक फ्लाईओवर या एक सबवे की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं, हमारे माननीय रेल मंत्री से जल्द से जल्द इस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

08.12.2014

(बारह) उड़ीसा, भुवनेश्वर में खंडागिरी स्कवेयर और कोलाथिया के बीच एक फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न कुमार पटासाणी (**भुवनेश्वर**): एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडागिरी, ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ विदेशों से भी लोग इसके ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के कारण इस स्थान पर आते हैं। पर्यटकों सहित अधिकांश लोग, खंडागिरी स्क्वेयर, होते हुए जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर स्थित एक पर्यटन स्थल, जोकि एक चौराहा है, वहां जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप यातायात जाम हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, इस चौराहे पर अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप मौतें हुई और लोगों को चोटें आई हैं और कुछ मामलों में पर्यटकों ने भी अपनी जान गंवाई है। इस स्क्वेयर पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारण खंडगिरी स्थानीय समिति, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने की मांग कर रही है। इसलिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मामले पर ध्यान देने और भुवनेश्वर, ओडिशा में **खंडागिरी स्क्वेयर** और कोलाथिया चाक के बीच एक फ्लाईओवर बनाने का अनुरोध करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री चंद्रकांत खैरे - उपस्थित नहीं।
श्री जयदेव गल्ला - उपस्थित नहीं।

08.12.2014

(तेरह) तेलंगाना में एक मेगा पर्यटक सर्किट बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री बी.विनोद कुमार (करीमनगर): तेलंगाना राज्य की 200 ईसा पूर्व से लेकर 20 वीं शताब्दी तक सातवाहन से लेकर आसफजाही राजवंशों तक एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तेलंगाना के सभी जिलों में समृद्ध ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा दो मेगा टूरिस्ट सर्किट की योजना बनाई जा सकती है।

हैदराबाद, नलगोंडा, वारंगल और करीमनगर जिलों को मिलाकर एक सर्किट की योजना बनाई जानी चाहिए। यह सर्किट यदगिरिगुट्टा-कोलानापाक, थाउसेंड पिलर टेम्पल, रामप्पा फोर्ट, कालेश्वरम मंदिर, कोण्डागुट्टा और वेमुलावाड़ा को जोड़ेगा।

हैदराबाद से नालगोंडा और महबूबनगर जिलों के बीच एक अन्य सर्किट की योजना बनाई जानी चाहिए जो जोगुलम्बा मंदिर, श्रीसैलम और नागार्जुनसागर को जोड़ता है।

मैं, सरकार से इन परियोजनाओं को शुरू करने और तेलंगाना को पर्यटन स्थल बनाने का आग्रह करता हूँ।

08.12.2014

(चौदह) बाल कल्याण योजना में लगे अध्यापकों और हेल्परों का मानदेय बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री पी.करुणाकरन (कासरगौड) : मैं बाल कल्याण योजना के तहत काम करने वाले हमारे शिक्षकों और सहायकों द्वारा सामना की जा रही गंभीर समस्याओं को सभा के समक्ष रखना चाहता हूँ। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल करने और उन्हें पालन-पोषण के लिए आरंभ की गई थी। संपूर्ण देश में ऐसे हज़ारों केंद्र थे जिन्हें क्रेच के रूप में जाना जाता था। शिक्षकों को 1260/- रुपये और सहायक को 800/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है । वे वास्तव में हमारे देश की स्वैच्छिक सेवा कर रहे हैं। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के बिना मानदेय बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। वर्तमान में, इस अल्प राशि का भुगतान राज्य सरकारें ही करती है ।

इसलिए, मैं सरकार से इस योजना के शिक्षकों और सहायकों का मानदेय बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने का आग्रह करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी.श्रीनिवास रेड्डी - उपस्थित नहीं ।

(पंद्रह) देश में अनैतिक चिकित्सा प्रैक्टिस में लगे नीम हकीमों और नकली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी डिग्री वाले चिकित्सकों का पेशा देशभर में निर्बाध गति से चल रहा है। इस संबंध में अनेक बार समाचार-पत्रों में छप चुका है। यह मामला देश की 120 करोड़ जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। फिर भी गांव से शहर तक के अस्पताल एवं प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद नर्सिंग होम एक्ट का कारगर नहीं होना, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड का प्रयोगशालाओं पर अंकुश नहीं होना, चिकित्सक का अनावश्यक एवं ऊँची कीमत की किसी खास कम्पनी की दवा लिखने के साथ-साथ अनावश्यक अत्यधिक जांच लिखना, जांच में कमीशनखोरी, महिला मरीज के साथ शारीरिक शोषण के अलावा चिकित्सक के द्वारा अधिक एवं बार-बार फीस वसूलना एवं अन्य प्रकार की समस्या जो स्वास्थ्य से जुड़ी हैं एवं जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, किडनी, लीवर आदि बीमारियों का निःशुल्क इलाज (खासकर गरीब, दलित, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा करीब पांच महीने पहले एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के आलोक में कहा गया था कि रोकथाम के लिए एक कमेटी बनायी जाएगी तथा एम.सी.आई. इंतजार कर रही है कि सरकार इस पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में अविलंब ठोस कदम उठाए जाएं एवं अन्य आयोगों की तरह एक ऐसे आयोग की स्थापना की जाए, जिसे स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी हो एवं स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था एवं कंपनी पर तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार हो।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : सर, पप्पू यादव जी विषय को ले कर इतना अच्छा बोले हैं। वे यही काम हरेक दिन कर सकते हैं। हमें समझ नहीं आता कि वे क्यों हंगामा करते हैं। ...(व्यवधान)

08.12.2014

अपराह्न, 14.34 बजे

[अनुवाद]

निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 - जारी

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम मद संख्या 12 पर विचार करेंगे।

श्री एम.वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर): माननीय उपसभापति महोदय, मुझे कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने हेतु इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वास्तव में, यह कवायद समय-समय पर की गई है। मुझे इस बारे में थोड़ी समस्या है। आपको स्मरण होगा कि मानसून सत्र में, हमने संशोधनों के साथ लगभग 35 अधिनियमों को कवर करने वाला ऐसा ही एक विधेयक पारित किया था। इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक ही विषय पर दिए गए कुछ निर्णयों के संदर्भ में इसकी जांच की जा रही है। यहां विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी की बजाय, जो कभी-कभी अनावश्यक क्रिया भी हो सकती है जिससे इस सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ भी हो सकता है, शायद इसे स्थायी समिति को भी भेजा जा सकता था। इस पर मानसून सत्र में पारित उन 35 अधिनियमों पर स्थायी समिति की प्रतिवेदन के साथ कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार के मामले को उठाने के लिए यह अधिक उचित तरीका है।

मैंने उस प्रतिवेदन की अवस्थिति की भी जांच की। मुझे लगता है, यह अभी भी विचाराधीन है और उन्होंने अभी तक विधेयक को अंतिम रूप नहीं दिया है। मुझे ज्ञात नहीं है कि यह विधि आयोग द्वारा या समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है। यदि इनमें से किसी भी निकाय ने इसकी सिफारिश की है, तो शायद, प्रतिवेदन का पूरा पाठ्य इस सदन को उपलब्ध कराया जा सकता है। केवल एक सूची का खाका लाना और इसे प्रस्तुत करना, प्रत्येक मामले के गुणावगुण की जांच करना सभी माननीय सदस्यों के लिए एक बड़ी कवायद होगी। कभी-कभार, हमें ऐसे विधेयकों को आंख मूंदकर मंजूरी देनी पड़ सकती है और इसे भेजना पड़ सकता

है। यह बहुत जोखिम भरा है। कभी-कभी, कानून अंधा भी हो सकता है, लेकिन सदस्यों की आंखें बंद नहीं हैं। मेरे विचार से, हमें इस तरह के मामले पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है ताकि कल हमें किसी गलती पर अफ़सोस न हो।

सिद्धांत के संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं । उदाहरण के लिए, बहुत समय पूर्व, जब हमारी सरकार थी, हमने विधि आयोग को संदर्भ भेजा था कि वह अपकृत्य विधि पर कानून बनाए, जो एक अनिवार्य अधिनियमन है। माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयों ने अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय या ब्रिटिश कानून के कुछ निर्णयों के आधार पर निर्णय पारित करते हैं। इसी कारण से हमारे मामले, विशेषरूप से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को भुगतना पड़ा । वे मामले दो वर्ष तक आगे बढ़े । वे वहां अधिकार क्षेत्र के अभाव में विफल रहे। वे यहां इसलिए आए क्योंकि उस कॉरपोरेट इकाई का मुख्यालय अमरीका में है । अंततः, उन्हें कुछ समझौता करना पड़ा जिसने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को नुकसान पहुंचा । इसीलिए, अब भी यह सुलझ नहीं पाया है। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें विधि आयोग को तत्काल आधार पर से विचार करने के लिए कहना चाहिए, एक ऐसा मसौदा कानून लाना चाहिए जो किसी भी सभ्य समाज के लिए जरूरी हो। यह अभी मौजूद है। मैं, कानून मंत्रालय और सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करता हूं कि वे विधि आयोग को अपकृत्य विधि जैसे महत्वपूर्ण कानून पर एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहें ।

एक और बिंदु है जिस पर मैंने पहले विधि मंत्री के रूप में जांच करना आरंभ कर दिया था, वह विचारण हेतु विभिन्न चरणों में था और मैं आज की स्थिति जानना चाहता हूं। यह लैंगिक समानता के सिद्धांत पर हमारे कानूनों को संवेदनशील बनाने के बारे में है। हमारे अनेक कानून, लिंग के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। एक लिंग के लिए कानून है और दूसरे लिंग के लिए एक अलग कानून है। अंततः इससे कानून का दुरुपयोग होता है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को नुकसान होता है। मुझे लगता है कि यह सरकार और इस संसद के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सभी कानूनों को लैंगिग रूप से संवेदनशील बनाया जाए ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय और पुनः माननीय दिल्ली के उच्च न्यायालय ने विचार किया और इसने दुर्भाग्य से इसे कानून में बहाल कर दिया। आदर्श रूप से, कानून सरकार द्वारा बनाए गए या वापस लिए जाते हैं, न कि न्यायपालिका द्वारा। आईपीसी की धारा 377 की वैधता तय करने के बोझ पर केवल इसलिए विचार करना पड़ा क्योंकि विधायिकाओं ने इसके वर्ष 1861 में इसके पारित होने के बाद से इसकी समीक्षा नहीं की है। यह फिर से एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार और संसद को तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

निःसंदेह, हमारे बहुत सारे कानून अनावश्यक हैं और उनमें बहुत सारी खामियाँ हैं। उदाहरण के लिए, प्रिवी पर्स के उन्मूलन के 43 वर्ष बाद, एक कानून है जिसके लिए अभी भी किसी एक पुलिसकर्मी को अधिकारी के सामने नंगे सिर पर पेश होने की अपेक्षित होता है। भारतीय खजाना निधि अधिनियम जिला कलेक्टर को 10 रुपये से अधिक मूल्य के खजाने पाए जाने पर लिखित रूप में सूचित करने में विफल रहने के लिए अपराधी बनाता है। ऐसे अनेक कानून अब भी चल रहे हैं। बंगाली नील अनुबंध अधिनियम जैसे मृत उद्योगों को विनियमित करने वाला कानून अभी भी मौजूद है। और केंद्र और राज्य स्तरों पर समवर्ती सूची कानून में दोहराव है।

मुझे सूचित किया गया है कि सरकार ने निरसन के लिए 1,300 कानूनों की पहचान की गई है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस पर बहुत धीमे काम किया। जब कोई कानून बेकार और निष्क्रिय हो जाता है तो उसे क़ानूनो से बाहर निकालना होगा। वास्तव में, इस मोर्चे पर क्या हुआ है, इस पर हमें कुल स्थिति प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता है और इनमें से कुछ बातें किस स्तर पर लंबित हैं।

उस समय के विधान के उन्मूलन में प्रगति पर एक मार्च, 2002 के सरकारी बयान से पता चलता है कि निरसन के लिए अनुशंसित 1,382 कानूनों में से, 700 विनियोग अधिनियमों से संबंधित है। हम अभी तक उनके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। एक बार विनियोग अधिनियम पारित हो जाने के बाद, हम बस उनका रखरखाव करते रहते हैं, वे पुराने हो जाते हैं लेकिन वे अभी भी क़ानून की किताब में हैं। इनमें से, 114 केंद्रीय अधिनियम राज्य विषयों से संबंधित हैं, 166 केंद्रीय अधिनियम, 11 राष्ट्रीयकरण अधिनियम से पूर्वकाल और 20 सत्यापन अधिनियम, 11 अभी भी लागू ब्रिटिश कानून से संबंधित हैं, 17 युद्ध काल के स्थायी अध्यादेशों,

35 पुनर्गठन अधिनियम, 12 उच्च न्यायालयों पर लागू कानूनों और 12 व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित हैं। मुझे लगता कि इनमें से कुछ कानून समाप्त किए जाने चाहिए। उन्हें एक बार में निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हमारे पास भारतीय दंड संहिता और ऐसी अनेक चीजों के संबंध में मैकाले के युग के कानून भी हैं उनकी संपूर्ण समीक्षा और पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है। हमें बदलाव लाने की जरूरत है। अन्यथा इसके परिणामस्वरूप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर व्यापक उत्तर देना चाहिए कि क्या हो रहा है। विश्व बैंक कानून के प्रवर्तन और मौजूदा कानूनों के संबंध में अनेक पहलुओं पर काम कर चुका है। विश्व बैंक के वर्ष 2004 के प्रतिवेदन और यहां तक कि पहले की 1997 की प्रतिवेदन में, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और 69 देशों में 3,600 फर्मों के विचारों का आकलन करने के बाद उन्होंने पाया कि 70 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि न्यायिक विश्वसनीयता और विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय में एक चौथाई भाग की वृद्धि में भिन्नता किसी भी देश में निवेश के संबंध में एक बड़ा कारक है इसलिए, अब समय आ गया है जब न्यायपालिका या कानून बाधक न बनें, बल्कि उन्हें सुविधाप्रदाता बनना चाहिए।

मैं, व्यावसायिक लागत के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पिछली सरकार ने इस विधेयक को पारित किया था। जब हम कहते हैं कि इस देश में व्यवसाय करना मुश्किल है और अनेक बाधाएं हैं, तो हमें निश्चित रूप से अपने अनेक कानूनों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। साथ ही, न्यायपालिका को सक्रिय होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश में निवेश सुनिश्चित करने में यह कोई बाधा न हो। निस्संदेह, कानूनों को ठीक वैसे ही समाप्त किया जाना चाहिए जैसे वे नियमित रूप से और लगातार बनाए जाते हैं। जब भी वे अप्रासंगिक हो जाएं तो वे स्वयं समाप्त हो जाने चाहिए। हमें इस प्रणाली पर पूरी तरह से काम करने की जरूरत है। आपको टुकड़ों में विधेयक नहीं लाने चाहिए जैसा कि हमने मानसून सत्र में किया है, जैसा कि हम शीतकालीन सत्र में कर रहे हैं और अनेक अन्य विधेयक, अधिनियम और संशोधन अभी भी लंबित हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकार के पास सैकड़ों पुराने कानूनों के ढेर को खत्म करने के लिए एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें स्थायी समिति के प्रतिवेदन का इंतजार करना चाहिए ताकि वे कुछ मानक, सूत्र

निर्धारित कर सकें और अंततः हम उस तरह के एक स्वचालित मार्ग पर पहुंच सकें। हमे ज्ञात नहीं है कि स्थायी समिति द्वारा क्या सुझाव या सिफारिशें दी जाएंगी ताकि अंततः इस पर स्पष्टता आ सकें और व्यापक रूप से उस समस्या का समाधान निकाल सकें जो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निरसन और संशोधन विधेयक 2014 के संबंध में, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि इस अधिनियमन का उद्देश्य और कारण क्या हैं। उद्देश्य की मूल आवश्यकता यह थी कि इस अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम अप्रचलित हो गए हैं और विभिन्न चरणों का परिणाम है। अब प्रश्न यह उठता है कि वे क्यों अप्रचलित हो गए हैं। हमारे देश में कानून की कोई कमी नहीं है। यहां विभिन्न कानून मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, अधिनियम द्वारा जिन एजेंसियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन का कार्य सौंपा गया है, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही हैं। एक उत्कृष्ट कानून को केवल उन एजेंसियों द्वारा कानूनी प्रावधानों को लागू न करने के कारण अप्रचलित कानून में बदल दिया है जिन्हें इसे लागू करने का कार्य सौंपा गया है। यह एक या दो दिनों के भीतर नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दशकों दशकों तक अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है और कानून अप्रचलित हो गए हैं। इसलिए, जब हम विधेयकों को निरस्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं, तो साथ ही, यह केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह इस बात पर गौर करे कि सभी मौजूदा अधिनियमों के प्रावधानों को उचित समय के भीतर लागू किया जा रहा है या ठीक से निष्पादित किया जा रहा है अथवा नहीं । यदि हम वास्तव में उन कानूनों को मानते हैं जिन्हें संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, तो यह एक सार्थक उद्देश्य होगा।

संसद में, हम केवल कानून बनाते हैं और उन्हें भेजते हैं। लेकिन इसे लागू करना सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों का कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं। मैं, माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करूँगा कि जब वह इसे लेकर आए हैं, तो कृपया एक ऐसा तंत्र स्थापित करें जिसके माध्यम से वह यह सुनिश्चित कर सके कि कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाए।

मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, आपराधिक प्रक्रिया संहिता मौजूद है। धारा 154 है और साथ ही साथ वर्ष 1973 के अधिनियम से पहले एक प्रावधान भी था। लंबे समय के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब एक अर्ध-संवैधानिक पीठ के समक्ष एक संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में शिकायत की गई हो, जो ललिता कुमारी के उत्तर प्रदेश मामले में हुआ है, तो फिर

प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसा क्यों? यह देखना कार्यकारी एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है कि कानून को लागू किया जा रहा है।

इस कानून को लाने का एक अन्य कारण इसके प्रारूपण में दोष है। संसद के बाहर, न्यायालय द्वारा आलोचना सुनना विधायिका के लिए बहुत अप्रिय है कि प्रारूपण बहुत खराब है। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? माननीय उच्चतम न्यायालय को कानूनों के खराब प्रारूपण के कारण बार-बार विधायिका की आलोचना क्यों करनी पड़ती है? माननीय उच्चतम न्यायालय को कानून के खराब प्रारूपण के लिए *'कैसस ओमिसस'* के सिद्धांत की बार-बार व्याख्या क्यों करनी पड़ती है? मैं, माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अब से, वह व्यक्तिगत रूप से कानून का प्रारूप तैयार करने पर ध्यान दें क्योंकि वे – स्वयं इस विधेयक द्वारा ही कुछ संशोधन – विधि के प्रारूपण में त्रुटि के कारण संशोधन लाए हैं ।

यह कानून एक सीमित स्थान पर ही नहीं लागू किया जाएगा । देश की आवश्यकता के आधार पर कानून बनाना होगा। कृपया केवल किसी व्यक्ति की इच्छा के कारण कोई कानून न बनाएं। व्यक्ति आ सकता है और जा सकता है। अन्यथा, जब कोई व्यक्ति जाता है, तो कानून फिर से अप्रचलित हो जाता है। इसलिए, समाज की आवश्यकताओं के आधार पर कानून के अधिनियमन की आवश्यकता को महसूस करें। तभी कानून बनना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास कानून आयोग है, जो कानून के अधिनियमन के विभिन्न प्रावधानों की जांच करता है। क्या अच्छे परिणाम देने के लिए विधि आयोग प्रभावी है? मेरी कानून आयोग के प्रति कोई अपमान की भावना नहीं है। इसमें बहुत वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री कल्याण बनर्जी:मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा हूं। अब आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? अब आप मंत्री बन गए हैं। मुझे क्या करना है, मुझे पता है। कृपया आप मेरी बात सुनिए ।

महोदय, कृपया देखें कि मंत्री कैसे व्यवहार कर रहे हैं! ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: मंत्री जी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे है।

दुर्भाग्य से, वह इससे आगे निकल गए हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: उन्हें अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: उन्हें अपने सदस्यों को सिखाना चाहिए। ...(व्यवधान) मंत्री यह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: चूंकि संसदीय कार्य मंत्री यहां नहीं रहते हैं, इसलिए ये बातें होती हैं और उनके जैसे मंत्रियों की वजह से संसद नहीं चलती है! ...(व्यवधान) मेरा विधि आयोग के सदस्यों के प्रति अनादर नहीं है, लेकिन विधि आयोग को अधिक प्रभावी होना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): उन्होंने जो कहा, महोदय, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : कोई भी आक्षेप कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) ††*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष :अहलुवालिया जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कोई तर्क-वितर्क नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: मैं, विधि आयोग का सम्मान करता हूं ...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)‡‡*

माननीय उपाध्यक्ष: प्रासंगिक मामले को छोड़कर, कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी:मैं विधि आयोग का पूरा सम्मान करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: क्या आपका भाषण पूर्ण हो गया है?

श्री कल्याण बनर्जी: जी नहीं, महोदय, मैंने अभी शुरुआत ही की है। आप कृपया सभा को व्यवस्थित करें। मंत्री जी यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं। *

माननीय उपाध्यक्ष: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया है। ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय, अगर वे बाधा पैदा करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं प्रत्येक भाषण में किसी भी पल बाधा पैदा कर सकता हूं। यह क्या है? *

माननीय उपाध्यक्ष: इन सब चीजों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान) *

माननीय उपाध्यक्ष: मैं इस प्रकार की बहस नहीं चाहता।

श्री कल्याण बनर्जी : आपको लगाना होगा ....(व्यवधान) *

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अभी भाषण दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। हम संशोधन विधेयक पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। आपको शिकायत हो सकती है लेकिन इस तरह बहस करना दोनों सदस्यों की ओर से ठीक नहीं है। मैं सदन को नियंत्रित करूंगा। मैं यहां हूं लेकिन अगर आप इस तरह से लड़ते रहेंगे तो मैं सदन कैसे चला सकता हूं? मैं आप दोनों को इस तरह बहस करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। सदन में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। ऐसा करना सही नहीं है। मैं सदन में चल रही इस तरह की बहस को स्वीकार नहीं करूंगा। जो भी तर्क दिए गए हैं वे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। विधेयक के संबंध में बोली जाने वाली केवल प्रासंगिक बात ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जाएगी। कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री कल्याण बनर्जी:मैं कह रहा था कि मैं विधि आयोग के सदस्यों का अनादर नहीं करता, लेकिन विधि आयोग को अधिक कुशल, अधिक प्रभावी बनाना होगा। विधि आयोग की प्रतिवेदन ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने विनिर्णय दे दिया है। इन सभी तर्क-वितर्कों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) §§

माननीय उपाध्यक्ष: यह संसद है। यह पश्चिम बंगाल विधानसभा नहीं है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने उन चीजों को पहले ही कार्यवाही वृतान्त से हटा दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा):उन्होंने जो कहा है, उसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। ...(व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि संसद में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं बस यही कहना चाहता हूं। वह जो बोल रहे हैं वह बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है कि वह उस तरह की भाषा का प्रयोग न करें, जिसका उन्होंने प्रयोग किया है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं, पहले ही कह चुका हूं कि इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

प्रो. सौगत राय (दमदम): अगर उन्होंने कुछ भी असंसदीय कहा है तो उपाध्यक्ष इसका संज्ञान लेंगे । ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: आप अपना भाषण पूरा करें।

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय, मेरे मन में विधि आयोग के सदस्यों के प्रति पूरा सम्मान है लेकिन आयोग को और प्रभावी बनाना होगा। यह अप्रभावी हो गया है। इन चीजों को समझने के लिए, कम-से-कम संसद को विधि आयोग के प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कानून के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा के लिए एक तंत्र होना चाहिए। हाल ही में सेबी के संबंध में अगस्त के माह में एक संशोधन किया गया है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इन प्रावधानों को क्यों लागू नहीं किया गया है। संशोधन लाने का व्यापक उद्देश्य नए प्रावधानों को लागू करना है अन्यथा कानून अप्रचलित हो जाएगा। सेवा उन्मुखी कानूनों का प्रचार किया जाना चाहिए। यदि सेवा-उन्मुखी कानूनों का प्रचार नहीं किया जाता है तो इसका कोई महत्व नहीं होगा । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि इसका बहुत प्रचार किया गया था। जनता इस अधिनियम के प्रति अधिक सतर्क हो गई है। स्वतंत्रता-पूर्व के सभी कानून, जैसे भारतीय दंड संहिता या पुलिस अधिनियम, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें बहुत पहले तैयार किया गया था। इसके बारे में सोचने का समय आ गया है। मंत्रालय को यह कवायद शुरू करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह के अधिनियमों की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अपेक्षा करता हूँ कि मंत्रीगण, जैसे श्री रूडी, हमारी बात सुनें।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह पहली बार है जब उन्हें 'जैसे को तैसा' का आभास हुआ है क्योंकि वह इन दिनों सभा में यही कर रहे थे।

दूसरी बात, मेरा केवल इतना निवेदन था कि उन्हें माननीय सभापति को संबोधित करना चाहिए न कि सदस्यों को। मैं केवल इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें समय के साथ सीखना चाहिए कि सभा में कैसे व्यवहार करना है ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : यह सब ठीक है। यह अब समाप्त हो गया है।

श्री दुष्यंत चौटाला।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)*****

(हिन्दी)

श्री दुष्यंत चौटाला : मैं यहां रीपिलिंग और अमैंडमेंट की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूं कि इंटरस्टेट वाटर डिसप्यूट्स के लिए सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स के तहत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए रावी-व्यास वाटर ट्रिब्यूनल वर्ष 1986 में बनाया गया और वर्ष 1987 में दोबारा प्रेसिडेंशियल रेफरैंस के तहत उसका गठन हुआ। आज तक उसके तहत हरियाणा प्रदेश को उसके भाग का पानी नहीं मिला है। पिछले दस सालों में हरियाणा ने दिल्ली को 1000 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिया है, फिर भी हमारे किसान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बैठे हैं। मैं मंत्री जी से अपील

****कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करूंगा कि वाटर ट्रिब्यूनल को इतनी अथॉरिटी दें ताकि लंबे समय से पड़े हुए कावेरी वाटर डिसप्यूट, कृष्णा वाटर डिसप्यूट और कावेरी-व्यास वाटर डिसप्यूट का जल्द से जल्द समाधान हो सके। ...(व्यवधान) जल्द से जल्द इनका समाधान कर, भारत के कोने-कोने तक पानी पहुंचाने का काम करें। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मैं यहाँ हूँ। मैं इसका ध्यान रखूंगा। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

(हिन्दी)

श्री दुष्यंत चौटाला : पानी एक बहुत अहम चीज है और आज अधिकतम क्षेत्रों में पानी की किल्लत है।...(व्यवधान) जहां हम शुगर डैवलपमैंट फंड की बात करते हैं, हरियाणा का आधिकतम भाग शुगरकेन की क्रॉप उगाता है। हम दूसरे देशों से शुगर इम्पोर्ट करते हैं जिसके कारण हरियाणा के किसानों की समय पर न गन्ने की बिक्री होती है और न ही उन्हें चीनी के सही दाम मिलते हैं। मैं अपील करूंगा कि शुगर डैवलपमैंट फंड के तहत एक ऐसा कानून बनाने का काम किया जाए जिससे हमारे किसानों के लिए समय पर पैसों का प्रावधान हो।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां अंग्रेजों के जमाने के और उनके बाद से अनेक कानून विद्यमान हैं। अनेक बार कानून बनाने के बारे में संशोधन लाया गया। समय, पात्र और काल के अनुसार कानून हमेशा चेंज होता है। समाज में हर बात को समय, पात्र और काल के अनुसार देखा जाता है, समाज में कोई न कोई अमैंडमैंट आते हैं, तो कानून को भी उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जब नेहरू जी आए थे, उस बीच सरदार पटेल द्वारा हस्तक्षेप करके आईएफएस से आईएएस नई पद्धति लागू की गई। कलैक्टर राज, पुलिसिया राज आदि जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, उस पर नेहरू जी की व्यापक समाजवादी सोच थी। सरदार पटेल ने उस बीच हस्तक्षेप किया तो बहुत सारी चीजें तब से आज तक बनी हुई हैं।

मैं दो मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूं। अनेक कानून आए जो प्रभावकारी, प्रभावशाली हैं। लेकिन जब कानून प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा तो क्या वह आम गरीब व्यक्ति, समाज के कमजोर लोगों का कानून रहा या मुट्ठीभर और पूंजीपतियों लोगों के हाथ में रह गया। क्या वह नौकरशाह के हाथ में रह गया?

आज अंग्रेजों का राज चला गया, लेकिन नेहरू जी के जमाने से कलैक्टर राज, पुलिसिया राज, सीओ राज, बीडीओ राज है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बार-बार पुलिस के सिस्टम को चेंज करने, उसमें व्यापक बदलाव लाने के बारे में कहती है। ...(व्यवधान) मेरा इस कानून के माध्यम से आपसे दो-तीन बिन्दुओं पर आग्रह है। एक, हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से जो कलैक्टर राज की स्थापना है, क्या आप ऐसा कोई कानून लाएंगे जिससे आम राज कायम हो, कलैक्टर राज, पुलिसिया राज समाप्त हो?...(व्यवधान) दूसरा, आप जो कानून बनाते हैं और न्यायालय द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन होता है, आज तक देखा गया है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में आम आदमी को पूरा न्याय नहीं मिलता। क्या ऐसा कोई कानून होगा जिसमें गरीब लोगों, आम व्यक्ति, दलित लोगों के लिए न्याय की संभावना होगी?...(व्यवधान)

मैं दो मिनट में कुछ नहीं कह सकता लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज की संरचना देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए की थी, आम आदमी के लिए कानून लाने का काम किया जाए।

[अनुवाद]

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल): महोदय, जबकि यह सभा निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक पर चर्चा कर रही है, वहीं, इस सम्मानित सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन,** विधि और न्याय संबंधी विभागीय स्थायी समिति की प्रतिवेदन पर चर्चा और विचार करने के लिए कल बैठक हो रही है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक स्थायी समिति को मुद्दों पर कार्यवाही करने का कार्य सौंपा गया है, सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि इस सभा को इस विधेयक पर विचार करना चाहिए और इसे पारित करना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस विधेयक पर *पूर्णतः* में चर्चा नहीं हो सकती है और आज ही सभा में इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली में, 24 विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियाँ हैं और उन्हें कार्य का निर्वहन करना होता है। हमें स्थायी समितियों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना होगा। इन निरर्थक हुए सभी पुराने संशोधन विधेयकों को निरस्त करने के लिए की

जा रही चर्चा में भाग लेते हुए, मैं इस विषय पर हमारे विद्वान मंत्री जी से सहमत हूँ। श्री एम. वीरप्पा मोइली जी ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू की थी, वह पूर्व मंत्री भी रहे थे। हमारी कानून बनाने की प्रक्रिया को आज की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि आज जो कुछ किया जा रहा है उसका प्रभाव आठ या दस वर्ष बाद महसूस होता है।

मैं, वकालत करता था और मैं कभी भी आरोपी के रूप में या गवाह के रूप में न्यायालय नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं न्यायालय गया क्योंकि यह मेरी रोज़ी रोटी थी और चूंकि मैं एक वकील था। अब, आलोचना इस बात की है कि हमारी न्यायपालिका एक 'कैसीनो न्यायपालिका' बन गई है। साथ ही, लोग यह महसूस कर रहे है कि कानून निर्माता कानून तोड़ने वाले बन गए हैं। अगर लोगों का इस सदन से विश्वास उठ जाए, न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं, एक उदाहरण दूंगा। हम अपने साथ सभी साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक सोच लेकर चल रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में एक पूरी तरह से परिवर्तन करना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 'इच्छा मृत्यु' के संबंध में सरकार का क्या विचार है? आत्महत्या के अधिकार के मामले में सरकार का क्या रुख है? न्यायपालिका द्वारा ही परस्पर विरोधी विचार दिए गए हैं। अगर हमें जीवन जीने का अधिकार है, तो आत्महत्या करने का भी अधिकार है। यदि किसी को अपना जीवना पसंद नहीं है, तो मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, सरकार उसके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई कर रही है। ऐसे अनेक देश हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु को भी वैध कर दिया है। हम अनेक मामलों में गवाहों को भी सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं, हाल ही में, श्री सदानंद गौड़ा जी द्वारा विधि मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद भी, हो सकता है कि यह माननीय मंत्री के संज्ञान में आया हो। बलात्कार पीड़ितों सहित कुछ पीड़ित न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे आपराधिक कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। वे कानूनी कार्रवाई को जारी नहीं रखना चाहते थे और वे कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है और उनका जीवन खराब हो गया है और अब वे पूरा समाज उन पर अंगुली उठा रहा है । वे यह भी कहते हैं कि एक बार वे एक आदमी या पुरुषों के समूह के शिकार हो गए थे, अब वे पूरे समाज के शिकार हैं। इस तरह की एक हास्यास्पद बात यहां होती है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इन कानूनों की

वैधता और आपराधिक कानूनों तथा सिविल कानूनों सहित लगभग इन सभी कानूनों में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण के संबंध में हमें गहन और निश्चित आत्म निरीक्षण करना चाहिए।

हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशन के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए। यहां तक कि कनाडा के बार काउंसिल के साथ चर्चा और विचार-विमर्श करने के बाद ही कनाडा के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। यहां हम अपने वकीलों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं।

मुझे आशा है, हमारे प्रिय माननीय मंत्री जी इस सभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेंगे और उनसे मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह सच है कि हमें इस तरह के विधान की आवश्यकता है, लेकिन आज यदि स्थायी समिति की बैठक होने जा रही है और आपके या दूसरे सदन के सभापति द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार,वे साक्ष्य लेने जा रहे हैं, तो इस तरह का विधेयक यहां पारित करना उचित नहीं है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा): माननीय उप सभापति महोदय, पूर्व माननीय विधि मंत्री, श्री एम. वीरप्पा मोइली जी ने उल्लेख किया कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो पहले का विधेयक प्रस्तुत किया गया था और जो वर्तमान विधेयक है, उसमें मेरे विद्वान मित्र ही फर्क करेंगे। पूर्ववर्ती विधेयक में, 36 अधिनियमों में से, चार प्रमुख अधिनियम थे। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, कोई मूल विधेयक नहीं मौजूद हैं, केवल संशोधन विधेयकों पर विचार किया जा रहा है। इसलिए, अगर कोई भी प्रमुख अधिनियम होते, तो इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने के बारे में उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया, उसका कोई महत्व होता। लेकिन यहां कोई प्रमुख अधिनियम नहीं है। कुल मिलाकर, ये सभी संशोधन अधिनियम हैं। विधि आयोग द्वारा कहा गया कि ये अप्रचलित और अनावश्यक हैं और इसलिए, उन्हें हटा लिया जाना चाहिए।

मैं, विधि आयोग द्वारा की गई एक छोटी सी टिप्पणी को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करना चाहूंगा। औपचारिक निरसन की आवश्यकता पर, विधि आयोग ने कहा है कि मानव जीवन के विपरीत, ऐसे कानूनों के सिवाय जिन्हें विधायिका द्वारा उनका अधिनियमन करते हुए ही उनके लागू रहने के समय का पूर्व निर्धारण किया गया हो स्वत: ही समाप्त नहीं होते। कोई कानून, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से एक अस्थायी अवधि के

लिए अधिनियमित नहीं किया जाता है, तब तक जीवित लागू रहता है जब तक कि इसे निरसित कर समाप्त नहीं किया जाता । इस हद तक, क़ानून अमर होते हैं। कानूनी से अप्रचलित कानूनों को निकालना केवल औपचारिक निरसन अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि ये सभी अधिनियम, जो मृत अधिनियम हैं, इन्हें समाप्त किए जाने की आवश्यकता है और इस तरह पूरे तंत्र में भ्रम फैलने से बचा जा सकता है।

मैं, माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणी पर एक छोटा सा संदर्भ देना चाहता हूँ। हर सदस्य ने इसकी सराहना की है और इसका स्वागत किया है कि इसे किए जाने की ज़रूरत है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वेबसाइट को अद्यतन करने की आवश्यकता है। हमारे पास नियमित रूप से वेबसाइट को अद्यतन और निगरानी करने के लिए गठित एक छोटा समूह है और इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

एक माननीय सदस्य ने पूछा कि विधेयक कब लागू होगा। इस विधेयक के प्रावधान दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद लागू होंगे। इसलिए, यह दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने के बाद लागू हो जाएगा।

श्री एम. वीरप्पा मोइली सहित कुछ माननीय सदस्यों ने पाया कि अनेक विनियोग विधेयक लंबित हैं। विधि आयोग ने लगभग 2000 अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश की । निसंदेह, हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं एक और व्यापक निरसन विधेयक लाने का भी प्रयास कर रहा हूं जिसमें रेलवे विनियोग विधेयक सहित 700 से अधिक विनियोग अधिनियम शामिल होंगे। यह तैयार है और मैं इसे लाने जा रहा हूं।

एक अन्य माननीय सदस्य ने लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और उनके समाधानों पर चिंता व्यक्त की। निसंदेह, सरकार इस पर काम कर रही है। हम माध्यस्थम अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम और परक्राम्य लिखत अधिनियम में कुछ संशोधन लाने जा रहे हैं, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी क्योंकि 30 प्रतिशत से अधिक मामले इन तीन अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं।

एक माननीय सदस्य ने पूर्व में अपने विचार व्यक्त किए कि माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय उच्चतम न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। हर कोई जानता है कि अनुच्छेद 348

के उपबंधों के तहत, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। तथापि, जिला न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है।

मैं अपने विद्वान मित्र से सहमत हूँ कि ऐसे अनेक कानून हैं जो वर्ष 1935 से अधिनियमित किए गए हैं। वे लागू हैं और कुछ प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं जिससे प्रक्रिया के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। निसंदेह, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, माननीय प्रधानमंत्री की यह सोच है कि सभी अप्रचलित कानून जो लगभग मृत कानून हैं, उन्हें समाप्त कर हटा दिया जाना चाहिए। तो, यह कवायद उस दिशा में एक प्रयास है।

इसलिए, मैं सभा से प्रार्थना करता हूँ कि यह विधेयक पारित कर दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कतिपय अधिनियमों को निरस्त करने और कतिपय अन्य अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अब विधेयक पर खंड दर खंड विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।
पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।
दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

संशोधन किया गया:

08.12.2014

पृष्ठ 1, पंक्ति 2, "(द्वितीय)" का *लोप किया जाए*, - (1)

(श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 1, यथा संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, यथा संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"विधेयक को, यथा संशोधित रूप में,, पारित किया जाए।"

श्री एम.वीरप्पा मोइली: माननीय उपाध्यक्ष, मैंने हमारे माननीय मंत्री को यह कहते हुए सुना कि पहले के विधेयक मूल अधिनियमों को निरस्त करने से संबंधित हैं और यह मूल अधिनियमों को निरस्त करने से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि इनमें से अनेक संशोधन अधिनियम हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, संविधान में एक संशोधन के माध्यम से 'समाजवादी' शब्द को अंत:स्थापित किया गया था। इसलिए, यदि 'समाजवादी' जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को हटा दिया जाता है, तो क्या होता है? मुझे लगता है कि यह काफी खतरनाक है। मुझे लगता है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा कर रहे हैं और वे माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ 'डेडवुड्स' को हटाने के लिए कहा है।

यदि आप अंधाधुंध तरीके से ऐसा करते हैं, तो यहां तक कि ठीक कानूनों को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से गलत है। इससे स्थायी समिति को पूरी तरह से नुकसान पहुंचेगा। जब अन्य विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा गया है जहां उनपर गंभीरता से विचार किया जा रहा हैं, तो इस विधेयक को पारित करने में क्या जल्दबाजी है?

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय उपाध्यक्ष, अंतिम विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था, उसमें चार मूल अधिनियम शामिल हैं। लेकिन जहां तक इस विधेयक का संबंध है, वहां कोई मूल अधिनियम नहीं है। केवल संशोधन अधिनियम हैं। विधि आयोग द्वारा यह स्पष्ट रूप से टिप्पणी की गई है कि ये बिल्कुल अप्रचलित और अनावश्यक हैं।

डॉ. ए. संपत: माननीय मंत्री ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूं। किन्तु असहमति का प्रश्न है क्योंकि संविधान को अपनाते समय उसमें 'संप्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द नहीं थे। इसे श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान एक संशोधन के माध्यम से लाया गया था। संविधान सभा के समय ये शब्द नहीं थे। यदि हम इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने जा रहे हैं तो कुछ कमियां और विसंगतियां हो सकती हैं। इसके जरिए भारत के संविधान को भी बदला जा सकता है।

मंत्री जी और भारत की सरकार का कहना है कि वे केवल संशोधनों को निरस्त कर रहे हैं और वे मूल अधिनियमों को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इसलिए, इससे भारत के इस संविधान को बदला जा सकता है। इस तरह की चीजें यहां भी हो सकती हैं। स्थायी समिति अपनी बैठकें कर रही है और पूरी मेहनत करके साक्ष्य भी एकत्रित कर रही है। स्थायी समिति ने पहले ही एक बैठक निर्धारित कर रखी है और भारत सरकार के विभिन्न सचिवों से साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कल बैठक हेतु नोटिस जारी किए हैं। साथ ही, इससे ठीक 24 घंटे पहले, यह सभा इस विधेयक पर चर्चा कर रही है और यह ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित करने जा रही है। मुझे इस पर अपनी असहमति व्यक्त करता हूं क्योंकि इस सभा से उस स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया हूं, इसलिए, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मुझे सभा की गरिमा और सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष में

बैठे सदस्यों के अधिकारों को भी बनाए रखना है। यह विशेषाधिकार है, यह अधिकार है और यह संसद के सदस्यों की शक्ति है। इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि, कृपया संसद सदस्यों की शक्तियों का उल्लंघन न करें।

श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा: मूल अधिनियम और संशोधन अधिनियम के बीच अंतर है। यहां केवल संशोधन अधिनियम लाए गए हैं। इससे पहले, स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक में चार मूल अधिनियम शामिल थे। उन चार प्रमुख अधिनियम के बारे में कुछ चर्चा हुई। उस आधार पर इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। इस विधेयक में कोई मूल अधिनियम नहीं है। इसे स्थायी समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित रूप में, पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

08.12.2014

अपराह्न 3.25 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2014-15

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब, माननीय मंत्री, श्री अरूण जेटली अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) प्रस्तुत करेंगे ।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली):महोदय, मैं वर्ष 2014-2015 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 3.26 बजे

संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014[†††]

[अनुवाद]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

[†††] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनॉक 08-12-2014 में प्रका शत ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि छत्तीसगढ़ में सी.आर.पी.एफ. जवानों के प्रति जो अमानवीय रवैया दिखाया गया है, उसके संबंध में सुबह यह मामला उठाया गया था। ...(व्यवधान) माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते थे। किसी अन्य मुद्दे के कारण, उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया । कृपया उसे वक्तव्य देने के लिए कहें। अन्यथा यह कल भी जारी रहेगा। आज, उन्होंने इस मामले को उठाया है। वह इस पर सहमत थे । ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, आपको स्मरण होगा कि कुछ दिन पहले, जब छत्तीसगढ़ में यह घटना हुई थी, माननीय गृह मंत्री ने आकर *स्वत: संज्ञान* लेते हुए वक्तव्य दिया था ...(व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): मुद्दा यह नहीं है। वह तो हुई घटना के बारे में *बात* थी ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री के.सी.वेणुगोपाल: सुबह ही, हमने सीआरपीएफ जवानों के प्रति दिखाए गए अमानवीय रवैये के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास किया था । यह एक गंभीर बात है। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, माननीय गृह मंत्री यहां थे। अगर यह सदन की यह इच्छा है, तो हम इसे उनके *संज्ञान* में लाएंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, वैसे भी, वह इस पर सहमत हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष : इसलिए, वे बता रहे हैं। वह इसे माननीय मंत्री जी को बताएंगे। वह यहां आ जायेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इस आश्वासन के साथ, मैं बैठ जाता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है।

08.12.2014

अपराह्न 3.26 1/2 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाएं – जारी....

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा प्राकृतिक आपदाओं पर नियम 193 के अधीन चर्चा करेगी । मैं, प्राकृतिक आपदाओं पर बोलने के लिए श्री केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रित करता हूँ।

(हिन्दी)

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अधीन चर्चा में शामिल का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश में आये हुदहुद तूफ़ान के लिए यहाँ पर चर्चा शुरू हुई है। जब से देश में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से देशवासियों को भरोसा है कि अगर उन पर कोई संकट आता है तो निश्चित तौर पर संकट मोचक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार खड़ी होती है। इसे साबित भी किया गया है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, देश के अंदर बाढ़ की समस्या आती है, मैं उस पर आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ।

अपराह्न 3.27 बजे

(प्रो. के.वी. थॉमस *पीठासीन* हुए)

अभी पिछले दिनों जब हुदहुद तूफ़ान आया था, उस समय निश्चित रूप से ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश उससे प्रभावित थे, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश भी उससे प्रभावित हुआ था। उस तूफ़ान के कारण उत्तर प्रदेश में वर्षा और तेज हवाओं के कारण किसानों की लाखों बीघे फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन उस समय किसानों के

लिए कोई राहत की व्यवस्था नहीं की गयी थी। आज देश में जिस प्रकार से ये समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, वे शायद न खड़ी होतीं, पूर्व जो यू.पी.ए. सरकार थी, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी तो उस सरकार ने नदियों को जोड़ने की एक योजना शुरू की थी। उस योजना को पिछली सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया और उसके कारण जहाँ हमारे देश का एक बड़ा भाग बाढ़ में डूब जाता है, वहीं दूसरी ओर देश का बहुत बड़ा भाग सूखे की चपेट में आ जाता है। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, इसलिए किसानों की समस्या को मैं समझता हूँ। किसानों की तीन प्रकार से हानि होती है। कभी बाढ़ के कारण और कभी सूखे के कारण हमारा किसान आजादी के 68 वर्ष बाद भी आज इस स्थिति में है कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो खेती के माध्यम से वह अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता है। गांवों में बैठा हुआ किसान अन्य अनेक संकटों का सामना करता है। मेरे फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में दो तहसीलें - फूलपुर और सोरावं, जो ग्रामीण क्षेत्र के भाग हैं, उन दोनों तहसीलों में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण टापू के रूप में परिवर्तित हो गए थे। नदियों के किनारे बांध के निर्माण की आवश्यकता है। इलाहाबाद शहर में कुम्भ मेला का क्षेत्र है, वहां गंगा-यमुना पावन नदियों का संगम है, वहां पर छः वर्ष में अर्धकुम्भ और बारह वर्ष पर महाकुम्भ का आयोजन होता है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां लगता है। उस मेले क्षेत्र में आने वालों की बहुत भीड़ होती है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गंगा और यमुना जी के दोनों तरफ बांध का निर्माण करके कुम्भ मेले में आने वाले करोड़ों भक्तों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर के सलोरी, राजापुर, भारद्वाजपुरम, दारागंज, बरुआघाट, सैदपुर, बक्शीमोढ़ा, ढोकरी, ककरा, कोटवा, झूंसी, कोहना आदि इलाके पिछली बाढ़ में डूबे हुए थे। नदी पर एक बांध के निर्माण का काम वर्ष 1977 में शुरू हुआ था, उसे थोड़ी दूर तक बनाने का काम हुआ, लेकिन उसके बाद से वह ठप पड़ा है। जब मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य था, मैंने प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में लिखा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहां लीलापुर नाम का एक गांव है, बाढ़ के समय मैं वहां गया था, वह गांव एक टापू के रूप में परिवर्तित्त हो गया था। आज किसानों की स्थिति इतनी बदतर है। कभी कहा जाता था - उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। आज किसान भिखारी से भी बुरी दशा में पहुंच गया है। मैं सरकार का ध्यान

इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि किसानों की समस्या पर ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश में बहुत देर में 40 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए, जब केन्द्र सरकार ने योजना की घोषणा, लेकिन उसमें इलाहाबाद को शामिल नहीं किया गया। वहां अनेक लाख बीघे जमीन के सूखे से प्रभावित होने के कारण धान की फसल नहीं हो पाई, बिजली नहीं आने के कारण सिंचाई नहीं हो पाई और वर्तमान में भी रबी की बुआई का समय है, लेकिन वहां की नहरों में पानी नहीं है।

महोदय, कभी बाढ़ के कारण हमारे किसान नुकसान का सामना करता है और कभी सूखे के कारण नुकसान उठाता है। बाढ़ और सूखे के कारण इस देश में जो संकट आया करता है, उससे मुक्ति के लिए निश्चित रूप से कोई नई प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम भ्रष्टाचार-मुक्त और गरीबी-मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, उसी प्रकार किसानों के हित में मेरी मांग है कि उनके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई जाए। आज मुआवजे की जो राशि निर्धारित की गयी है, वह बहुत कम है। बाढ़ के दौरान किसानों के मकान ढह जाते हैं, लेकिन मुआवजे के रूप में किसी को 500 रुपये और किसी को 5000 रुपये दिए जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि अगर बाढ़ से किसी का मकान गिरता है, तो उसे आवास देने की व्यवस्था की जाए। अगर किसी किसान की एक बीघे फसल डूब जाती है तो उसे कम से कम 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने की व्यवस्था की जाए। नदियों के किनारे रहने वाले बहुत से माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, जब बाढ़ आती है तो लाखों बीघे जमीन कटकर नदियों में चली जाती है। मेरे क्षेत्र में ककरा-कोटवा ऐसे गांव हैं, जहां की लाखों बीघे जमीन गंगा जी में लगभग सात-आठ वर्ष पहले समा गयी। कब वह जमीन वापस आएगी, पता नहीं है, लेकिन उस समय तक उन किसानों का परिवार कैसे चल रहा होगा। इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिनकी जमीन किसी नदी में समा जाती है, जब तक वह जमीन नदी से वापस नहीं मिलती है, तब तक उनको प्रति एकड़ कम से कम 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने की व्यवस्था की जाए, खेती का बीमा कराया जाए जिससे किसान की क्षति की पूर्ति हो सके।...(व्यवधान)

मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।मैं गांव से आता हूं। इस देश के किसानों की स्थिति सांसद महोदय जानते हैं। वह मेहनत करता है, खेती में अनाज पैदा करता है, लेकिन उस अनाज को वह खा नहीं पाता है। अच्छी सब्जी उसके खेत में पैदा होगी तो वह बाजार में बिकने के लिए चली जाती है और जो बाजार में बिकने लायक सब्जी नहीं होती है वह किसान और उसका परिवार खाता है। ऐसे किसानों के हित में आज मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई नयी योजना बनाकर के किसान को राहत पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):माननीय सभापति महोदय, हम सभी प्राकृतिक आपदाओं से परिचित हैं जो भारत जैसे देश के लिए एक बारहमासी समस्या बन गई हैं। यह सच है कि भारतीय उपमहाद्वीप सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्र है। मैं आपको इसका कुछ विवरण देता हूँ कि 85 प्रतिशत भाग एक या अनेक खतरों के प्रति संवेदनशील है; 23 राज्य आपदा प्रवण हैं; 57 प्रतिशत भूमि पर भूकंप आने का खतरा है; 68 प्रतिशत भूमि सूखा प्रवण है; 8 प्रतिशत चक्रवात और 12 प्रतिशत बाढ़ प्रवण है । वर्ष 2004 से, हम भारत में भी 'सुनामी सिंड्रोम' का अनुभव कर रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बाढ़ से 30 मिलियन लोग प्रभावित हैं और 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रवण है । पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड आदि सहित पांच राज्यों के लिए बाढ़ एक शाश्वत समस्या बन गई है।

प्रत्येक वर्ष, भारत आपदा के लिए अपने जीडीपी का 2 प्रतिशत खर्च कर रहा है। प्रत्येक वर्ष, हम अपने राजस्व का 12 प्रतिशत बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए राहत, पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए खर्च कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, सभी प्राकृतिक आपदाओं की अभिव्यक्ति हैं जो हमारी आर्थिक विकास में भी बाधक बनती हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल आदि हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिना प्रभावी और उचित तंत्र

के निष्प्रभावी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। कम-से-कम, हम प्राकृतिक आपदा की आमद को कम नहीं कर सकते हैं।

प्राकृतिक आपदाएं जलवायु संबंधी समस्या, भू भौतिकीय समस्या, मौसम संबंधी समस्या और जल संबंधी समस्या के कारण होती हैं। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजबूत संस्थागत और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। यहाँ, समस्या उन राज्यों को होती थी जो बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं।

उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, वर्ष 2009 में पश्चिम बंगाल चक्रवात 'आइला' से प्रभावित हुआ था। कई सौ किलोमीटर के तटबंध बह गए थे। फसल वाले क्षेत्र में समुद्र के पानी का प्रवेश हो गया था। अब तक, सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया है। मैं यहां किसी भी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन तथ्य यह है कि, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 2009 में पश्चिम बंगाल में आए 'आइला सिंड्रोम' से निपटने के लिए केंद्रीय कोष से कितनी निधियां जारी की गई। 'आईला सिंड्रोम' के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल राज्य के उन असाहय लोगों के लिए कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रहीं है। एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल है जिसे मानदंडों के अनुसार हुई क्षति का आकलन करने के लिए भेजा गया था। उनका मूल्यांकन प्रतिवेदन राष्ट्रीय कार्यकारी आयोग की उप-समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए था। इसके बाद इसे अनुमोदन के लिए उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाना था। मैं, सरकार को संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाने का सुझाव दूंगा क्योंकि एक कहावत है ' 'समय रहते संभलने से बड़ी आपदा टल जाती है'। यदि आप उचित तरीके से काम करते हैं तो अनेक चीजें बचाई जा सकती हैं।

महोदय, मुझे ज्ञात है कि समय अभाव है। मैं, सिर्फ यह उल्लेख कर रहा हूँ कि विशाखापत्तनम, जिसे 'सिटी ऑफ फार्चुन' के नाम से जाना जाता है, में क्या हुआ है। यह एक 'स्टील सिटी' है। सबसे पहले, मैं सेना के जवानों को बधाई देता हूं, जिन्होंने उन दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को बचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दूसरी बात, मैं, अपने मौसम विज्ञान अधिकारियों को भी बधाई देता हूं जो प्रभावित राज्यों को लगातार शुरुआती चेतावनी देते रहे। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के बावज़ूद, विशाखापत्तनम इस्पात शहर में क्या हुआ है? लगभग

21 दिनों तक कोई उत्पादन नहीं हुआ। प्रति दिन परिचालन क्षति 21 करोड़ रुपये माने तो, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को लगभग 840 करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ था। प्रबंधन द्वारा उपकरण को नुकसान के कारण क्षति का प्रारंभिक अनुमान 300 करोड़ रुपये पर लगाया गया।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भारी उद्योग को हुए नुकसान को देखते हुए, क्योंकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, इसे कर राहत के रूप में तत्काल राहत दी जाए। कुल कर अवकाश दो वर्षों के लिए दिया जाना चाहिए। कर राहत, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और लाभांश शुल्क में दी जानी चाहिए।

सभी प्रकार के प्रारंभिक चेतावनी तंत्र के बावज़ूद, चक्रवात के दौरान विशाखापत्तनम शहर में क्या हुआ था? पानी 100 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेचा गया। लेकिन यह उन लोगों तक नहीं पहुंचा जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत थी। जब चक्रवात आंध्र प्रदेश के तटीय शहर को तबाह कर रहा था उस समय के दौरान एक पूर्णरूप से एक अव्यवस्था और अराजकता का माहौल था।

समय की कमी के कारण, मैं केवल दो या तीन सुझावों का उल्लेख करूंगा। सबसे पहले, हमें एक मजबूत आपदा न्यूनीकरण योजना की आवश्यकता है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व के प्रत्येक स्तर के लिए एक विशिष्ट राष्ट्रीय स्तर की योजना होनी चाहिए और मौजूद विभिन्न सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए।

दूसरा, पर्यावरण का क्षरण, प्राकृतिक खतरों की आवृत्ति और तीव्रता में बदलाव ला सकता है। हमें तैयारियों के लिए एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। केवल लचीलापन ही प्राकृतिक आपदा के हमले को कम कर सकता है। इसलिए, पूर्व तैयारी, आपदा जोखिमों और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को बेहतर तरीके से जोड़कर एक ठोस विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए, और इसमें आकस्मिक नियोजन, उपकरणों और आपूर्तियों का भंडारण, समन्वय, निकासी और जन सूचना के लिए व्यवस्थाओं का विकास और संबद्ध प्रशिक्षण और क्षेत्र अभ्यास जैसी क्रियाकलाप शामिल हैं। यह औपचारिक संस्थागत, विधिक और बजटीय क्षमताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। संबंधित पद 'तैयारी', जहां सरकार बुरी तरह विफल रही, आवश्यकता होने पर त्वरित और उचित रूप से प्रतिक्रिया देने की क्षमता का वर्णन करता है।

महोदय, मैं कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र है। 'यहाँ पर भवन संहिता' होनी आवश्यक है। कश्मीर सरकार ने किसी भी 'भवन संहिता' का पालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। तथापि, मैं चाहूंगा कि इसके कारणों पर गृह मंत्रालय विचार करे।

(हिन्दी)

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा के कारण अनेक हैं और हमारे बहुत सारे सदस्यों ने इस विषय पर बात की है। मैं अभी अधीर रंजन जी की बात सुन रहा था। उन्होंने बताया कि आर्या के कारण सन् 2009 में पश्चिम बंगाल में बहुत समस्या हुई थी। जब इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो हम सभी संवेदना रखते हैं। उस समय केंद्र में इन्हीं की सरकार थी। अभी छह महीने हमारी सरकार को आए हुए हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कि पांच वर्ष तक ये क्या कर रहे थे कि अभी तक वहां के लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाई है। उसके बारे में संभवतः यही अच्छी तरह से बता पाएंगे या राज्य सरकार बता पाएगी या उसके पहले जो सरकार थी, उसने क्यों नहीं किया उसका उत्तर शायद ये ही दे पाएंगे। उसमें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान) सन् 2005 में नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट आथॉरिटी का कानून पास हुआ था। उसके कारण अनेक हो सकते हैं कि राज्यों में संभवतः लोगों के पास उतनी वित्तीय सहायता नहीं थी या फिर वे उतने सक्षम नहीं थे कि प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर वे किस प्रकार से नियंत्रण पा सकें। प्राकृतिक आपदाएं, अगर हम देखें तो मुझे याद है कि बिहार में सन् 2008 में पहली बार आई थी, जब कोसी टूटा था। आज भी लगभग 3700 लोग लापता हैं। लगभग 193 पंचायतें, पांच डिस्ट्रिक्ट्स में साफ हो गए थे। आज भी क्या परिस्थिति है, इसके बारे में बिहार सरकार से पता करने का प्रयास करते हैं, हमें पता नहीं लगता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान ना डालें। उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कीर्ति आजाद के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

*...(व्यवधान)‡‡‡**

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति महोदय, सन् 2008 में कोसी में आपदा आई थी और इस वर्ष हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी प्राकृतिक आपदा आई है। (हिन्दी) दिनांक 02 सितंबर को मौसम विभाग ने वहां की राज्य सरकार को बता दिया था कि परिस्थिति बहुत खराब है और सौ मिलिमीटर के ऊपर वर्षा हो सकती है। राज्य सरकार ने कोई तैयारी कर के नहीं रखी थी। लेकिन धन्यवाद करते हैं, हमारी जो नैशनल डिज़ास्टर रिस्पांस टीम थी, वह तुरंत वहां पर गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत फोर्स को बुलाया। गृह सचिव भी वहां पर गए। लगभग 30 हज़ार आदमियों को वहां पर भेजा गया, जिसमें आर्मी, सीआईएसएफ और अन्य ऐसे लोग शामिल थे ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया इस प्रकार हस्तक्षेप न करें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कीर्ति आजाद के बोलने के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) §§§

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

§§§ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

08.12.2014

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति महोदय, जब वहां की राज्य सरकार इस आपदा के ऊपर काम नहीं कर सकी तो केंद्र सरकार की ओर से तुरंत मदद पहुंचाई गई। वहां का मास्टर प्लान भी जो सन् 2001 में श्रीनगर में बना है, उसके मुताबिक भी 26 फीट तक कोई मकान नहीं बन सकता और पानी इतनी ऊंचाई तक जा रहा था। जो नगीन लेक और डल लेक वहां पर है, जो एक बफर का काम करता था कि जब कभी भी इस प्रकार की कोई त्रासदी हो, जो पहली बार 1902 में हुई थी, वह सारे पानी को लिया करता था। लेकिन ड्रनेज सिस्टम और न जाने कितनी गड़बड़ियां थी, उसके कारण नहीं हो पाया। आज अगर श्रीनगर में किसी प्रकार से मदद हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से हुई। नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से टीम वहां पर गई। वहां जाकर, जितनी भी समस्याएं थीं, पूरी की गई।

केंद्र सरकार ने शुरू में ही 510 करोड़ रूपये क्षतिग्रस्त घरों के लिए दिए। 170 करोड़ उन अस्पतालों के लिए दिए गए जो टूटे थे। यहां तक कि बच्चों की किताबों के लिए 20 करोड़ रूपये दिए गए। केंद सरकार की ओर से यह रिस्पांस था। जिस दिन यह चर्चा शुरू हुई थी, तब उस समय श्री शशि थरूर जी ने कहा था कि आर्मी का उपयोग क्यों करते हैं। आर्मी का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में अभी तक राज्यों में ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, जो लोग बाढ़ में किसी प्रकार से सहायता कर सकें। इसीलिए हम सदैव अपना सेना, वायु सेना और नौसेना उपयोग करते हैं। यह शशि थरूर जी को मालूम होना चाहिए। पिछले दस सालों से जब वे सरकार में थे तब उन्होंने ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? उस विषय के ऊपर उनको बताया चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बताया। वहीं दूसरी ओर अगर आप पिछले वर्ष उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी को देखें तो चार दिन तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी सहायता उत्तराखण्ड में नहीं पहुंचाई गई थी। लोग जलमग्न हो गए। जल में लोगों की समाधि हो गई। आज तक वहां लोग जमीन में दबे हुए हैं। किसी को मालूम नहीं है कि कौन कहां है। इसलिए जब कभी भी कोई कहता है कि हैडलेस चिकन, आज भी एनडीएमए है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। कहीं भी एनडीएमए की ओर से कोई कमी हुई हो तो ये हमें बताएंगे। उसके लिए मैं इनसे जानकारी लेना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी है, कहीं पर हमारे एक्शन फोर्स ने काम किया हो या न किया हो? अभी

आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा की बात हुई। मैं, ओडिशा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तेजी दिखाई, लेकिन 24 घंटे के अन्दर केन्द्र सरकार की तरफ से आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के अन्दर सहायता भिजवाई गई और जो हानि हुई, उसे रोकने में बहुत हद तक, हानि तो हुई ही, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से एन.डी.आर.एफ. की जो टीम गई थी, उसकी बहुत ज्यादा सहायता रही है। वर्ष 2008 में, प्राकृतिक आपदा में अगर सबसे भयंकर आपदा किसी को कहा जाए, जिसका वर्णन मैंने शुरू में भी किया था कि पाँच डिस्ट्रिक्ट की लगभग 193 पंचायत डूबकर खत्म हो गईं, टूट-टूटकर सब कुछ निकल गया, वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ के 3,700 लोग आज भी लापता हैं। बिहार सरकार से अनेकों बार इस विषय के ऊपर हमने पूछने का प्रयास किया, लेकिन बिहार सरकार से आज तक हमें उत्तर नहीं मिला है।...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उस समय आप तो सरकार के साथ थे ।...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : जब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री मनमोहन सिंह जी वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय आपदा है। जब वे दिल्ली आये और उनसे पूछा गया तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा और कोई समर्थन नहीं मिला। बहुत लोगों की ओर से जो पूरे देश भर से अलग-अलग जगहों से रिलीफ आई थी, उस रिलीफ को उस समय के मुख्यमंत्री जी ने वापस किया। जैसे गुजरात से रिलीफ आया था तो उसको उन्होंने वापस विया। वह रिलीफ उन लोगों के लिए था, जिनके घर उजड़ गए थे, परिवार उजड़ गए थे, जिनके मवेशी खत्म हो गए थे, लेकिन खेद की बात यह है कि उस समय के मुख्यमंत्री ने उस पैसे को वापस किया।

श्रीमती रंजीत रंजन : आपने क्यों नहीं लिया? आप तो सरकार के साथ थे।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसीलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया।...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : उस समय हमने केन्द्र सरकार से...(व्यवधान) आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।...(व्यवधान) मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ।...(व्यवधान) इसीलिए यह हुआ।...(व्यवधान) आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)

महोदय, मैं मिथिला की भूमि से आता हूँ। मैं मिथिलाँचल के क्षेत्र से आता हूँ। हम लोग सदैव मौर्य सभ्यता की या फिर गुप्तकालीन सभ्यता की बात करते हैं। मैं उस मिथिला की भूमि से आता हूँ, जिसका वर्णन त्रेता काल से है। राजा जनक, जगत जननी जानकी, माँ वैदेही, मैथिली, सीता माँ के अनेक नाम हैं, मैं उस जगह से आता हूँ। वह त्याग की भूमि है और जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, वह सदैव जलमग्न रहता है। नेपाल से अनेकों जंगली नदियाँ निकलती हैं और वे आकर पूरे मिथिलाँचल के, उत्तर बिहार के क्षेत्र को ध्वस्त कर देती हैं। आज भी मिथिला रो रही है। अगर पुराणों में देखा जाए, ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से मिथिला का बहुत उच्च स्थान रहा है। आप आज भी पुराणों में देखेंगे तो जानेंगे कि जिस समय पूरे विश्व भर में अकाल था, तो वह केवल एक मिथिला की भूमि थी, जिसने सबको भोजन कराया था। आज मिथिला की यह परिस्थिति है कि केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, हम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं, हम पढ़-लिख नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर शैक्षणिक आपदा भी है, हमारे ऊपर आर्थिक आपदा भी है। हम नेपाल के उस बॉर्डर से लगते हैं, जहाँ से ये नदियाँ चली आती हैं। जब नेपाल में पानी भर जाता है तो जहाँ पानी फँसा होता है उन बाँधों को खोल दिया जाता है और वे नदियाँ नेपाल से आकर हमारी पूरी मिथिला की भूमि को खराब करके चली जाती हैं। आज परिस्थिति यह है कि अनेक जगहों पर चौर, चौर यानी जहाँ नीचे की जमीन होती है, जब उसके अन्दर बाढ़ आती है तो पानी सालों-साल तक वहाँ रह जाता है। अगर आज आप देश भर में देखेंगे तो गंगा के उत्तर के लोग, जो मिथिलाँचल के क्षेत्र के लोग हैं, वे लोग आपको दिल्ली में भी मिलेंगे, बम्बई में भी मिलेंगे, गुजरात में भी मिलेंगे, वे आपको हरियाणा में भी मिलेंगे, ये सभी वे लोग हैं, जो पीड़ित हैं। इस कारण से वे अपने देश को छोड़कर परदेस में आकर जगह-जगह पर अपनी रोटी कमाते हैं। हमारे साथ तो मिथिला में और भी गड़बड़ी हुई कि सन् 1816 में सुगोली का एक पैक्ट हुआ। सुगोली के पैक्ट में जहाँ पर जनकपुर के अन्दर जनकपुर मन्दिर है, जहाँ राम जानकी विवाह हुआ था, वह भी नेपाल में दे दिया गया। हमारे आठ ऐसे जिले हैं, जो नेपाल में चले गए। उसके कारण से हमारी मिथिला की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हमारे यहाँ के जो अलग-अलग तीज, त्यौहार हैं, अपने यहाँ पर हम जो दूसरे अलग-अलग रूप में चीजों को मनाते हैं, आज भी उन्हें वह स्थिति नहीं मिल पाई है। हमारी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस बाढ़ के कारण से जो मिथिला सदैव त्याग की भूमि रही थी, वह सदैव त्याग

करती रहती है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि वहाँ पर केवल दो फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ, जिसे किसान अपनी मेहनत से उगाता है और दूसरा होता है रिलीफ, जो अफसर खा जाता है। वहाँ लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन वह रिलीफ अफसरों की जेबों में चला जाता है। वे उसको गट करके चले जाते हैं और गरीब आदमी वहाँ समस्याओं से जूझता रहता है। अभी हुदहुद आया था । लोगों ने हुदहुद की बात की कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन क्या आज तक किसी ने बात की कि उस हुदहुद ने मिथिलांचल के क्षेत्र में आकर भी अपना डंका बजाया। वह हमारे लोगों को तोड़ते हुए, खत्म करते हुए दरभंगा से मधुबनी के क्षेत्र में गया। वह परिस्थिति कोई नहीं देखता। बिहार में जो परिस्थिति इस समय अफसरों और सरकार की है, वह केवल बयानबाज़ी कर सकती है। बयानबाज़ी के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं करती। लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं है। उसके कारण से वह मिथिला की भूमि, जो बिहार के नाम से जानी जाती है, आज यदि कोई बिहार कहता है तो हमें खुशी ज़रूर होती है लेकिन य़दि कोई मैथिल या मिथिलावासी कहता है तो हमें बहुत सम्मान और गर्व महसूस होता है कि हम जगत जननी माँ जानकी के क्षेत्र से हैं।

मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। उस सिंचाई योजना के माध्यम से जहाँ जहाँ पर सुखाड़ होता है, वहाँ पर बराबरी से सिंचाई हो, उसको लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी योजना शुरू की है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी और हरेक गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली बात हुई थी, उसी प्रकार से यह योजना भी माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई है। हरेक साल, चाहे सूखा भी हो, तब भी मिथिलांचल क्षेत्र में बाढ़ आती ही है क्योंकि किसी न किसी नदी में कहीं न कहीं जब बरसात होती है तो तराइयों से निकलता हुआ पानी यहाँ आता है। बाढ़ का एक कारण यह भी है कि पानी आया और वहाँ से गाद नहीं निकाली गई, डीसिल्टिंग नहीं हो पाई है, इसलिए नदी और ज़मीन दोनों का लैवल बराबर हो गया है। उस बराबर लैवल होने के कारण हल्की बारिश भी हुई तो वह पानी घूमकर अंदर क्षेत्रों में घुस जाता है और हमारी स्थिति खराब होती है। इसलिए आवश्यकता है कि वाल्मीकि नगर से लेकर किशनगंज तक में एक बड़ी नहर को बनाया जाए जो इन नदियों पर रहे और उसमें से अलग-अलग नहरों को निकाला जाए जिससे वह क्षेत्र में जहाँ-जहाँ सुखाड़ होता है, एक तो

नियंत्रण होगा कि बाढ़ पूरी तरह से नहीं आएगी, उसको रोकने में हम कामयाब होंगे। साथ ही साथ उनके माध्यम से हम जगह जगह पानी को ले जा सकते हैं और जहाँ सूखा है, वहाँ हम पानी पहुँचा सकते हैं।

अंत में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूँगा। एक बड़ी अच्छी योजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की योजना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नदियों को जोड़ने की योजना शुरू हुई थी। अनेक नदियाँ सूखी रहती हैं, अनेक नदियों में बाढ़ आती है, अनेक नदियों में गाद भरी रहने के कारण से हल्के पानी के कारण से भी पानी ऊपर से उफनकर ज़मीनों पर जाता है। इसलिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से जो पानी बरबाद होकर समुद्र में चला जाता है, उसको बचाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध होगा तो वह पानी को लेकर होगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जो योजना थी, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, सरकार उसके ऊपर देख रही है। मैं यह चाहूँगा कि कम से कम उन क्षेत्रों में यह सबसे पहले की जाए जहाँ आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि बिहार से अभी तक इन नदियों को जोड़ने के लिए वोई योजना नहीं मिली, लेकिन मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसको अपने ऊपर ले और यह मिथिला की भूमि, यह पूर्वांचल ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आजाद: मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। [हिन्दी] केन्द्र सरकार इसको करे जिससे हम कम से कम नदियों को जोड़ें और आगे काम हो सके।

सभापति जी, हमारी बहन उधर से बैठी हुई बोल रही थीं। मैं उनसे यह कहूँगा कि बाढ़ का राजनीतिकरण न करें। बाढ़ सबको बराबर प्रभावित करती है। ...(व्यवधान) मैंने तो केवल इतना कहा कि राजनीतिकरण न करें, वे तुरंत उठ गए। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूँ। सभापति जी, आपने एक मिनट समय दिया है, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आज़ाद : मैंने कहा राजनीतिकरण न करें, एक साथ आएँ। (हिन्दी) आप बिहार की बहू हैं, आप बिहार आई हैं। हमें प्रसन्नता होगी कि बहू बहू की तरह रहकर काम करे, हमें अच्छा लगेगा। ...(व्यवधान) 1953 में माननीय जवाहर लाल नेहरू जी हवाई जहाज़ में चीफ इंजीनियर सीपीडब्लूडी के साथ हमारे यहाँ गए थे लेकिन जो डैम हमारे यहाँ बनना था, वह भाखड़ा नंगल में बन गया। हमारे लोग आज ग्रसित हैं।...(व्यवधान) अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या बात करूँगा? [अनुवाद] मैं, हम सभी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री कीर्ति आज़ाद : दूसरी तरफ अस्पतालों की स्थिति है। सबसे पहली बात है कि हमारे बिहार में अस्पताल हैं ही नहीं। अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो दवा नहीं है और अगर दवा है तो वह एक्सपाइरी मैडिसिन है। यह बिहार के अस्पतालों की स्थिति है। सर्पदंश की दवा नहीं मिलती। वहाँ चूना गैमैक्सिन डालने के लिए नहीं मिलता। वहाँ लोगों को जो अलग अलग हैज़ा या दूसरी बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए दवाइयाँ नहीं मिलतीं। लोगों को बांध के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से पानी में डूबा होता है। वे बीमारियों से ग्रसित रहते हैं।...(व्यवधान)

08.12.2014

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।आपने पहले ही 15 मिनट का समय ले लिया है।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री कीर्ति आज़ाद : मैं सुझाव देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे। इंटर लिंकिंग का बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना " प्रधानमंत्री सिंचाई योजना " है। मेरा अनुरोध है कि उत्तर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इस कार्य को सबसे पहले किया जाए।

08.12.2014

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर (कन्नूर): महोदय, धन्यवाद। प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे देश के विभिन्न भागों में हम जिस गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, माननीय सदस्यों ने उसका वर्णन किया है। प्राकृतिक आपदा, वास्तविक शब्दों में, एक प्राकृतिक तबाही है, जो प्राकृतिक घटनाक्रम में परिवर्तन से आती है, और अनुभव की गई क्षति, आबादी की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। यह आपदा, चाहे प्राकृतिक हो या मनुष्य द्वारा निर्मित हो, इसने जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है, और इस तरह की घटनाओं के दुष्प्रभावों से लोगों को उबरने, सब कुछ सामान्य स्थिति में वापस लाने में; और लोगों का पुनर्वास करने में एक लंबा समय लगेगा।

भारत, प्रकृति द्वारा विनाश के हर रूप का शिकार रहा है, अर्थात् सूखा, बाढ़, अकाल, भूकंप। कुछ हद तक, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी ऐसी आपदाओं का कारण रहा है। आपदा केवल तब होती है जब कमजोर स्थानों पर इस प्रकार के खतरे होते हैं, वैसे जब प्राकृतिक घटनाएं क्षति पहुंचाती हैं और कोई हताहत नहीं होते हैं, तो इसे प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जाता है।

जैसा कि हमने देखा है, उत्तराखण्ड में पिछले वर्ष बड़ी संख्या में भूस्खलन होने से आपदा बढ़ गई थी और इससे मानव जीवन, संपत्ति आदि का भारी नुकसान पहुंचा था। इसी प्रकार, जम्मू और कश्मीर, विशाखापत्तनम, ओडिशा में भी यही हुआ और यह मेरे केरल राज्य सहित पूरे भारत में हो रहा है।

मैं, भारत में हर जगह व्याप्त उन सभी गंभीर स्थितियों का वर्णन नहीं करना चाहती, लेकिन मैं केवल भारत सरकार के समक्ष कुछ मांगें रखना चाहती हूं। प्रभावित क्षेत्रों के लोग सरकार से कोई सहानुभूति या दया नहीं चाहते। उन्हें अपने जीवन के लिए कुछ वित्तीय सहायता की आशा है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि भारत सरकार द्वारा तुरंत निम्नलिखित कदम उठाए जाएं।

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज अपर्याप्त है, और केंद्र सरकार को विशेषरूप से उन लोगों के पुनर्वास के लिए अधिक व्यापक पैकेज लाना चाहिए, विशेषरूप से ऐसे लोग, जो पूरी तरह से बेघर हो गए हैं और अपने भविष्य के बारे में पूरी तरह से अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

राज्य में, विशेषरूप से, जम्मू और कश्मीर और विशाखापत्तनम में व्यापार, पर्यटन और वाणिज्य क्षेत्र लगभग नष्ट हो गए हैं। हम सभी जानते हैं कि पर्यटन, जम्मू और कश्मीर घाटी में, विशेषरूप से इस मौसम में लाखों लोगों के लिए आजीविका का एक स्रोत है। इसलिए, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सुनिश्चित करते हुए व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधियों के पुनरुद्धार के उपाय किए जाने चाहिए।

महोदय, राज्य में, अधिकांश कृषि योग्य भूमि तबाह हो गई है, मवेशी नष्ट हो गए हैं और सभी खड़ी फसलें, , विशेषरूप से घाटी और विशाखापत्तनम में वस्तुतः नष्ट हो गई हैं। इसलिए, किसानों के लिए तत्काल ठोस राहत उपाय और खड़ी फसलों को हुई क्षति के लिए पर्याप्त मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए।

घाटी में लोगों के कुछ वर्गों के बीच व्यापक भावना और गुस्सा है, विशेषरूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि इस आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए विदेशी सहायता के प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का एक स्पष्ट बयान इस सम्बन्ध में अनावश्यक अटकलों को दूर करने के लिए जरूरी है जो अन्यथा घाटी में लोगों का विश्वास बनाए रखने करने के लिए बहुत क्षतिकारक हो सकता है।

महोदय, मेरे दल से प्रतिनिधि हमारे पोलित ब्यूरो के सदस्य और राज्य सभा में हमारे समूह के नेता, श्री सीताराम येचुरी के साथ कश्मीर और विशाखापत्तनम के दौरे पर गए थे । मुझे लगता है कि वह संसद के पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां के लोगों की दयनीय स्थिति देखी।

<u>अपराह्न 4.06 बजे</u> (श्री हुक्मदेव नारायण यादव *पीठासीन* हुए *)*

समाचार-पत्रों में यह बताया गया कि अनेक निर्वाचित प्रतिनिधि अब तक इन स्थानों पर नहीं गए हैं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों ने भी गंभीर स्थिति का आकलन करने और नुकसान

का आकलन करने के लिए इन स्थानों का दौरा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं कहूंगी कि उसने प्रतिक्रिया देने में तत्परता नहीं दिखाई। इसलिए, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहती हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की मदद करने के लिए जम्मू और कश्मीर, विशाखापत्तनम और अन्य स्थानों पर तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। धन्यवाद।

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): महोदय, नवीनतम तकनीकों के बावज़ूद मानव जाति द्वारा प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है। हम केवल इसका सामना करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान कमोबेश सटीक होते हैं। असमान विकास या प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए जाने के कारण भारी बाढ़ और सूखा पड़ा है। कुछ वर्ष पहले, उत्तरांचल को प्रकृति के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इस वर्ष कश्मीर को इसका सामना करना पड़ा। कश्मीर में बाढ़ की स्थिति भयावह थी। यह अभूतपूर्व थी।

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बाढ़ और सूखे बार-बार होने वाली स्थिति बन गए हैं। बाढ़ का प्रबंधन राज्य का विषय है, लेकिन राज्यों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बाढ़ और सूखे की बात आती है, तो राहत और पुनर्वास के मामले में राज्य लाचार और असहाय हो जाते हैं।

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर आते हैं, पिछले वर्ष भी बाढ़ ने अनेक जिलों को प्रभावित किया था, जिसके परिणामस्वरूप धान की उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। पश्चिम बंगाल को न केवल बाढ़ का सामना करना पड़ा, बल्कि गर्मी के प्रकोप को भी झेलना पड़ा। अप्रैल-मई, 2014 में, भीषण गर्मी के कारण, बंगाल में जूट की खेती को भारी नुकसान हुआ। अप्रैल-मई, 2014 में विशेषरूप से 24 परगना में सूखे जैसी स्थिति थी। जब बारिश कम होती है, गर्मी बहुत होती है; और किसी अन्य समय बाढ़ दहशत पैदा करती है, और पश्चिम बंगाल के लोग भारी जोखिम और भारी संकट का सामना करते हैं।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार जिसकी पहले से ही वित्तीय स्थिति खराब स्थिति में है, इन प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के दुरुह कार्य का सामना कर रही है। केंद्र सरकार, प्रभावित राज्यों में बाढ़ और सूखे के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण क्यों नहीं अपना सकती और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष और आपदा राहत कोष से पर्याप्त धनराशि क्यों नहीं प्रदान करती है ताकि राज्य की स्थिति में सुधार किया जा सके, जो भीषण बाढ़ और सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है?

मैं, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक स्थायी निगरानी विभाग स्थापित करने का सुझाव देना चाहती हूँ क्योंकि एक के बाद एक बाढ़ और सूखा पड़ रहे हैं या देश के विभिन्न राज्यों में एक साथ देखे जा रहे हैं। मैं, केंद्र सरकार से उन राज्यों में यथार्थवादी स्थिति का पता लगाने के लिए एक समीक्षा समिति बनाने का भी अनुरोध करूंगी जो बाढ़ या सूखे से प्रभावित हैं और राज्य के प्राधिकरणों के परामर्श से केंद्र सरकार को स्थिति की जानकारी प्रदान करे ताकि राज्यों को बाढ़ और सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त धनराशि मिले सके।

जब पश्चिम बंगाल सरकार, जो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, की बात आती है तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उदारता से उपयोग किया जाना चाहिए। मैं, केंद्र सरकार से यह भी आग्रह करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में अल्प वर्षा होने की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अन्य योजनाओं के तहत अधिक धन आवंटित किया जाए।

वर्ष 2013 में बाढ़ के दौरान पश्चिम बंगाल की अनुमानित 8.35 लाख आबादी प्रभावित हुई थी; पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण वर्ष 2013 में 112 लोगों ने अपनी जान गंवाई; और कुल 4,114 लाख रुपये की क्षति हुई। जब भारत सरकार के पास पहले से ही अध्ययन, विश्लेषण और कार्य करने की क्षमता है, तो केंद्र सरकार बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए पहले से ही डेटा या सूचना प्रदान कर अथवा सूखे और बाढ़ के बाद में होने वाले प्रभावों से निपटने के लिए धन आवंटित करके उचित कदम क्यों नहीं उठा रही है?

एक कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारी 60 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। बाढ़ या सूखे की स्थिति में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ऋण माफ करने की घोषणा करनी चाहिए।

अंत में, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में रखना चाहूंगी। बाढ़ से निपटने के लिए निवारक उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है। बाढ़ के पानी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। बाढ़ द्वारा कृषि योग्य भूमि का कटाव एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान केंद्र सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, क्या केन्द्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी एक कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसकी नियमित अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए? राज्यों द्वारा बाढ़ और सूखे से हुए नुकसान की पर्याप्त भरपाई की जानी चाहिए। एक विशेषज्ञ निकाय को बाढ़ और सूखे का अध्ययन कराना चाहिए और केंद्र और राज्यों द्वारा अक्षरशः पालन किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों और सिफारिशों को तैयार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार, समाज के गरीब और वंचित लोगों के लिए सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट कार्य कर रही है। भविष्य में भी हम और मेहनत करेंगे, ताकि आम आदमी बाढ़ और सूखे से प्रभावित न हो।

धन्यवाद, महोदय।

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु):माननीय सभापति महोदय, मुझे प्राकृतिक आपदाओं पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो प्राकृतिक आपदाओं से बचा हुआ है, हालांकि, इस तरह की आपदाओं का होना समय-समय पर और स्थान-स्थान पर भिन्न हो सकता है। जिस आपदा के संबंध में भारत को अधिक खतरा है, वह मूल रूप से बाढ़, तूफान, भूस्खलन, आग, सुनामी और निश्चित रूप से चक्रवात हैं। ये आपदाएं स्वास्थ्य सेवा, बिजली, जल परिवहन और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित करती हैं और सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

महोदय, मैं इस सम्मानित सभा में हुदहुद चक्रवात की ताजा स्मृतियों को लेकर आई हूं, जो मेरे क्षेत्र - उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और विशेषरूप से, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी के चार जिलों में आया, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग हैं। चक्रवात ने संपूर्ण स्थान पर विनाशकारी स्थिति पैदा कर दी है। आज, इसे वर्ष 1891 के बाद से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में पैदा होने वाले 505 तूफानों में से तीसरा सबसे अधिक तीव्रता वाले चक्रवात तूफान के रूप में दर्ज किया गया है। इससे होने वाले नुकसान ने न केवल बंदरगाह शहर के परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि इसे दुनिया का पहला शहर भी बना दिया है जो आईएमडी के वर्ष 1891 के रिकॉर्ड के अनुसार सीधे चक्रवात से प्रभावित हुआ है। मेरे वरिष्ठ साथियों ने पहले ही आँकड़ों का उल्लेख किया है कि लोगों को नुकसान हुआ है। मैं वही बातें दोहराना नहीं चाहूंगी लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं कि जब चक्रवात आया तो वे स्वयं उपस्थित रहे और राहत गतिविधियों की स्वयं निगरानी की । मैं, इस चक्रवात के पूर्वानुमान के लिए आईएमडी को भी धन्यवाद देती हूं और इस पूर्वानुमान ने बहुत से जीवन की क्षति होने से बचाया है और हम वास्तव में इस सहायता के लिए आई.एम.डी. को धन्यवाद देते हैं। इस आपदा के चार चरण होते हैं अर्थात् रोकथाम, तैयारी, राहत और अंतिम भाग उससे उबरना है।

जब रोकथाम की बात आती है, तो हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं ईश्वरीय आपदाएं होती हैं । इसलिए, अधिकांश आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है। जहां तक तैयारी का सवाल है, मैं अपना ध्यान

अपने राज्य की ओर आकर्षित करता हूँ जहां मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षा संस्थानों को बंद करने, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने और सभी लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया गया। तो, यह उससे वास्तव में अनेक लोगों की जान बची है। हम वास्तव में विशेष चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को बहुत नुकसान होने से रोक सकते हैं। तैयारियों के संबंध में, मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि आई.एम.डी. पूर्वानुमान को लोगों द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इससे नुकसान को भी रोका जा सकेगा। कुछ लड़कियां हॉस्टल में रह रही थीं। उन्हें छुट्टियां नहीं दी गईं। छात्रावासों में पानी और भोजन नहीं था। दो, तीन दिनों तक लड़कियां बुरी तरह पीड़ित रहीं। बच्चों के अभिभावक मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन, हम क्षेत्र से बाहर नहीं जा सके क्योंकि पूरे शहर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित था। सड़क पर कचरा था, सड़कों पर पेड़ गिरे थे और सार्वजनिक परिवहन बाधित था। जब भी आईएमडी कुछ चीजों का निदेश देता है, तो सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेती है। मैं चाहती हूं कि लोग भी इस पर ध्यान दें और स्थिति को बहुत गंभीरता से लें।

राहत कार्यों के बारे में हमने अनेक राहत और पुनर्वास केंद्रों बनाए, जिनमें लोगों को ले जाकर रखा गया था। मेरे कुछ सहयोगियों ने जैसा कहा है, पुनर्वास केंद्रों में सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब थी। इसकी वजह से, अनेक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राहत शिविरों में भी अनेक लोगों की मौत हुई।

आज मैं, सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस संबंध में सक्रिय होना होगा। मैंने *टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू मैगजीन में पढ़ा है,* कि आपदा प्रबंधन का पुनर्गठन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें पांच सदस्य होंगे। गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कहा गया है कि पांच सदस्य एनडीएमए का भाग होंगे। वे केवल तकनीकी सदस्य होंगे। मैं इस पहल का समर्थन करती हूं। यदि एनडीएमए का गठन तकनीकी टीम के साथ किया जाता है, तो यह पूरे देश के लिए उपयोगी होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस तरह से निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि वे इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हों। यह अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

08.12.2014
(हिन्दी)

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अधीन गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का ही परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या भूस्खलन, जो मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। मानव दुर्बलताओं के कारण आपातकालीन प्रबंधन के अभाव, इन कष्टों को और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मानव को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है* इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि इस बात पर निर्भर करती है कि जनसंख्या में आपदा को बढ़ावा देने का विरोध करने की क्षमता कितनी है। जब जोखिम और दुर्बलता का मिलन होता है तब दुर्घटनाएं घटती हैं। जिन इलाकों में दुर्बलताएं निहित नहीं हैं, वहां एक प्राकृतिक जोखिम भी आपदा में तब्दील नहीं होती है। जैसे - निर्जन प्रदेश में अगर भूकंप आता है और मानवीय भागीदारी वहां नहीं होती है तो जोखिम या आपदा वहां बनती नहीं है। प्राकृतिक जोखिम किसी ऐसी घटना के घटने की संभावना को कहते हैं जिसमें मनुष्य अथवा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । अनेक प्राकृतिक खतरे आपस में संबंधित हैं, जैसे - भूकंप सूनामी लाते हैं तो सूखा सीधे तौर पर अकाल, भूखमरी और बीमारियां पैदा करता है। वर्ष 2004 में हिन्द महासागर में आया भूकंप, इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा भूकंप है। इस भूकंप के कारण आई भीषण सूनामी में करीब 229000 लोगों की जानें गईं। हुदहुद से 24 मौतें हुईं और दर्जन भर जिलों के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची। पुणे के गांव में भी लोग मारे गए। जम्मू-कश्मीर में बाढ़, आंध्रप्रदेश और ओडिशा में चक्रवात तथा पुणे में भूस्खलन से आई इन प्राकृतिक आपदाओं से अपार क्षति हुई है। इससे जान और माल की क्षति तो हुई फसलों की बर्बादी भी सम्मिलित है। आपदाओं के कारण पिछले वर्ष 21.40 लाख लोग विस्थापित हुए। घाटी में बाढ़ से एक लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। मौजूदा आपदा प्रबंध प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन आधिनियम, 2005 बनाया गया था। इस आधिनियम में आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त योजनाओं को तैयार किया गया और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का संस्थागत ढांचा खड़ा किया गया। बचाव और राहत सहित आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी वैसे तो राज्य सरकारों

की है, लेकिन भारत सरकार इस स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य सरकारों की मदद करती है, सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है।

मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तथा गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने विशाखापत्तनम का दौरा किया, प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाए तथा गंभीर आपदाओं से निपटने के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगभग दस वर्षों से प्रति वर्ष 20 और 30 मार्च के लगभग भयंकर ओला वृष्टि होती है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार आकलन करे कि ऐसा प्रति वर्ष क्यों हो रहा है। जैसे नियति ने यह तय ही कर लिया है कि इस क्षेत्र की फसलें तबाह करनी ही हैं। यह वह समय होता है जब फलियों के अंदर दाने पड़े होते हैं, दाने पकने की तरफ अग्रसर होते हैं। इससे सब्जियां, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पशु मर जाते हैं, घर तहस-नहस हो जाते हैं।...(व्यवधान) जिनका जीवन-यापन ही खेती या पशुपालन है, उनके लिए यह कहर कितना बड़ा होगा, यह वही आदमी जान सकता है जिसने यह आपदा झेली है। कहते हैं -- 'जिसके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई।'

मैं आपके माध्यम से यह बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि ओला वृष्टि को प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित किया जाए, किसानों की मदद की जाए और भारत सरकार राज्य सरकार को भरपूर मदद दे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए पुन: आपका आभार व्यक्त कर रही हूं।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि देशभर और दुनियाभर में प्राकृतिक आपदाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, वह चाहे जम्मू कश्मीर में हो, आंध्र प्रदेश में हो, ओडिशा में हो, असम में हो या मेघालय में हो। हमने इसी वर्ष देखा है कि जब हुदहुद साइक्लोन आया तो आंध्र प्रदेश में चार जिले और एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। ओडिशा में पन्द्रह जिले अफैक्टेड हुए और लगभग ढाई लाख लोग अफैक्टेड हुए। जम्मू कश्मीर में दस जिले और ढाई लाख परिवार बेघर हुए। असम में तेइस जिले और चार

हजार से ज्यादा गांव अफैक्टेड हुए। यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2014 में लाखों परिवारों के लिए अच्छे दिन नहीं आए हैं। आज जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है - गरीब, ट्राइबल लोगों, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों पर पड़ता है। बूढ़े लोगों को समय पर दवाई नहीं मिलती, बच्चों को कपड़े नहीं मिलते, महिलाओं को औषधि नहीं मिलती, खाने की सामग्री नहीं मिलती। यहां जितने सांसद हैं, हमारा समय इसी चर्चा में चला जाता है। आज कश्मीर में छ: रिलीफ कैम्प हैं और जम्मू में तेरह रिलीफ कैम्प हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक हजार करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज की घोषणा की। क्यों जम्मू कश्मीर में घोषणा की, अन्य राज्यों में क्यों नहीं की, यह सब आप जानते हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के जिलों के दौरे पर हैं, क्या वे रिलीफ कैम्प में जा रहे हैं? क्या वे देख रहे हैं कि हजार करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज का इम्प्लीमैंटेशन हो रहा है?

क्या वे उन स्कूलों में गए हैं, जिन स्कूलों में पानी आ गया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या उन बूढ़ों के हाथ उन्होंने देखा है, जिन्हें समय पर दवाई नहीं मिलती। सिर्फ राजनीति करने से हम देश को प्राकृतिक आपदा से बचा नहीं पाएंगे। आज प्राकृतिक आपदाएं और बारिश के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया भर की साइंटिस्ट कम्युनिटी कह रही है कि क्लाइमेज चेंज का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बारिश पर पड़ेगा। पहले कहा जाता था कि भारत के लोगों के लिए बारिश एक तोहफा है, बारिश की तरफ हमारे किसान लोग देखते रहते हैं, लेकिन बारिश जो पहले एक तोहफा था, आज एक सजा बन गया है। जब किसानों को समय पर बारिश का पानी नहीं मिलता, तो उनकी वर्ष भर की जो कठिनाई और परिश्रम है वह सब पानी में चला जाता है। असम के गांव में रहने वाले लोग बारिश के समय डरते हैं, बारिश आने से नदी का हाइट बढ़ जाएगी, नदी की हाइट बढ़ने से इरोजन के जरिए यह उनके गांव की जमीनों को खा जाएगी। कोस्टलाइन पर जो लोग रहते हैं वे डरते हैं कि बारिश के समय समुद्र का पानी उनके खेतो को उजाड़ देगा। शहर में रहने वाले लोग डरते हैं कि जब ज्यादा बारिश आएगी तो शहर में आर्टिफिशिएल फ्लड होगा। हमने मुंबई में भी देखा था गाड़ी और बसों में बैठे हुए लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, क्योंकि आर्टिफिशयल फ्लड के खिलाफ हमारा क्या मिटिगेशन है, हमारे पास इसके लिए कोई प्लान नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने टीचर्स-डे पर

बच्चों से बात करते हुए कहा कि क्लाइमेंट चेंज नहीं है। यह कैसा मैसेज दे रहे हैं, पूरी सांइटिफिक कम्यूनिटी कह रही है कि क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है, डिजास्टर मैनेंजमेंट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेंचज चेंज से हम डिजास्टर को मिटिगेट कर सकते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्लाइमेंट चेंज जैसा कोई मुद्दा नहीं है। हम ब्यूरोक्रेट को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या यह सरकार इस पर सीरियस है? आदर्श ग्राम की बात करते हैं, लेकिन आदर्श ग्राम कैसे हो सकता है, जब हम अपने गांवों को बाढ़ से बचा नहीं पाते हैं, हम अपने गांव को इरोजन से बचा नहीं पाते, तो हम आदर्श ग्राम का निर्माण कैसे करेंगे? हम करोड़ों रुपये रिहैबिलिटेशन में खर्च करते हैं। करोड़ों रुपये हम प्लानिंग में खर्च क्यों नहीं कर सकते हैं? आज हम एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं, हम सूखे की बात कर रहे हैं, आज गेहूं पैदा करने वाला किसान केन्द्र सरकार की तरफ हाथ फैलाए हुए देख रहा है। सूखे के समय गेहूं का दाम बढ़ाना चाहिए, केन्द्र सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 50 प्रतिशत एमएसपी प्राइस को बढ़ाएंगे, लेकिन केवल 50 रुपये बढ़ाए, क्या हम ऐसे उनको बचाएंगे? आज असम फ्लड रिलीफ के ऊपर पॉलिटिक्स चल रहा है। एक हजार करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को दिए गए। गृह मंत्रालय के मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि असम को आपने क्यों नजरअंदाज कर दिया? इरोजन को हम प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं मानते? देश के 85 प्रतिशत क्षेत्र थ्रेट में है, 12 परसेंट रेवेन्यू डिजॉस्टर मैनेजमेंट में जाता है। क्यों नही हम मिनिस्टी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दें। क्यों हम आर्मी पर निर्भर हैं? क्यों नहीं हम अपने एडमिनिस्ट्रिशन की शक्ति बढ़ाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग मंत्रालय बनाएं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करें। क्लाइमेंट चेंज की बात आ रही है, प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करें। फ्लड रिलीफ के ऊपर राजनीति नहीं करें। असम के इरोजन मामले को एक नेचुरल डिजास्टर का दर्जा दें *

08.12.2014

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, राजनीति-राजनीति की बात होती है। आजादी के 67 वर्ष में सदन में राजनीति नहीं हो रही है, तो हो क्या रही है, राजनीति ही हो रही है। अभी जो कश्मीर में एक लाख करोड़ रुपये की क्षति हुई है, आपकी सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राजनीति नहीं किए हैं तो क्या किए हैं। इस सदन में बैठे हम लोग राजनीति ही तो करते हैं, क्या देश के सम्मान और देश के आम, गरीब के लिए यहां कोई दर्द सुनने वाला बैठा है? क्या कोई गांधी, भगत सिंह या सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेता बैठे हैं क्या? इसीलिए मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं कि यह प्राकृतिक आपदा का सवाल उठा है, प्राकृतिक आपदा क्यों आती है? प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कौन करता है? गरीब तो करता नहीं है, आम आदमी तो करता नहीं है।

जिस सरकार की नीयत सही न हो, वह नीति और पालिसी कैसे अच्छी बना सकती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भौतिकवादी सुख और पूंजीपतियों की खुशी के लिए प्राकृतिक स्रोत को समाप्त करने की तैयारी है, जैसे कोयला है। आप पहाड़ों में कोयले की स्थिति को देखिये। कोयले के लिए एक समय निर्धारित है, लेकिन जिस तरह से खदान का डेवलपमैंट किया जा रहा है, खदानों को बढ़ाकर प्राकृतिक स्रोत को समाप्त करने की बात हो रही है तो उससे प्राकृतिक आपदा ही आयेगी। मैं देश के बारे में सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान) मैं विषय पर ही आ रहा हूं। प्राकृतिक आपदा और हुदहुद की बात जब आती है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आप उसी मिथला और कोसी के इलाके से हैं। कश्मीर की त्रासदी के बारे में सबको दर्द है। ओड़िशा, पुणे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम आदि के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन आप सब बिहार की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में कोसी की त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। वहां मिथला के शिवहर से लेकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आदि इलाके बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। यूपीए सरकार ने इस संबंध में 11 हजार करोड़ रुपये और छः महीने में एक सौ केजी अनाज दिया था। उस समय वहां की सरकार बीजेपी के गठबंधन से चल रही थी। वहां डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन उससे प्रभावित है। इस संबंध में हमने दिन-रात एक किया था। जब तक कोसी में सिल्टेशन का मामला सॉल्व नहीं होगा, जब तक बालू की गारत को नदियों से नहीं निकाला जायेगा तब तक आप कोसी को उस त्रासदी से कैसे बचा पायेंगे? आप वहां न तो बांध को ठीक कर पाये और न ही कोई और

चीज कर पाये। वहां नहर और शहर पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप वहां नहर के लिए पैसा नहीं देते हैं। नहर को बनाने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कोसी की त्रासदी, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जाये, इसके लिए सरकार के पास ठोस पालिसी होनी चाहिए, ठोस नीति होनी चाहिए। प्राकृतिक स्रोत को हम समाप्त न कर पायें, उसके लिए एक पालिसी होनी चाहिए।

मैंने कहा था कि आप नागपुर की तर्ज पर बिहार में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमैंट क्यों नहीं खोलते? जबकि आप जानते हैं कि बिहार के तीन भागों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। जब वहां बाढ़ आती है, तब हम लोग हल्ला करते हैं, चिंतित होते हैं। जब किसान मरता है तब हम हल्ला करते हैं। किसान जब भूख से मरता है, तब हम वहां अनाज भेजते हैं। देश की विडम्बना है कि हम लोग यहां सिर्फ राजनीति करते हैं।

सभापति महोदय, मैं बिहार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आप सभी जगह नदियों को जोड़ने की बात करते हैं। आप बिहार की कमला, गंडक, महानदी, कोसी आदि नदियों को जोड़कर कैसे एक सुन्दर बिहार बनाने की कल्पना करेंगे? आप बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम आप बिहार को 3500 करोड़ रुपये दें, ताकि बिहार बाढ़ के मामले में मजबूत हो सके। कोसी और मिथला में हुदहुद के कारण जो स्थिति बनी, उससे वहां का किसान तबाह हो गया। वहां आपने एक पैसा नहीं दिया। इससे वहां का किसान और मजदूर तबाह हो गया। आपने न तो घर के लिए पैसा दिया, न आम आदमी की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा दिया और न जानवरों की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा दिया। बिहार में हुदहुद, प्राकृतिक प्रकोप या कोसी बांध द्वारा जो क्षति हुई है, उसके लिए क्या भारत सरकार कोई सहायता देगी? आप वहां हैल्थ सैंटर की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, बांध पर जो रोड बननी चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे।

सभापति महोदय, मैं दो प्वाइंट्स के बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। आज देश में प्राकृतिक आपदा या जम्मू-कश्मीर के दर्द पर बातें हो रही हैं। जम्मू-कश्मीर में एक लाख करोड़ रुपये की क्षति हुई है। क्या कश्मीर को 1 लाख करोड़ रुपये देकर नया कश्मीर बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है या सिर्फ इस चुनाव के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गये और राजनीति करके आ गये? ...(व्यवधान) जो दर्द डॉ. मनमोहन सिंह जी के पास कोसी के लिए था। ...(व्यवधान) मैं चाहूंगा कि आप कोसी को उबारने के लिए ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त वीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : मैं चाहूंगा कि बिहार के तीन भाग जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : समय का अभाव है। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कोसी के बारे में आई थी। राष्ट्रीय आपदा घोषित भी हुई। आपकी भूकम्प से निपटने की योजना है। आप भूकम्प जोन में क्या करना चाहते हैं?

अंत में, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा के बारे में सदन में हम सब मिलकर कोई राजनीति न करें। हम मिलकर ठोस नीति बनाएं। हम मिलकर यह सोचें कि कैसे भारत के लिए ठोस नीति बनाकर 120 करोड़ लोगों को प्राकृतिक आपदा से छुटकारा दिलाएं।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब से इस विषय पर चर्चा हो रही है मैं तब से पूर्व वक्ता साथियों की चर्चा सुन रहा था। जहां पप्पू भाई ने अपनी बात खत्म की है, मैं वहीं से शुरु करना चाहता हूं।

सभापति जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप गवाह इस बात के हैं कि सदन में हर सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन सवाल केवल चर्चा का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि हमें देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए, स्थायी नीति बनानी चाहिए। मैं यह सदन में केवल आज ही नहीं कह रहा हूं, आदरणीय डॉ. राम मनोहर लोहिया बहुत पहले कहकर चले गए कि जब तक देश में सभी नदियों को नहीं जोड़ेंगे तब तक देश को प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त नहीं करा पाएंगे। यह बात आज की नहीं है, 60-70 के दशक की बात है। सभापति जी, आप उस समय के गवाह हैं, उस समय हम इस सदन के सदस्य नहीं रहे होंगे।

सभापति जी, सदन में बहुत सी बातें कही गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नदियों को जोड़ने का स्थायी इंतजाम किया जाए। मेरी सरकार से दूसरी मांग है कि मौसम विभाग को और प्रभावी बनाया जाए। सरकार तकनीकी जानकारी जुटाते हुए वैज्ञानिकों की सलाह पर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अमल करे। मेरी तीसरी मांग है कि प्राकृतिक आपदा चाहे कश्मीर में आए, चाहे बिहार में आए, चाहे ओडिशा में आए, चाहे आंध्र प्रदेश में आए, चाहे उत्तराखंड में आए या असम में आए, यदि आप केवल राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी डालकर निपटना चाहेंगे तो इससे कभी नहीं निपट सकते हैं। देश के किसी भी भाग में संकट आता है तो भारत सरकार की स्वाभाविक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसलिए भारत सरकार कभी इससे अपने आपको अलग न करे। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा रहा है, आप उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़िए।...(व्यवधान)

सभापति जी, सत्ता पक्ष के कुछ साथी किसानों के दर्द के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसानों का दर्द है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनावी वादे याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने जिसमें कहा था कि देश के किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुना समर्थन

मूल्य देंगे। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह कब होगा? मैं यह सवाल बाद में उठा रहा हूं जबकि सरकार के लोगों ने पहले उठाया था।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, चाहे सूखे का इलाका रहा हो, चाहे बाढ़ का इलाका रहा हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर इलाके के लिए अपने स्तर पर प्रदेश सरकार के खजाने से जो राहत दे सकते थे, वह दी है और भारत सरकार से विशेष पैकेज की मांग भी की है। 73 लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, अगर वे पैकेज नहीं पहुंचा पाए तो जनता देख रही है, अभी उपचुनाव में सबक भी सिखा दिया है और आने वाले चुनाव में भी सबक सिखा देगी।

सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक न बनाइए। अगर इसे राजनीतिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके पास किसी सवाल का उत्तर नहीं होगा। आप बिजली का सवाल उठाते हैं, आप कोयला नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश के कोटे की बिजली नहीं देंगे और उसके बाद सदन में हंगामा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है। देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया है वही सरकार बनाने के लिए जनता ने आपको भी बहुमत दिया है इसलिए लिहाज़ा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है *

इसलिए हम इस विषय को बहुत ज्यादा लम्बा नहीं खिंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की चर्चा सत्ता पक्ष के लोगों ने की, सभापति महोदय आप जानते हैं, किसानों के दर्द को आप समझते हैं, जिस देश के 60-65 फीसदी लोग और आबादी के हिसाब से तकरीबन 80 करोड़ लोग जो आज खेती-किसानी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए एक हजार करोड़ रुपए राशि की सिंचाई योजना बना दी और आप उसकी तुलना प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से कर रहे हैं। एक हजार करोड़ रुपए राशि की योजना से आप पूरे देश के किसानों की समस्या को दूर कर देंगे, इस देश के किसान गुमराह होने वाले नहीं हैं। देश के किसान देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए 60 हजार करोड़ रुपए दिये गये हैं, लेकिन विसानों की सिंचाई योजना को सिर्फ एक हजार करोड़ रुपए देना चाहते हैं। इस देश के किसान देख रहे हैं और आने वाले समय में वे उत्तर भी देंगे। मेरा भारत सरकार के लिए एक विनम्र सुझाव है। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें। यह कहना बंद करें कि

हमने फलां जगह फलां काम किये। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण यह है कि चाहे वह पूर्वोत्तर की समस्या हो, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश जैसे समुद्री राज्यों की समस्या हो, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बाढ़ की समस्या हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो या उत्तराखण्ड की समस्या हो, इन सभी समस्याओं पर बिना किसी भेदभाव के पूरी गंभीरता से विचार करके जो वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों की राय हो, उसे स्वीकार करके एक सार्थक पहल करें, उसका हम लोग भी समर्थन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : सभापति महोदय, इस विषय पर बोलने से पहले मैं एक-एक लाइन में दो मुद्दों पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि जब सभी पार्टियाँ, विपक्ष वाले और सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं तो कहते हैं कि इस विषय पर अब राजनीति मत कीजिए और सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। ह्युमैन ट्रैजडी पर राजनीति करना बुनियादी तौर पर गलत है। [अनुवाद] हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए और हमारे पास देने के लिए सुझाव होने चाहिए। [हिन्दी] पर राजनीति वाली बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ...(व्यवधान) श्री आज़ाद जी ने मैडम के ऊपर कमेंट किया कि आप बिहार की बहू हैं, ऐसे जो पितृसत्तामक दिमागी चौखटे हैं, उससे बाहर निकलें। ...(व्यवधान) कम से कम इस हाऊस से यह आशा नहीं की जा सकती है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। ...(व्यवधान) इससे यह होता है कि औरतों की जो भागीदारी है, उनका जो आत्मविश्वास है, उनको झुठलाया जाता है, उन पर हमला होता है...(व्यवधान) [अनुवाद] मैं श्री आजाद से असहमत हूं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं । [हिन्दी] पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि आप बिहार की बहू हैं। [अनुवाद] यह संसद में बहस का तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : कृपया आप प्राकृतिक आपदा के विषय पर बोलें।

श्री धर्म वीर गांधी : मैं प्राकृतिक आपदा के विषय पर आता हूँ। बस थोड़ा-सा मुझे कहना है कि जब से यह दुनिया आस्तित्व में आयी है, कुदरती आपदाएं आती रही हैं परन्तु पिछले कुछ दशकों में, खासकर इस दशक में भारत में और विश्व भर में इन आपदाओं की तीव्रता में, इंसीडेंस और इंटेंसिटी में बहुत वृद्धि हुई है। केवल इसी वर्ष में हमने 10 बड़ी आपदाएं हिन्दुस्तान में देख ली हैं- चाहे वह हुदहुद हो, चाहे कश्मीर की बाढ़ हो, चाहे असम की बाढ़ हो, चाहे बिहार की बाढ़ हो, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमें चार चीजें चाहिए। वे हैं- रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और लांग टर्म प्लानिंग। जहाँ तक रेस्क्यू का ताल्लुक है, मैं ओडिशा सरकार, आन्ध्र प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार को शाबाशी देता हूँ। जहाँ ये चक्रवाती तूफ़ान आए हैं, इन दोनों सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और लाखों लोगों को बचाया है। यह काम उन लोगों ने बखूबी अच्छा किया है। दूसरी बात है, रिलीफ के मामले में, तूफान के बाद जो लोगों की हालत

होती है और उसके बाद जितने लोग घरों से विस्थापित होते हैं, उनके मामले में जो हमारा इंतजाम है, वह मुकाबलतन बहुत कम है। तूफान के बाद जो बीमारियाँ फैलती हैं, जो एपिडेमिक्स फैलते हैं, उनमें बहुत से लोगों की जान भी जाती हैं और बहुत सारे लोग बीमारी से दुखी भी होते हैं। इस ओर हमारी व्यवस्था काफी कमजोर है। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

महोदय, तीसरा विषय रिहैबिलिटेशन है। यह मोस्ट नेगलेक्टेड पार्ट है। जब बड़े पैमाने पर तबाही होती है तो रिहैबिलिटेशन राज्य सरकारों के वश की बात नहीं होती है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि कहां किस पार्टी की सरकार है, रिहैबिलिटेशन के लिए ज्यादा फण्ड्स दिए जाने चाहिए ताकि लोगों की जिन्दगी दुबारा पटरी पर आ सके और वे सामान्य रूप से जिन्दगी जी सकें। चौथा प्वाइंट है - लाँग टर्म रिहैबिलेटशन, उसके लिए जो एनडीएमए है, जो आजकल हेडलेस बॉडी है और टूथलेस बॉडी है, मुझे खुशी है कि वैज्ञानिक लोगों को, जो अपने प्रोफेशन के माहिर लोग हैं, उनको आप उसमें ला रहे हैं। उसे ज्यादा दृढता देनी चाहिए। जो नेशनल डिफेंस रेस्क्यू टीम्स हैं, उनको भी ताकतवर बनाना चाहिए ताकि कहीं भी आपदा आने पर सारा देश एवजुट होकर वहां पहुंच जाए और हम इन कुदरती आपदाओं से बच सकें। इनमें से कुछ आपदाएं कुदरती हैं और कुछ आपदाओं में कुदरत और हमारी गलतियों का मिश्रण हैं, हमने कुदरत के साथ जो बदतमीज़ी की है, उसका मिश्रण हैं। जैसे चक्रवाती तूफान हैं, [अनुवाद] हमारे पास वहां करने के लिए बहुत कुछ अधिक नहीं है (हिन्दी) जो ज्वालामुखी फटते हैं, भूकम्प आते हैं, हम उनमें कुछ नहीं कर सकते हैं, परन्तु जो बाढ़ और सूखा है, अगर हमारी इच्छाशक्ति हो तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन और स्टेट इंटरवेंशन बहुत कुछ कर सकती है। हमें सरकारों और लोगों को जागरूक करना चाहिए। दरख्तों की जो कटाई होती है, जो माफिया लोग करते हैं, जिनको किसी न किसी पार्टी का संरक्षण प्राप्त होता है, जो लाखों की संख्या में दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और बिना अनुमति के इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उत्तराखण्ड में जो कुछ हुआ, उसे सब जानते हैं। इन बातों पर ध्यान दिए बगैर हम आपदाओं से पूरी तरह से मुक्ति नहीं पा सकेंगे।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदय, पिछले सत्र में भी इस पर चर्चा हुई थी, बाढ़ के ऊपर चर्चा हुई थी और सूखे पर चर्चा करने का अवसर इस सेशन में आया है। प्राकृतिक आपदा के माध्यम से किसानों का जो नुकसान होता है, गरीबों के मकानों का नुकसान होता है और उनके जीवन उध्वस्त हो जाते हैं, ऐसी आपदाओं के बारे में हम क्या योजना बनाएं, उस पर यहां चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन यहां जो भी बोलता है, वह अपनी राजनीतिक भूमिका रखता है और उसमें चर्चा चलती रहती है।

सभापति महोदय, मैं आपको महाराष्ट्र के सूखे के बारे में बताउंगा। महाराष्ट्र में तकरीबन 19059 गांव सूखे की छाया में हैं। वर्ष 1972 में सबसे बड़ा सूखा आया था, तब महाराष्ट्र में 16014 गांव सूखे से प्रभावित हुए थे। इस वर्ष एक करोड़ नब्बे लाख सूखे के इस संकट में फंसे हैं। आज महाराष्ट्र में औसतन तीन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सूखे की इतनी गंभीर स्थिति पैदा हुई है कि अनेक गांवों में पीने का पानी नहीं है, जानवरों को चारे की सुविधा नहीं है, अनेक गांव ऐसे हैं जहां लोग काम ढूंढने के लिए पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों से सूखा, अतिवृष्टि, हिमवर्षा और लोडशेडिंग की वजह से किसान कर्जे में डूब गए हैं। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हमारे यहां के किसानों का कर्जा माफ करना जरूरी है। वर्ष 2007 में जब सरकार ने कर्जा माफी की थी, उस समय की सरकार ने जिन पर कोई कर्ज नहीं था, ऐसे लोगों के कर्ज माफ किए थे, आपके पास उसकी रिपोर्ट भी आई है। आज उसकी बारे में चौकसी है, लेकिन जिन किसानों पर कर्ज है, उनका कर्ज माफ करने की सरकार ने घोषणा की, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ और आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका पाप किसके ऊपर जाएगा।

सभापति जी, वर्ष 2001 से 2014 तक, महाराष्ट्र में 17075 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। पिछले छह महीने में 1410 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं यानी 3 किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोकशाही में, लोगों के लिए, काम करने की व्यवस्था होती है, लेकिन पिछली सरकार के गलत निर्णयों की वजह से ऐसी व्यवस्था निर्मित हुई है। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा हो रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार ने, साहूकारी के विरोध में, असेम्बली में एक कानून पास किया था,लेकिन अभी तक उस कानून को

मान्यता नहीं मिली है। आज भी साहूकारों द्वारा किसानों को लूटा जाता है, जिसके कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।

सभापति जी, महाराष्ट्र पिछले तीन सालों से सूखे से प्रभावित है। वहां के 18 जिलों में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जम्मू-कश्मीर की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, यह मांग मैं यहां करता हूं।

सभापति जी, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के बारे में भी बार-बार यहां चर्चा होती है। मेरा कहना है कि अगर किसानो को आत्महत्या करने से बचाना है, तो सरकार को स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को मानना चाहिए। अगर हम उन सिफारिशों को मान लेते हैं, तो देश के किसानों को हम लोग मुख्यधारा में ला सकते हैं। जो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वही आत्महत्या करे, यह देश के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं मांग करता हूं कि आने वाले समय में, हमारे देश का किसान आत्महत्या न करे, उसके लिए सरकार के माध्यम से पूरे उपाय होने चाहिए। धन्यवाद।

डॉ.अरूण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, इस गंभीर चर्चा में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नेचुरल कैलेमिटी की जड़ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और बाजारवाद तथा भौतिक सुख की आकांक्षा के कारण लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए, हमें एक वातावरण का निर्माण करना होगा और प्रकृति के जितने करीब हम रहेंगे, उतना ही मानवता के लिए अच्छा होगा। यह ठीक है कि हम आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके तांडव के स्वरूप को कम तो कर सकते हैं। विज्ञान और सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जो क्रांति हुई है, उसके माध्यम से, हम इन आपदाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसके मैग्निच्यूड के विस्तार में प्रकृति की बड़ी भूमिका है। विकास का जो एक मानक होना चाहिए कि इस विकास से कितनी

प्रकार की मानवीय वृत्तियों पर चोट पहुंचने वाली है, मानवीय जीवन पर प्रहार होने वाला है, यह विकास के मूल केन्द्र में होना चाहिए।

जिस स्तर का हुदहुद तांडव था, उसके हिसाब से ओडिशा की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, मौसम विभाग और भारत सरकार ने मिलकर इसमें होने वाली क्षति को कम करने की कोशिश की और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। लेकिन हमें इसके लिए लोंग टर्म प्लानिंग करनी होगी। बिहार में, खास तौर से उत्तर बिहार के इलाकों नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ की स्थिति बनती है। लेकिन आज तक हमने इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनाया है। निश्चित तौर से इन नदियों में सिल्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से गांव से उन नदियों की ऊंचाई बीस से पच्चीस फीट ज्यादा हो गयी है। इसलिए इन नदियों की डीसिल्टिंग की जानी चाहिए। हमारे आचार और व्यवहार की वजह से सुखाड़ की स्थिति और पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है और काफी संकट पैदा हो रहा है।

महोदय, हम जिस खाद का प्रयोग आजकल कर रहे हैं, उसकी वजह से वॉटर रिटेनेंशन केपेसिटी घट रही है। आज जो डिफोसटेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी वॉटर रिटेनेंशन केपेसिटी घट रही है। आज ज्यादातर नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है। जल, जंगल और पहाड़ जिस तरीके से अव्यवस्थित हो रहे हैं, उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी ताकि हमारा आज और संतति सुरक्षित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

08.12.2014

[अनुवाद]

श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, नियम 193 के अधीन यह चर्चा अधिक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वे चक्रवात हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, दुर्घटनाएं हो, समुद्री कटाव हो, आकाशीय बिजली हो, तबाही मचा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है। कुछ आपदाओं में, नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है, लेकिन कुछ अन्य आपदाओं में क्षति अपूरणीय हैं। इसलिए, इस प्रकार की आपदाओं को नियंत्रित करना हमारी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है। आपदा प्रबंधन राष्ट्र का कर्तव्य है।

आपदा प्रबंधन के विभिन्न घटक होते हैं। जैसा कि विद्वान मित्रों द्वारा सही बताया गया है, रोकथाम, शमन, जोखिम कम करना, आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी विकसित करना, उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना, निकासी, बचाव और राहत उपाय, उससे उबरना सुनिश्चित करना, पुनर्निर्माण और पुनर्वास उनमें से कुछ घटक हैं। इसलिए, हमें इन घटकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और इसमें अधिकतम संभव को करना होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अतीत में, हमारी आपदा प्रबंधन टीम ने जबरदस्त प्रभाव डाला है। मैं, तहे दिल से, इस तरह की आपदाओं से निपटने में उनके द्वारा किए गए अद्भुत काम के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूँ। देश को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।

इससे संबंधित कानूनों पर आते हैं, हमारे पास आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान नियम, 1989; खतरनाक रसायन नियम, 1989 हैं। ये सभी कानून मौजूद हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आपदा प्रबंधन से संबंधित इन कानूनों में पर्याप्त संशोधन लाया जाए।

अन्य संस्थागत ढांचे की बात करें तो नीति निर्माण, आपदा कार्यवाही और क्षमता निर्माण की समीक्षा की जानी चाहिए और हमें उनके संबंध में भी पर्याप्त सुधार करने होंगे।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

हमारा पिछला अनुभव भी है। पिछले अनुभव के आलोक में, हमें यह सोचना होगा कि व्यवस्था को बेहतर बनाने में हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो, इस पर गहराई से चर्चा की जानी चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता हूं। जहां तक केरल का संबंध है, इसे बिजली गिरने और समुद्री अपरदन का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राज्य में, लगभग 600 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र है। समुद्री अपरदन केवल केरल में ही नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न भागों में भी होता है। समुद्री अपरदन और बिजली गिरना आपदाओं की सूची में शामिल नहीं है। तो, इसे शामिल किया जाना है। तभी न्यूनतम मुआवजे का दावा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

महोदय, विभिन्न निकायों की सिफारिशें हैं जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा गठित कार्य बल; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 2013; गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति, 2014 की सिफारिशें। इन सभी ने इस संबंध में बहुत प्रभावी सिफारिशें की हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस पर भी उचित रूप से विचार करेगी।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में मेरे कुछ विद्वान मित्रों ने इसके बारे में उल्लेख किया है। इसे नया रूप दिया जाना है। मेरी राय यह है कि इसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि अब इसकी शक्तियों का सही ढ़ंग से उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कार्यों को राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और एनडीएमए द्वारा संभाला जा सकता है।

इसी तरह से परियोजनाओं के निष्पादन के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत खराब स्थिति में है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 परियोजनाओं में से जिन्हें एनडीएमए द्वारा लेने की सिफारिश की गई थी, चार को फरवरी, 2014 तक अनुमोदित किया जाना शेष था। अनुमोदित शेष पांच परियोजनाओं में से एक

परियोजना, अर्थात प्रमुख शहरों का 'माइक्रो-जोनेशन' कार्य पूरा हो गया है। शेष चार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ...(व्यवधान)

महोदय, अंत में, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यह मानव निर्मित आपदाओं के बारे में है। मानव निर्मित आपदाओं के बारे में, मैं केवल एक वाक्य में कहना चाहता हूं। वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? मानव-हवा, मिट्टी, पानी आदि के प्रति क्रूर है। इसलिए, जब तक हम मानव निर्मित आपदाओं को बंद नहीं करेंगे और समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया को बचा नहीं पाएंगे और हम आपदाओं से मुक्त नहीं हो सकते।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(हिन्दी)

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनेक सदस्यों ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबने राजनीति की है। प्राकृतिक आपदा पर राजनीति से हट कर सेवा का क्या भाव होना चाहिए यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की प्राकृतिक आपदा में कर के दिखाया और कैसे प्राकृतिक आपदा में संवेदनशील हो कर सेवा करने से लोगों का मन बदल जाता है, यह पूरे देश और दुनिया ने देखा। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज इस अवसर पर मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हुदहुद तूफान से देश के जिन-जिन भागों की चर्चा आई, उसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा बहुत कम आई। मान्यवर मैं यह बताना चाहता हूँ कि हुद-हुद का कुप्रभाव बिहार सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश तक पड़ा है। हुद-हुद के प्रभाव से बिहार मे भी तीन मौंते हुई। हुद-हुद के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही हुई। हुद-हुद से 18 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, देवरिया, मिर्जापुर, भदोही, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती आदि इन सब में इसका प्रभाव रहा। यहां तक कि लखनऊ में हवाई जहाजों की लैण्डिंग भी प्रभावित हुई और ट्रेनें भी प्रभावित हुई। यह जो हुद-हुद का प्रभाव रहा, इस पर हम इस चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे चंदौली में एक गांव जनौली में छह बच्चे मढ़ई के गिरने से घायल हो गए। महोदय, हुद-हुद के प्रभाव से हमारे गाजीपुर के गांव में खुद की बाउंड्री और पेड़ गिर गए। पूरे उत्तर प्रदेश के कोने-कोने तक इसका प्रभाव रहा है। आज की चर्चा में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके संग जो दैवीय आपदा का पक्ष है, इस पर उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों का संज्ञान लिया जाए और उनमें भी मदद का भाव रखा जाए। इस बीच में जो सबसे आवश्यक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर दैवीय आपदाओं के संदर्भ में जो सहायता राशि देने का प्रावधान है, उस पर पुनर्समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

08.12.2014

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

<u>अपराह्न 5.05 बजे</u>

आज प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, तूफान से प्रभावित किसानों की लेखपाल बड़ी मिन्नत के बाद जाँच करता है और उस जाँच के बाद जब वह रिपोर्ट देता है तो कभी-कभी इतनी न्यूनतम राशि की मदद मिलती है कि उस मदद को लेने में किसान और प्रभावित आदमी संकोच का अनुभव करता है। (हिन्दी) वह बैंक जाने से हिचकता है कि ढाई सौ, तीन् सौ रूपए का चेक लेकर मैं क्या करूँगा? इन परिस्थितियों में इसके पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है।

मेरे पास पिछली संप्रग सरकार के समय का एक नोटिफिकेशन है। मैंने इसमें देखा, यह 28 नवंबर, 2013 का है, इसमें समीक्षा करके प्राकृतिक आपदाओं में जो राशि देने की बात कही गयी है, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर महोदय, आपके प्रति सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान लाएँ कि यह जो प्राकृतिक आपदाओं में चालीस रूपए एडल्ट को और चाइल्ड को तीस रूपए राहत कैंप में राशि का प्रावधान है, यह संप्रग सरकार के समय का निर्णय है। मैं सदन के माध्यम से अपनी सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस पर पुनर्समीक्षा करें। चालीस रूपए में राहत कैंप में दिन भर में दो समय का भोजन एडल्ट को और तीस रूपए में बच्चों का भोजन देना सम्भव नहीं है।

प्राकृतिक आपदा में जो परिस्थितियां बनती है, उसमें सारा चारा सड़ जाता है।जो भी पशुओं का चारा है, जो उसका भूसा और खली है, सब बर्बाद हो जाता है। सरकार की तरफ से जो प्रावधान है, उसमें बड़े एनीमल के लिए पचास रूपए पर-डे का है और पचीस रूपए छोटे एनीमल के लिए है। आज पचास रूपए बड़े एनीमल को, गाय को, भैंस को कोई भी किसान नहीं खिला सकता है। जब बाढ़ और तूफान आता है, तो उस समय तो उसके दाम और दूने चढ़ जाते हैं, इस नाते, इस पर भी पुनर्समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

इस चर्चा में मैं उत्तर प्रदेश से जुड़े लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, जो लोग सरकार चलाने से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। अखबारों में तो सरकार ने 54 जिले सूखाग्रस्त घोषित

किए, सारे प्रदेश को अजीब तरीके से जानकारी दी जा रही है, अखबारों में यह घोषित किया गया कि 54 जिले सूखाग्रस्त हैं और प्रैवि्टकली जब भारत सरकार ने रिपोर्ट माँगी तो उसे बताया गया कि 44 जिले सूखाग्रस्त हैं। जनता वहाँ परेशान हो रही है। जनता समझ रही है कि हमारा जिला भी सूखाग्रस्त है। यह जो दोहरी नीति है, यह नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक आपदा का विषय है, केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से स्पष्टीकरण और तथ्यों का अन्वेषण निश्चित रूप से करना चाहिए।

इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई क्षेत्र आज प्राकृतिक आपदा में सूखाग्रस्त घोषित हो गया, वहां फसल बर्बाद हुई, अनेक इलाके सूखे से बर्बाद हुए, धान की फसल बर्बाद हुई, रबी की बुआई का समय है, लेकिन जिला सूखाग्रस्त घोषित है। उदाहरण के रूप में हमारा बनारस है, चंदौली है, ये सूखाग्रस्त घोषित हैं, लेकिन किसान को खाद भी क्रेडिट पर साधन सहकारी समिति की ओर से नहीं दी जा रही है। उसकी राशि पेंमेंट और भी विषयों का बाकी है। धान की बिक्री का उसे पूरा पेमेंट नहीं मिला है। वह क्रेडिट पर खाद से रबी की फसल न बो सके, तो किस बात का सूखाग्रस्त है?

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन सारे विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर उत्तर प्रदेश को, हुदहुद तूफान से प्रभावित इलाकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

08.12.2014

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

देश के विभिन्न भागों तथा जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र में सूखे के विशेष सन्दर्भ में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नियम 193 के अधीन आज सदन में चर्चा हो रही है। ऐसे मौके पर मुझे भी बोलने का मौका मिला है। हर वर्ष देश में विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। जम्मू और कश्मीर में आई भीषण बाढ़ की तबाही से जहाँ भारी जान-माल का नुकसान हुआ, वहीं देश के दूसरे छोर आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात के तांडव ने देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र भयंकर सूखे की चपेट में है। जहाँ किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं। वहीं असम में ब्रहमपुत्र नदी पर प्रत्येक वर्ष हाहाकार मचाती रहती है।

महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार राज्य भी अपनी विषम भौगोलिक संरचना के कारण हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ से परेशान रहता है। यहाँ कुल 68.80 लाख हैक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 प्रतिशत, तथा देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र - 400 लाख हैक्टेयर का 17.20 प्रतिशत है जो प्रत्येक वर्ष नेपाल से परेशान होता है। कोसी नदी, परमार नदी, महानंदा, मैसी, कन्काई आदि नदियों से आने वाले पानी में उत्तर बिहार के पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, कोसी, मिथिला, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्र से अत्यधिक ढाल के कारण नदियाँ अपने जलस्राव के साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं। उसके कारण नदियों का तल ऊँचा हो जाता है और नदियाँ अपनी-अपनी धाराएँ बदल देती हैं जिसके कारण बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ एवं कटाव के कुप्रभाव को झेलना पड़ता है। अतः मेरी गुज़ारिश है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इस समस्या का समाधान करे।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में आई भीषण बाढ़ से जान-माल का काफी नुकसान यहाँ हुआ है। नालंदा ज़िले के 20 प्रखंड हैं जिसमें 15 प्रखंड बाढ़ की चपेट में थे। इस विभीषिका में करीब 150 से अधिक जानें गईं, लगभग 200 जानवर पानी में बह

गए, लगभग 62 हज़ार हैक्टेयर में लहलहाती फसलें बरबाद हो गईं। 2092 कच्चे मकान गिर गए, 161 पक्के मकान गिर गए और पूरी तरह से बाढ़ की भेंट चढ़ गए। 410 पुल तथा 198 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, 150 तटबंध टूट गए। महोदय, बिजली के हज़ारों खंभे टूट गए और करीब 100 ट्रांसफॉर्मर ध्वस्त हो गए। मेरी सरकार से मांग है कि एक कमेटी बनाकर नालंदा संसदीय क्षेत्र की समीक्षा कराई जाए। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से राहत कार्य चला रही थी मगर प्रभावित किसानों को पर्याप्त फसल बीमा मुआवज़ा देने की ज़रूरत है। जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन सभी को पर्याप्त मुआवज़ा देने की आवश्यकता है।

महोदय, रोड, नाले, पुल, पुलिया, सारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन को मज़बूत करके वहाँ मुआवज़ा देने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

08.12.2014

[अनुवाद]

श्रीमती कविता कल्वकुंतला (निजामाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इस सभा में बाढ़ और सूखे दोनों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती देखी हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक गंभीर मुद्दे की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जो इस सम्मानित सभा के संज्ञान में नहीं आया है। विशेषरूप से हमारे देश के उत्तरी भाग में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमालयी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर में अभी ठंड शुरू हुई है। आने वाले दिनों में यह और तेज होगी। विशेषरूप से पिछले कुछ वर्षों में - हमारे अपने सरकारी आंकड़े यह कहते हैं -वर्ष 2002 और वर्ष 2012 के बीच, 10,740 लोगों की ठंड और तीव्र हिम स्खलन के संपर्क में आने से मृत्यु हो गई। यह हमारे देश में बिजली गिरने से मरने वाले लोगों की संख्या से केवल दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2002 और वर्ष 2012 के बीच आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 27,338 लोगों की मृत्यु हुई । यह एक ऐसी आपदा है जिसपर हम में से किसी भी ध्यान नहीं देता है। हम केवल सूखे के बारे में सोचते हैं; हम केवल बाढ़ के बारे में सोचते हैं; लेकिन कोई भी वास्तव में गरीबों और बेसहारा लोगों के बारे में नहीं सोचता है जो इन महीनों में खुद को ठंड से बचा नहीं सकते हैं। बाढ़ और सूखे के विपरीत, यह एक अप्रत्याशित परिदृश्य नहीं है। यह एक बहुत ही अनुमानित परिदृश्य है। हम जानते हैं कि ये महीने बहुत ठंडे होने वाले हैं। हम जानते हैं कि इन राज्यों में बहुत गंभीर मौसमी स्थिति है लेकिन फिर भी हम इसके बारे में कुछ गंभीर नहीं करते हैं।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने एक महीने पहले कहा था कि पिछले वर्ष कड़ाके की ठंड के कारण लगभग 3500 बेघर लोगों की मृत्यु हुई। मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष इन आंकड़ों में कुछ सुधार होगा । ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे दुर्भाग्य से इन शीत आश्रय केन्द्रों में से एक का दौरा करने का अवसर मिला जो दिल्ली सरकार चलाती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। (हिन्दी) बेसिक हाइजीन भी नहीं है। [अनुवाद] वहाँ कुछ भी नहीं है; कोई सुविधा नहीं है।

उस दिन जब मैं वहां गयी थी, तो सरकारी अधिकारी कंबल वितरित कर रहे थे। जिस तरह से वो कंबल बांट रहे थे, वह इस तरह था। एक कंबल को दो भागों में काटा गया और इसे दो लोगों को दिया गया। दिल्ली में इस महीने की ठंड में, मुझे किसी कमजोर व्यक्ति की एक कंबल के सहारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं दिखती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करती हूं क्योंकि यह एक बार-बार होने वाला घटनाक्रम है। यह नया नहीं है। विशेषरूप से, मेरे लिए यह बहुत चौंकाने वाला है कि किसी भी राज्य को किसी भी अभिनव योजना लाने या इस मुद्दे का स्थाई समाधान करने में मदद करने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। यदि वर्ष 2002 और वर्ष 2012 के बीच पिछले 10 वर्षों में, 10,000 लोग मर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि यह राष्ट्रीय चिंता का एक गंभीर मुद्दा है, और मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं, महोदय, कि उन्हें इसका एक स्थायी समाधान करना चाहिए।

विशेषरूप से, जब भी सर्दी आती है, मरने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। पिछली बार जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने अचानक घोषणा की थी कि वे सरकारी बसों का उपयोग कर सकते हैं, जिसका सरकार रात में उपयोग नहीं करती है और वे उन्हें ठंड से बचने हेतु आश्रय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर, ये अस्थायी समाधान मदद नहीं करेंगे। कृपया ठंड से मरने वाले लोगों के इस मामले को देखें। विशेषरूप से जब हम इन मृत्यु के बारे में बात करते हैं - और मैंने अपने अनेक सहयोगियों को ऐसे मुद्दों के बारे में बात करते हुए देखा है, लोगों के जीवन के साथ राजनीति न करें और यह सब - ठंड से मरने वाले लोगों को कोई नहीं जानता है, वे बेघर और गरीब होते हैं। उनका कोई धर्म नहीं है। उनकी कोई जाति नहीं है। उनका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है। शायद इसलिए, हमें उनकी परवाह नहीं है। मैंने संसद में इस चर्चा को कभी नहीं देखा। मैं अचानक आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए खड़ी हुई क्योंकि मैं उस शीतगृह में गई और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। इसकी हालत बहुत ख़राब है। मुझे यकीन नहीं है कि यह चर्चा में प्रासंगिक है या नहीं। लेकिन वास्तव में, मैं पूरे सदन का और विशेषरूप से, गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि वे इसपर ध्यान दें।

आज भारत एक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है और अगर हम अपने गरीब और बेसहारा लोगों को बचा नहीं सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा बनने की आकांक्षा करने का भी कोई अधिकार है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: यह भी प्राकृतिक आपदा का एक भाग है। उन्होंने जो व्यक्त किया वह भी चर्चा में प्रासंगिक है। मंत्री जब उत्तर दे तो इस बिंदु पर भी उत्तर दें।

एडवोकेट जॉएस जॉर्ज (इडुक्की): सभापति महोदय, मुझे प्राकृतिक आपदा और विनाश के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर प्राकृतिक आपदा एक विनाश है और वह आपदा हमेशा एक तबाही होती है, चाहे वह विश्व में कहीं और हो या हमारे राष्ट्र में, चाहे वह भारत के उत्तरी भाग में हो या पूर्वी भाग में हो या केरल जैसे दक्षिणी भाग में हो। हर जगह आपदा तो आपदा ही होती है।

प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक खतरों और मानवीय गतिविधियों के संयोजन के परिणामस्वरूप होती है। और अगर यह स्थिति है, तो सभी प्राकृतिक खतरे, चाहे वह ज्वालामुखी विस्फोट हो या भूकंप या भूस्खलन या आकाशीय बिजली, यह चाहे जो भी हो, हमारे देश में लोगों के जीवन के लिए काल है। आपदा तब होती है जब खतरे, अत्यंत कमजोर जगह आते हैं। अति संवेदनशीलता कारक बहुत महत्वपूर्ण है। इस अति संवेदनशीलता कारक के कारण, हमारी सरकार सभी मुद्दों में संवेदनशीलता के मुद्दे को हल करने में हमेशा विफल रही है। आपदा लोगों की खतरों से निपटने की क्षमता को छीन लेगी।

ये बार-बार होने वाली आपदाएं हमारे देश की सतत विकास आकांक्षाओं के लिए भी खतरा पैदा करती हैं। इस दृष्टिकोण से मैं इस सभा से नोट करने का आग्रह करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण पिछले 20 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 3000 मिलियन लोग मारे गए और एक बिलियन लोग प्रभावित हुए। लेकिन, विशेषरूप से हमारे देश में, आपदा पूर्व योजना बनाने के पहलुओं के संबंध में, हम अंतरराष्ट्रीय मानकों से पिछड़ रहे हैं। विशेषरूप से मानव निर्मित आपदाओं और उन सभी के संबंध में हम आपदा-पूर्व आयोजना और प्रबंधन के मुद्दे का समाधान करने में विफल रहे हैं। हम पूरे देश में, विशेषकर केरल में भी मानव निर्मित आपदाओं की बहुत संभावनाएं पाते हैं। हमें इन सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से, सक्रिय उपायों का सहारा लिए बिना, हम आपदा आने के बाद हमेशा चीजों को लागू करते रहे हैं। हमारे देश में ठीक हो रहा है।

इसलिए, इन सभी मुद्दों के समाधान करने के लिए हमारे पास कम-से-कम जिला स्तर पर कुछ तंत्र होना चाहिए। हम राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरणों और ऐसी सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन, जमीनी स्तर पर, वास्तविकता काफी अलग है क्योंकि हमारे यहाँ एजेंसियों के बीच कोई समन्वय नहीं है, जिन्हें इस मुद्दे का समाधान करने का काम सौंपा गया है।

मेरे राज्य में आपदा प्रबंधन का काम राजस्व विभाग को सौंपा जाता है। दूसरी ओर, आपदा प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को संभालने में विशेषज्ञता, पुलिस कर्मियों या कुछ अन्य एजेंसियों के पास है। इन दोनों एजेंसियों के बीच कोई उचित समन्वय नहीं है। इसलिए, सभी स्थितियों में, हमें आपदा प्रबंधन के मुद्दे का उचित तरीके से समाधान करना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, जो इस सम्मानित सभा में पहले ही उठाया जा चुका है, वह गर्जना और आकाशीय बिजली के बारे में है। पिछले 10 वर्षों से, 27,000 से अधिक लोगों ने इसके से कारण से अपनी जान गंवाई है। लेकिन, दुर्भाग्य से, गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने के कारण होने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन नीति में शामिल नहीं किया गया है और इस तरह हम इसके लिए राहत पाने की स्थिति में नहीं हैं।

मैं मानव निर्मित आपदाओं या संभावनाओं के बारे में भी बात करना चाहता हूँ जो आपदाओं का कारण बन सकती हैं। मैं केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जहां मुल्लापेरियार बांध स्थित है। तमिलनाडु के साथ पानी साझा करने में हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम इसे साझा करने के लिए तैयार हैं लेकिन हम केवल वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: यह मामला चर्चा किए जा रहे विषय से जुड़ा हुआ नहीं है।

...(व्यवधान)

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: मैं, केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इस पर आम सहमति बनाने और इस प्रकार वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

08.12.2014
(हिन्दी)

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : महोदय, नियम 193 के अधीन जारी चर्चा में बाढ़, सूखा, हुदहुद तूफान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में भी इस सदन में बाढ़ और सूखे पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। हम लोगों ने भी अपने-अपने विचार रखे थे। लेकिन, उस समय हमारे क्षेत्र में सूखे की स्थिति थी। दिनांक 14 अगस्त, 2014 को सत्रावसान हुआ और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम भाषण चल रहा था। हम लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वहां उपस्थित थे। उसी समय हमारे क्षेत्र से फोन आना शुरू हुए कि नेपाल की तरफ से बहुत तेज़ी के साथ पानी आ रहा है, तमाम गांवों में अचानक पानी घुस रहा है, फसलें तबाह हो रहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, उस समय हमने आनन-फानन में सारा कार्यक्रम कैन्सल करके, भाग करके जब हम अपने क्षेत्र में पहुंचे तो श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय का शेष दुनिया से संपर्क कट चुका था। जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग मुख्य मार्ग से कट कर नदी की धारा में तब्दील हो चुका था। लोग हम लोगों से गुहार लगा रहे थे कि किसी तरह से हम लोगों को यहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाइए। लोग घरों की छतों पर, छप्परों पर, पेड़ों पर शरण लिए हुए थे। हम लोग प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहे। प्रशासन हमें आश्वासन देता रहा कि नाव, मोटर बोट वगैरह मंगा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हम लोगों ने अपने स्तर से, अपने कार्यकर्ताओं को लगा कर, जितना संभव हो सका, रेस्क्यू करने का कार्य किया, क्योंकि प्रशासन ऐसी स्थिति के लिए तैयार ही नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष जी, नेपाल की तराई अंचल में बाढ़ कोई नई चीज़ नहीं है, कोई पहली बार नहीं आयी है। वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, कभी थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। लेकिन, इस बार जो नेपाल से पानी आया, वह अप्रत्याशित रूप से बहुत भारी मात्रा में आया। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वर्ष 1969 में जो प्रलयंकारी बाढ़ आयी थी, उस समय भी ऐसी तबाही देखने को नहीं मिली थी। इस बार नेपाल के पहाड़ों पर जो बादल फटने की घटना हुई तो उससे अनेक दिनों तक लगातार वर्षा हुई। हमारा संसदीय क्षेत्र बलरामपुर और श्रावस्ती पूरा

नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। नेपाल से 62 किलो मीटर की सीमा श्रावस्ती से लगती है और 74 किलो मीटर की सीमा बलरामपुर से लगती है। हमारा पूरा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। इस तरह से नेपाल से इतनी तेज़ी के साथ पानी आया कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। घरों में दस-दस फुट तक पानी भर गया। घर में रखा अनाज, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुएं, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए नक़द रुपया आदि सब कुछ तहस-नहस होकर पानी में बह गया। अवाक जनता छतों, छप्परों, पेड़ों पर चढ़ कर किसी तरह जान बचा पायी। पानी श्रावस्ती की तरफ से आया था, जो 36 घंटे के बाद बलरामपुर पहुंचा। हमने बलरामपुर के जिला प्रशासन को भी आगाह किया कि जिस तेजी के साथ श्रावस्ती की तरफ से पानी आ रहा है, कल तक बलरामपुर की सीमा में पहुंचेगा। आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। वहां के कमिश्नर से भी हमारी बात हुयी। उन्होंने भी हमें अवगत कराया कि बलरामपुर के जिला प्रशासन को आगाह कर दिया गया है, एलर्ट कर दिया गया है और वे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बलरामपुर के जिला प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। इतनी कवायद करने के बाद भी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। खास तौर से जिला अधिकारी, बलरामपुर का रवैया बाढ़ पीड़ितों के प्रति बहुत ही संवेदनहीन, उदासीन, लापरवाही भरा या यूं कहें कि आपत्तिजनक रहा। बाढ़ की सबसे बड़ी विभीषिका हमारे संसदीय क्षेत्र जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर को झेलनी पड़ी। 16 अगस्त को पी.एम.ओ. कार्यालय ने स्वतः संज्ञान लिया। 16 तारीख की शाम को पी.एम.ओ. में मीटिंग हुई । आधिकारियों को खास तौर से बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती की बाढ़ को लेकर निर्देशित किया गया। वहां एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गयी। उन्होंने कहा कि अगर सेना की आवश्यकता हो तो सेना भी मुहैय्या करायी जाए। हमारे गृहमंत्री जी ने स्वयं प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके गोरखपुर में हम सब लोगों के साथ बैठक करके बाढ़ की स्थिति का आंकलन किया और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहां हजारों एकड़ फसल बर्बाद होकर बाढ़ की विभीषिका में बह गयी। हजारों की संख्या में घर जमीदोज़ हो गए, लोग बेघर हो गए। आज भी सड़क के किनारे तमाम परिवार रहने को विवश हैं।

महोदय, हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। बलरामपुर के जिलाधिकारी द्वारा बचाव एवं राहत कार्य में भारी भेदभाव किया गया, राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव और धांधली की गयी। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के भरोसे राहत वितरण का कार्य छोड़ दिया गया, तो भेदभाव स्वाभाविक था।

मान्यवर, इतना ही नहीं, बलरामपुर में राहत वितरण में घोटाला भी किया गया। अवैध खनन और वनों के कटान को सीधे संरक्षण देकर सुनियोजित ढंग से गैर-कानूनी कमाई को धन्धा बना चुके जिलाधिकारी बलरामपुर ने इस बाढ़ की विभीषिका को भी अपार्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल किया, बाढ़ राहत वितरण में भारी घोटाला किया गया। ...(व्यवधान)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो हालात इस वक्त हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक दस-पन्द्रह मिनट थोड़ा ज्यादा चाहूंगा। महाराष्ट्र की हालत ऐसी है, देश में जो हालात हैं, एक तरफ बाढ़ से पीड़ित पूरा देश है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में अकाल है, स्केयर्सिटी है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे प्रधानमंत्री जी को यह बात जरूर बताएं कि इसे राष्ट्रीय आपत्ति घोषित करने की आवश्यकता है, महाराष्ट्र में सूखे की वजह से जो हालात आज निर्माण हुए हैं।

महोदय, आज अगर पानी की वहाँ पर हालत देखी जाए, तो महाराष्ट्र में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। आज अगर पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया जाए तो पूरे प्रकल्प, जो महाराष्ट्र में रिजर्व वायर्स हैं, डैम्स हैं, मराठवाड़ा में लगभग सिर्फ 31 परसेन्ट पानी उपलब्ध है, विदर्भ में सिर्फ 50 प्रतिशत पानी उपलब्ध है और अमरावती रीजन में 67 परसेन्ट पानी उपलब्ध है। अगर इसे देखा जाये, तो अगले आठ महीने में पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, इतनी वहाँ पर हालत खराब है। अगर हम लोग दूसरे तरीके से इसका मुकाबला नहीं करेंगे कि जो पानी उपलब्ध है, उस स्थिति में महाराष्ट्र में मुश्किल हालत बन गई है, इसे मैं आपको बताना चाहूँगा।

महोदय, आज किसान आत्महत्या करने लगे हैं। अगर आँकड़े देखे जाएं तो लगभग 422 लोगों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। सबसे ज्यादा फिगर 422 लोगों की है, जिन्होंने वहाँ पर आत्महत्या की है। अनेक लोगों ने तो अपने आपको जलाने का प्रयास भी किया है। आप देखेंगे कि उस्मानाबाद जिले में लोहारा नाम का गाँव है, वहाँ पर एक 56 वर्ष की आयु के व्यक्ति ने अपने आपको जलाने की कोशिश की। वह 90 टका जल गया है। दूसरा, बीड जिले के एक गांव में 40 वर्ष आयु के एक व्यक्ति ने अपने आपको जलाने का प्रयास किया और वह भी 45 टका जल गया। इसका यही कारण है कि लोग लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर सकते हैं, आज यह उनकी हालत है। इस हालत में आपने देखा कि किसानों के खेतों में वहाँ पर जो उन्होंने बीज बोया है, उसके ऊपर कोई धान नहीं निकला है, सोयाबीन नहीं है, कपास नहीं है, गन्ने का भी वहाँ पर एवरेज उत्पादन कम हो गया है। ऐसी हालत में बैंक से लिया गया कर्ज किसान वापस नहीं कर सकता है। यह उनकी वस्तुस्थिति है। केन्द्र शासन से मेरी गुजारिश है कि बैंक्स से लिए गए ऋण को पूरी तरह से माफ किया जाए। जो आदमी आत्म

हत्या करते हैं, उनको एक लाख रुपए दिए जाते हैं। 400 लोगों ने आत्म हत्या की है। क्या हम हजार-दो हजार लोगों की आत्म हत्या करने की राह देख रहे हैं। उससे बेहतर यह रहेगा कि आत्म हत्या रोकी जाए। उसे रोकने के लिए उनका पूरा कर्जा माफ किया जाए, यह मेरी व्यक्तिगत तौर पर मांग शासन से है।

दूसरा मामला इलेक्ट्रिसिटी के बिल का है। शासन ने परसों एनाउन्समेंट की हैं कि सिर्फ 33 प्रतिशत बिल को माफ किया जाएगा। जब किसान के पास पैसा ही नहीं है तो वे लाइट बिल भी कैसे भर सकते हैं? मैं पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, इस वर्ष के लिए उनके द्वारा जो बैंक ऋण लिए गए हैं और लाइट बिल हैं, ये दोनों को ही माफ करने की आवश्यकता है।

आज मनरेगा के तहत काम करना जरूरी है। वह पूरे महाराष्ट्र में करने की आवश्यकता है। उसकी मांग बड़े पैमाने पर है, लेकिन ऑफिसर्स वह मंजूर करने के लिए अनुकूल नहीं हैं, वे इसलिए नहीं हैं कि धारा 156(3) के तहत उनके ऊपर गलत केसेज किए जाते हैं, जिनकी वजह से आज ऑफिसर्स नई मनरेगा में वर्क सैंग्शन करने लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: यह विषय कल लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : मेरी गुजारिश होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से है कि 156(3) के अन्तर्गत जो भी कलम चलाए जाते हैं तो 156(3) को अमैंड किया जाए ताकि उसके डर से लोगों में जो दिक्कतें आ रही हैं, वे समाप्त हो जाएं।

जहां शुगर फैक्ट्रियां चल रही है, वहां पर गन्ना जा रहा है। आज बैंक्स गन्ना के लिए केवल 1500 रुपए दे रही हैं। केन्द्र शासन ने एफ.आर.पी. 2500 रुपए की घोषणा की है। आज कोई भी कारखाना 2500 रुपए नहीं दे सकता है। उसमें 1000 रुपए का जो गैप है, वह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देना बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान)

आप ड्रिप इरिगैशन की सब्सिडी की फैसिलिटी 90 प्रतिशत बढ़ाइए । यह मेरी आपसे गुजारिश है। महाराष्ट्र में इस ड्राउट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट को ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए, यह मेरी गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से मांग है।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): उपाध्यक्ष महोदय्, आपने मुझे नियम 193 के अधीन प्राकृतिक आपदा पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, हम सभी महसूस कर रहे हैं कि धरती के हर कोने से चीख-पुकारें आ रही हैं। यह कोई नई आपदा नहीं है। वर्षों से ये आपदायें आती रही हैं। पहले आपदायें 20-25 वर्षों में आती थीं लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हर दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष, ये आपदायें देश में आ रही हैं, जिनसे भारत का कोना-कोना दैवीय आपदा का शिकार हो रहा है। जम्मू-कश्मीर, केदारनाथ और बदरीनाथ ऐसे अनेक जगहों पर हमारे देश में आपदायें आई हैं । इनके कारण देश में जान और माल का नुकसान होता है। बाढ़ के कारण अकूत संपदा पृथ्वी में समाहित हो जाती है। आपदा विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक है। हमें विकास का चिंतन करने से पहले, बाढ़ और प्राकृतिक आपदायों का प्रबंधन करना चाहिए हमें वह आज भी करनी चाहिए, यही हमारी चिंतन होनी चाहिए। हमने बहुत बड़े-बड़े पुल को बहते हुए देखा, बहुत बड़ी-बड़ी सड़कों को बहते देखा, बड़े-बड़े विद्युत उपकरण, विद्युत सबस्टेशन और विद्युत जनरेट करने वाले केन्द्र को बहते हुए देखा है। इसलिए प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कोने से दैविक आपदा भारत के विकास को अवरुद्ध करती है। हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि 135 वर्ष के बाद वर्ष 2000 के बाद के वर्ष सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं जिसके कारण अंटाकरटिका से ग्लेशियर पिघलते हुए आए और समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो गया। समुद्री तट ने जल में समाधि ले ली और हम सब देखते रहे। हम सब सर्वप्रथम इस बारे में चिन्ता करें। हमने पिछली बार भी सदन में यह विषय उठाया था। हुदहुद का चक्रवात आया जिसने ओडिशा, आंध्र प्रदेश को हिलाकर रख दिया लेकिन बिहार, समूचा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इस प्रकोप से बच नहीं पाया।

हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां हमने खड़ी फसलों को जमीन पर लगते हुए देखा। इसलिए हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश,...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे संसदीय क्षेत्र में हुदहुद जैसी दिल दहलाने वाली प्राकृतिक आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं। [अनुवाद] मेरा संसदीय क्षेत्र 5-6 नदियो से घिरा हुआ है। हर बार लाखों एकड़ जमीन राम गंगा और खन्नौज जैसी नदियों में समाहित हो जाती है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। हमने बहुत सारी सरकारी इमारतों को जल में बहते हुए देखा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह जम्मू कश्मीर में दरियादिली दिखाते हुए मानवता को संवेदनशील होते हुए देखा, पूरी मदद की और वहां के लोगों को राहत दी, हमारा शाहजहांपुर जनपद, जो प्रत्येक वर्ष आपदा का शिकार होता है,...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष :मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्रीमती कृष्णा राज : कल माननीय कृषि मंत्री जी सूखे के बारे में कह रहे थे। सूखे का विषय हमारा है और बाकी माननीय गृह मंत्री जी का है। मैंने देखा कि हमारे यहां एक तरफ सूखा हुआ लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने मेहनत करके अपनी उपज पैदा की।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्रीमती कृष्णा राज : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।...(व्यवधान) सूखे और बाढ़ में हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत नहीं मिली।...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान) हमारे प्रदेश के लोगों ने कठिन परिश्रम करके डीजल और पैट्रोल से ट्यूंबवैल चलाकर सिंचाई की।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर, 46 माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया जिसकी शुरुआत माननीय सदस्य कलिकेश एन. सिंह देव जी ने की थी। मैं मानता हूं कि चर्चा के दौरान, मंत्रालय को विभिन्न सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुभवों और उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों के चलते उठाए गए मुद्दों से भी सीखने को मिला है। हमने उन सभी सुझावों और मुद्दों को नोट कर लिया है जिन्हें यहां उठाया गया है । साथ ही, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सूखे से संबंधित मुद्दों को कृषि मंत्रालय को भेजा जाएगा और मंत्री जी ने भी बहस के दौरान हस्तक्षेप किया। मैं, बाढ़ से संबंधित सभी मुद्दों पर त्वरित रूप से कार्यवाही करूंगा । मैं, प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने में सक्षम नहीं भी हो सकता लेकिन मैं संपूर्ण मुद्दों को संक्षेप में रखूंगाऔर उन्हें वर्गीकृत करने की कोशिश करूंगा और यथासंभव प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन से हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सक्रिय मार्गदर्शन में पदभार संभाला है। .....(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: उन्हें उत्तर पूरा करने दें। इसके बाद आप अपनी चिंताएं व्यक्त करें।

...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू :जैसा कि मैंने कहा, कृषि मंत्रालय से संबंधित मुद्दों को उस मंत्रालय को भेजा जाएगा। कृषि मंत्री ने भी हस्तक्षेप किया है। माननीय सदस्यों ने भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। निश्चित रूप से, हम उन बिंदुओं को संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे। यह एक आश्वासन है जो मैं दे रहा हूं।

जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरे वरिष्ठ मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के सक्रिय मार्गदर्शन में मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि इस देश में प्राकृतिक

आपदाओं और तबाही के संबंध में कोई चूक न हो। मैं, सभा को सूचित करता हूं कि मेरी पहली विदेश यात्रा इस विषय पर थी। माननीय गृह मंत्री ने मुझे 'एशियन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कान्फ्रेंस' में भाग लेने का निदेश दिया था, और मेरा दूसरा सम्मेलन भी वाशिंग्टन डीसी में केवल आपदा से संबंधित है। हम इस विशेष विषय को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इस देश में आपदा की स्थिति से निपट रहे हैं तो इसमें ढिलाई की कोई जगह नहीं है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत समय-समय पर प्राकृतिक आपदा प्रवण रहा है। यहां तक कि हाल ही में अक्तूबर में, हम जम्मू और कश्मीर में इस आपदा से प्रभावित हुए थे, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में हुदहुद से, फिर असम, अरुणाचल और मेघालय में बाढ़ आई। मुझे सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हमने जितनी जल्दी संभव हो सके स्थिति से निपटने का प्रयास किया है। मैं, सभा को सूचित करना चाहता हूं कि यह मुद्दा उन तीन प्रमुख राज्यों के लिए उठाया गया था जो जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित थे। इसके अलावा, तीन और राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए, अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य। इन छह राज्यों के अलावा, हमें 19 राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि की जानकारी मिली है। उसमें से, हमें 11 राज्यों से 12 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। केरल ने दो बार ज्ञापन भेजे हैं। अन्यथा, हमारे पास 19 राज्यों की रिपोर्ट है। ...(व्यवधान)

श्री आर.ध्रुवनारायण (चामराजनगर): कर्नाटक ने भी भेजा है।

श्री किरेन रिजीजू : जी हां, मैं भी यही कह रहा हूं। कर्नाटक ने एक रिपोर्ट भेजी है। हमें रिपोर्ट मिल गई है। अब प्रक्रिया यह है कि जब हमें राज्य से ज्ञापन मिलता है, तो हम अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजते हैं। वह दल राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति या मौजूदा स्थिति में सूखे की स्थिति का आकलन करती है। यह निर्धारित कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाता है। गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उप-समिति होती है। इसके बाद, गृह सचिव मामले को गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के समक्ष

रखते हैं। यह सहायता के बुनियादी घटक जो प्रदान किए जाने आवश्यक है को निर्धारित करता है। यह निर्धारित प्रणाली है।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले, यह कहा गया है कि एनडीएमए बिना अध्यक्ष रहित है। मैं, सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का नेतृत्व स्वयं माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। हमने यह किया है कि हम इस विशेष निकाय को और अधिक सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इंगित किया है कि यह सेवानिवृत्त राजनेताओं के लिए या राजनीतिक समायोजन के लिए एक पार्किंग स्थल नहीं बनना चाहिए। निश्चित रूप से, हम सही दिशा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से, एक शर्त है कि इस समिति में नौ सदस्यों से अधिक नहीं होने चाहिए। हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्यों की कुल संख्या को कम कर रहे हैं। लेकिन तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इसमें उपाध्यक्ष के लिए प्रावधान है। एक सचिव है, जो *पदेन* पद है। इसमें एक सदस्य और चार संयुक्त सचिव हैं। तो, एनडीएमए प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। आपने इसे पिछले तीन, चार महीनों में देखा होगा। यह निकाय पूरी तरह से काम कर रहा है। पिछले तीन, चार महीनों में एनडीएमए में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किया जाना शेष हो । यदि इस देश में कोई दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई है, तो उसके लिए प्रतिक्रिया अब तक की सबसे त्वरित रही है। यह भली भाँति सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में है । मैं, कश्मीर के बाढ़ की स्थिति का उल्लेख करता हूँ। मेरे मित्र कलिकेश जी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया मुद्दा यह था कि हमने कश्मीर बाढ़ के संबंध में पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। हमने जो किया है, मैं उसके बारे में सभा को बता दूं।

जब कश्मीर घाटी, जम्मू क्षेत्र और राज्य के कुछ अन्य क्षेत्रों में आपदा आई, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की और उस धनराशि को विशेष परियोजना सहायता के रूप में जारी किया गया था। इसके अलावा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के केंद्रीय भाग के रूप में 94.33 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं और फिर, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 570 करोड़ रुपये, प्रभावित अस्पतालों के उन्नयन के लिए 175 करोड़ रुपये और प्राथमिक और उच्च

माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे सभी 10 लाख बच्चों को आपदा के दौरान खराब हुई पुस्तकों के प्रतिस्थापन के लिए 20 करोड़ रुपये तत्काल राहत की भी घोषणा की । इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से *अनुग्रह राशि* के रूप में मृतकों के परिजनों को 02 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पहले ही की जा चुकी है।

अब तक हमें 9,270 लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई है, जिनके घरों को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। हम राज्य सरकार के अन्य लाभार्थियों के विवरण का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री दल पहले ही जम्मू और कश्मीर राज्य का दौरा कर चुका है और हम राज्य सरकार से कुछ और स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। एक बार ऐसा होने के बाद, इसे सरकार में प्रणाली में परिकल्पित उचित समिति के समक्ष रखा जाएगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा मांगा गया कुल विशेष पैकेज 1लाख करोड़ रुपये का हैं. ऐसा नहीं है। राज्य सरकार ने 42,033.45 करोड़ रुपये के कुल राशि का प्रस्ताव किया है। जैसा कि मैंने कहा, जब सभी प्रतिवेदन तैयार हो जाएंगी तो इस मामले को समिति के समक्ष रखा जाएगा।

मैं, सभा को पुन: सूचित करना चाहता हूं कि यह सिर्फ राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का प्रयास नहीं है, यह संयुक्त प्रयास है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले सभी केंद्रीय रिजर्व बलों के साथ सेना, वायु सेना, नौसेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 30,000 से अधिक कर्मियों को कार्रवाई में लगाया गया था। भारत के इतिहास में इस तरह के राहत अभियान को पहले कभी नहीं किया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है।

मैं, सभा को फिर से सूचित कर दूं कि त्वरित प्रतिक्रिया बहुत सफल रही । जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भी इसकी सराहना की है। हमें संपूर्ण त्रासदी को राजनीतिक मुद्दे को बनाने की आवश्यकता नहीं है जैसा दुर्भाग्य से कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा करने की कोशिश की। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रयास की सराहना की और गृह मंत्री को एक अधिकारिक पत्र लिखा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों की सराहना की। ये सभी अभिलेख पर है।

इसके अलावा, मुझे विशेषरूप से महताब जी और कालिकेश सिंह द्वारा ओडिशा से संबंधित मुद्दों के बारे में उठाए गए बिंदु को स्वीकार करता हूं। उन्होंने चक्रवात, फेलीन के बारे में उल्लेख किया जो पिछले वर्ष आया था। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुसार कुछ मुद्दे निश्चित रूप से हैं। चीजें ओडिशा की राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थीं। आखिरकार उस सरकार के बाद अब यह सरकार आई है। हम मुद्दे से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन मैं ओडिशा के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी यही मुद्दा उठाया था कि कुल 934 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। यह एक समेकित राशि है। ...(व्यवधान) एक गणना है। मैं पूरे मुद्दे के तकनीकी पहलुओं पर नहीं जाना चाहता।

मैं, माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि कि इस मुद्दे को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया है। उस समय उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता तत्कालीन कृषि मंत्री शराद पवारजी ने की थी। उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के अनुसार राशि जारी कर दी गई है। तत्कालीन सरकार ने जो भी निर्णय लिया उसके लिए हमें दोष दिया जाना चाहिए। लेकिन, फिर भी जैसा कि मैंने कहा, हम पूरे मुद्दे से भाग नहीं रहे हैं। हाल ही में, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र के उत्तर में मैंने बिंदु-वार उत्तर दिया है।

हमने कहा है कि जो तंत्र पहले से बना हुआ था, उसको हम उसे समाप्त नहीं कर सकते। इसके बावज़ूद, मैंने, माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है कि यदि मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता पर्याप्त नहीं थी, तो भावी अनुदान, जो राज्य आपदा राहत कोष में उपलब्ध है, आप कुछ राशि को समायोजित कर सकते हैं। इस मुद्दे को एक उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। हम एक नई सरकार हैं । इसलिए, मैं उस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहता जो पिछली सरकार के साथ था, लेकिन हम ओडिशा सरकार द्वारा भेजे गए मामले के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वास्तव में, मैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत क्रियाकलापों के लिए माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, और यह हम सभी के लिए एक सफलता की कहानी है। जब हम देश के बाहर भी जाते हैं, तो चक्रवात फेलीन भारत के लिए एक सफलता की कहानी रहा है और

हमने इस बात को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त प्रयास है।

साथ ही, मैं वर्तमान चक्रवात का उल्लेख करता हूं जिसे हुदहुद के रूप में जाना जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण चक्रवात हुदहुद 10 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में आया था। इससे पहले, हमने, सभी एहतियाती उपाय किए थे, जो हमारे पास उपलब्ध थे । इसलिए, आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा बरती गई एहतियात के कारण नुकसान कम से कम हुआ है। जब 170 से 195 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती हैं, तो सामान्य रूप से यह एक बड़ी आपदा होती है। लेकिन प्रतिक्रिया के कारण, हम चक्रवात हुदहुद के कारण होने वाले कुल नुकसान को कम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री तुरंत दोनों राज्यों के दौरे पर गए। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही उन्होंने विशाखापत्तनम का दौरा किया। जब प्रधानमंत्री वहां गए, 1,000 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई। आन्ध्र प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 400 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसके अलावा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय भाग के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य को 115.43 करोड़ रुपये और ओडिशा राज्य को 170.50 करोड़ रुपये की प्रदान की गई। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि यह धनराशि राज्य निधि या केंद्रीय निधि नहीं हैं। यह एक संयुक्त कोष है। महोदय, कोष का 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे स्वत: ही राज्य सरकार के समक्ष रखा जाता है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में राज्य सरकार तुरंत राशि का उपयोग कर सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बचाव हेतु हमेशा तत्पर रहती है। हम एक दल के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे विषय के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह एक त्रासदी है और हमें एक साथ काम करना होगा।

जब चक्रवात हुदहुद ने दस्तक दी थी, उस समय, माननीय शहरी विकास मंत्री, श्री एम.वैंकैय्या नायडू ने भी वहां का दौरा किया । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक दल और भारतीय कॉफी बोर्ड का एक दल भी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए वहां गया था । तो, यह सिर्फ एक एजेंसी नहीं है। संपूर्ण केंद्र सरकार, जो भी इस आशय के लिए प्रासंगिक है, सभी तैयार थे और हर कोई मौके पर पहुंचा और पूरी

स्थिति का आकलन किया। असम के मेरे मित्र और अन्य सदस्यों ने भी कुछ पक्षपातपूर्ण टिप्पणी की कि सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण है। ऐसा नहीं है। मैं, तुरंत असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में गया। मैंने, सक्रिय रूप से संपूर्ण प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें 'हवाई सर्वेक्षण' और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा शामिल थी । तत्पश्चात्, तुरंत गृह मंत्री भी गए; उन्होंने असम और मेघालय की राज्य सरकारों के साथ एक व्यापक चर्चा की। हमने राज्य सरकार को बताया कि हम तुरंत केंद्रीय दल भेजेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि, केवल केंद्रीय दल भेजें। यह राज्य के अधिकारियों के विचाराधीन होना चाहिए। हमें इसे उपर्यक्त रूप से ऐसा करना होगा । कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि टीम को जल्दी और तुरंत भेजा जाना चाहिए। जब एक प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे तत्काल काम बचाव है। जब हमने बचाव के प्रयासों के साथ कार्य समाप्त किया, तो अगला कदम राहत था। हम पीड़ितों को राहत देते हैं। तत्पश्चात्, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण की दीर्घकालिक योजना प्रक्रिया का तीसरा चरण आता है। हमारे पास 'दोबारा बेहतर निर्माण करें' की अवधारणा है - अगर देश के किसी भी भाग में कोई आपदा आती है, तो हम प्रभावित लोगों के जीवन को सामान्य स्थिति में वापस लाना चाहते हैं, जैसा कि आपदा से पहले था। इसीलिए, केंद्रीय दल के तत्काल दौरे का विचार नहीं था. इसका उद्देश्य पीड़ितों, जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना है। लेकिन यह सुझाव को विचार करने के लिए नोट कर लिया है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ राज्य सरकार को ज्ञापन भेजने में भी समय लगता है। प्रणाली इस प्रकार काम करती है कि हम राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त करने के बाद ही केंद्रीय दल भेज सकते हैं। इसलिए, मैं सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से कहना चाहूंगा राज्य सरकारों से जल्द से जल्द ज्ञापन भेजने का आग्रह करें ताकि केंद्र सरकार कार्रवाई कर सके। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: उन्हें उत्तर देने दें। वे सामान्य जानकारी दे रहे हैं।

श्री किरेन रिजीजू: मैं, सभा को प्रणाली के बारे में बता रहा हूं। अधिकांश राज्यों में, हमें पहले ही रिपोर्ट मिल चुकी है और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही दौरा कर चुका है, और यह रिपोर्ट के साथ वापस आ गया है। अब, इसे कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाएगा; तत्पश्चात्, इसे उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा।

कुछ माननीय सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारी निकाय के निरसन करने की बात कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के सदस्य उल्लेख कर रहे थे कि पूरी स्थिति से निपटने में हमारे पास समन्वित प्रयास नहीं करते। वास्तव में, अत्यंत सूक्ष्मता से समन्वित तरीके से काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को देश में होने वाली सभी स्थितियों और सभी आपदाओं के बारे में लगातार सूचित किया जाता है। साथ ही, हमारे गृह मंत्री लगातार आपदाओं से संबंधित सभी समितियों की बैठकें बुला रहे हैं। जो भी हो, हमारी ओर से कोई चूक नहीं है।

बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों ने नेपाल से आने वाली बाढ़ का उल्लेख किया है। मैंने पिछले सत्र के दौरान भी सभा को जानकारी दी है कि नेपाल, चीन और भूटान की सरकारों के साथ हमारा समझौता है। यदि पड़ोसी देशों से किसी भी तरह की बाढ़ की संभावना हो तो, हमारे पास सभी आंकड़े उपलब्ध हैं।

उदाहरण के लिए, इस बार, हम कोसी की संभावित आपदा को कैसे टाल सकते हैं? ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि उस विशेष स्थान पर नियंत्रित विस्फोट किया गया था, जहां विशाल जल जलाशय था; एक बड़ी आपदा का आसन्न खतरा था। लेकिन हमारे निरंतर प्रयास और नेपाल की सरकार के साथ संपर्क के कारण हमारा विशेषज्ञ दल वहां गया और उस विशेष बड़े जलाशय का एक नियंत्रित विस्फोट किया गया जो भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और उससे नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जा सकता था; और इस प्रकार आपदा टल गई।

ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हमने सावधानी पूर्वक ध्यान दिया है और कार्रवाई की है। ब्रह्मपुत्र से, जिसे चीनी क्षेत्र के तिब्बत भाग में सांपो नदी के रूप में जाना जाता है, हमें जानकारी मिल रही है। वर्ष 2001-बाढ़ के विपरीत, जिसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश के मेरे सहयोगी को जानकारी है, जब अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक बड़ी आपदा आई थी, अब हम कम से कम लगातार संपर्क में रह सकते हैं, चीनी अधिकारियों सीधे संपर्क में रह सकते हैं ताकि किसी भी आसन्न खतरे के बारे में तुरंत सूचित किया जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

इसी प्रकार, कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि आपदा की सूची में आकाशीय बिजली गिरने, कटाव आदि जैसे कुछ नए विषयों को शामिल किया जाए। मैं, सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि सरकार पहले ही कटाव के बारे में सिफारिश कर चुकी है। यह एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वह नदी के किनारे का कटाव हो या समुद्र की लहरों के कारण कटाव हो। यह एक मुद्दा है जो चल रहा है। 13वें वित्त आयोग ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। हमने फिर से सिफारिश की है कि कटाव, आकाशीय बिजली गिरने, बांस के फूल आना और कुछ अन्य मुद्दों को आपदा सूची में एक मद के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, अभी 6.00 बजे हैं। सभा का समय बढ़ाना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे यह पता है। मैं समय देख रहा हूं। एक मिनट बचा है। श्री सौगत राय, चिंता मत करें। मैं इसका प्रबंधन कर रहा हूं।

अभी शाम के 6.00 बज चुके हैं। मैं, माननीय मंत्री के उत्तर पूर्ण होने तक सभा का समय बढाने के लिए सभा का विचार जानना चाहता हूं।

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, जोकि कुछ स्पष्टीकरण मांगने के अध्यधीन है ।

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने कहा कि जब तक मंत्री जी का उत्तर समाप्त नहीं हो जाता है, जिसका अभिप्राय है कि स्पष्टीकरण के बाद मंत्री जी पुन: उत्तर दे सकते हैं।

इसलिए, सभा का समय मंत्री जी का उत्तर समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

(हिन्दी)

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी इश्यूज़ उठाए हैं और एक-एक करके सभी का उत्तर देना सम्भव नहीं है। इसलिए जितने भी मुद्दे और समस्याएं आई हैं, उनको हमने नोट किया है। मैं और मेरे सीनियर क्लीग श्री राजनाथ सिंह जितने भी सुझाव आए हैं, उनको बारीकी से देखेंगे।...(व्यवधान) मैंने ड्राउट के बारे में पहले ही कह दिया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव सातव (हिंगोली):आपने महाराष्ट्र में सूखे के बारे में एक भी वाक्य नहीं कहा है। आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। पहले उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

(हिन्दी)

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, मैंने शुरू में कहा कि सूखे के ऊपर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस चर्चा के दौरान इंटरवेंशन किया है। इसके अलावा मैंने भी कहा है कि सूखे से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, वह हम एग्रीकल्चर मिनिस्टरी को भेज देंगे और हम उनके संज्ञान में पहुंचाएंगे।...(व्यवधान)

श्री राजीव सातव : उनका स्टेटमेंट कब होगा?

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू: वे पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं।

श्री राजीव सातव: कृषि मंत्री ने एक भी पंक्ति नहीं बोली है।

माननीय उपाध्यक्ष: उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दें।

श्री किरेन रिजीजू: महोदय, माननीय सदस्य व्यवस्था को जानते हैं। जब कोई भी चर्चा होती है, यदि यह दो अलग-अलग मंत्रालयों से संबंधित होती है तो एक मंत्री चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हैं। चर्चा का एक बड़ा भाग गृह मंत्रालय से संबंधित है और इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं।

सूखे के संबंध में महाराष्ट्र राज्य का एक विशिष्ट संदर्भ दिया गया था। मैंने पहले ही कहा है कि महाराष्ट्र राज्य और भारत के अन्य जिलों से संबंधित सभी मुद्दों को कृषि मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाएगा। मैंने आरंभ में ही ऐसा कहा था।

(हिन्दी)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : आप लोग उस समय हाउस में नहीं थे। यह विषय गृह मंत्रालय के अधीन है। [अनुवाद] सूखे का विषय कृषि मंत्रालय देखता है। (हिन्दी) संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने कृषि मंत्री जी को सदन में बैठने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने प्वाइंट नोट किए थे। महाराट्र और अन्य स्टेट, जो सूखे से संबंधित हैं या जो विषय कृषि मंत्रालय में आते हैं, उस पर उन्होंने आधा घण्टे से ज्यादा चर्चा की थी। उस समय आप लोग नहीं थे। अभी जो प्वाइंट आएंगे, उस को हम नोट करके मंत्री जी को बता देंगे।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): श्री कलिकेश एन.सिंह देव द्वारा उठाए गए 'जम्मू और कश्मीर में बारिश और बाढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात हुदहुद और महाराष्ट्र में सूखे के विशेष संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं पर 'नियम 193 के अधीन चर्चा' का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में सूखा इसमें पहले से ही शामिल है। सूखे पर उत्तर कहां है? चव्हाण जी और अन्य सदस्य केवल आज ही बोले हैं। तो, हमें उत्तर भी मिलना चाहिए।

(हिन्दी) चर्चा के पहले रिप्लाई नहीं देते हैं। चर्चा के साथ रिप्लाई देते हैं [अनुवाद] महोदय, ये तो आप जानते हैं. यह इस सदन में पद्धति है। एक चर्चा में, सहकारी, चीनी कारखाना या सूखा जैसे 3-4 विषय हो सकते हैं। तो सब कुछ आ सकता है लेकिन संबंधित मंत्री को उत्तर देना चाहिए। वर्तमान मामले में, अंत में गृह मंत्री उत्तर देंगे। आप इसे यह कहते हुए पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे दिया है। अनेक सदस्यों ने बोला है और उनके लिए कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। यह उचित नहीं है । यहां तक कि नियम 193 भी कहता है कि मंत्री जल्द ही सभी मुद्दों पर उत्तर देंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए।

08.12.2014

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव : सर, दो करोड़ लोगों का सवाल है। दो करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण):महोदय, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। सदन में एक विस्तृत चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 22 जिले प्रभावित हुए हैं और महाराष्ट्र में 422 लोगों ने आत्महत्या की है। इसलिए, हम इसका सीधा-सा उत्तर मांग रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई राहत दी जा रही है या नहीं। हमें इतना ही जानना है। चाहे वह कृषि मंत्री हो या कोई अन्य मंत्री, सरकार एक है।

श्री एम.वैंकैय्या नायडू: मुद्दे राज्यों को राहत, पुनर्वास और सहायता प्रदान करने से जुड़े हैं। मैं, सभा को और खड़गे जी को भी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मंत्री जी की बहस का उत्तर देने की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह, जब बहस होती है तो सदस्य की सभा में उपस्थित होने की ज़िम्मेदारी होती है ...(व्यवधान) आप बाहर जाना चाहते हैं और आप उत्तर भी चाहते हैं। आप दोनों चाहते हैं। आपको दोनों कैसे मिल सकते हैं? ...(व्यवधान) हम क्या कर सकते हैं? जो कार्य एक बार हो चुका है वह दोबारा नहीं दोहराया जा सकता है। कृपया इसे समझने की कोशिश करें। जब कृषि मंत्री ने महाराष्ट्र में सूखे के बारे में विस्तार से उल्लेख किया, तो इच्छुक सदस्य उपस्थित नहीं थे। वे आज आए हैं। वे कुछ कहना चाहते थे और उन्होंने कहा। अब अगर कुछ और है जिसका उत्तर दिया जाना है, तो निश्चित रूप से गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे। **(हिन्दी)** इसमें परेशानी क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है? [अनुवाद] सरकार पर आरोप मत लगाएँ। आपने नोटिस दिया लेकिन आप सदन में उपस्थित नहीं थे ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री को अपना उत्तर पूरा करने दें।

श्री किरेन रिजीजू :महोदय, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और महाराष्ट्र राज्य, कृषि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर या हस्तक्षेप भाग था । मैं, महाराष्ट्र के माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूँ।

अंत में, दीर्घकालिक नीतियां लागू हैं। हमारे पास केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य और जिला स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थागत तंत्र भी हैं, हमारे पास कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इसके अलावा, हमारा प्रयास है कि केंद्र में एक उचित नीति बनाने और सामुदायिक स्तर और जमीनी स्तर पर लचीलापन पैदा किया जाए ताकि इस देश के नागरिकों को उचित रूप से जागरूकता प्रदान की जा सके ताकि न केवल सरकार बल्कि व्यक्तियों को भी किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने या सामना करने हेतु सशक्त हों, जो दुर्भाग्य से, हमारे देश पर आ सकती है। हम इस देश के नागरिकों को सशक्त बनाना चाहते हैं ताकि वे इन संकटों से निपट सकें और उनका सामना कर सकें। सरकार की ओर से, हम माननीय सभा को आश्वस्त करते हैं कि इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। जब भी इस महान राष्ट्र पर कोई आपदा आएगी हम हमेशा मौजूद रहेंगे।

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन: महोदय, मेरा प्रश्न समुद्री कटाव, नदी कटाव के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने के संबंध में है। यह इस सभा के लगभग सभी माननीय सदस्यों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि इन दुर्घटनाओं को आपदा प्रबंधन योजना और संकट राहत कोष में भी शामिल किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि 13$^{वां}$ वित्त आयोग आपदा प्रबंधन कोष में इन सभी आपदाओं को शामिल करने की अनुमति नहीं दे रहा है।

मैं, मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या संसद कोई अधिनियम बनाने के मामले में सर्वोच्च नहीं है ताकि इन सभी आपदाओं को संकट प्रबंधन कोष में शामिल किया जा सके।

श्री कलिकेश एन.सिंह देव (बोलंगीर): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की ओर से अत्यधिक वाक् पटु प्रतिक्रिया देने पर आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने एनडीएमए के कार्यकरण पर संतोष व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि संस्थान

अध्यक्ष के बिना कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री वहां हैं, तथापि, उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। एनईसी मौजूद नहीं है लेकिन एनसीआरएमए, के मामले में मुझे प्रतीत होता है कि यह कैबिनेट सचिव के अधीन है। यदि यही कारण है, तो माननीय प्रधानमंत्री को बहस का उत्तर देना चाहिए, न कि माननीय गृह मंत्री को। तथापि, यह माना जाता है कि एनडीएमए की उपशमन के मामले में दीर्घकालिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यह तत्काल राहत के लिए नहीं है। क्या माननीय मंत्री मुझे बता सकते हैं कि पिछले आठ वर्षों में, वर्ष 2005 में अधिनियम पारित किया गया था और वर्ष 2006 में एनडीएमए का गठन किया गया था, एनडीएमए द्वारा कितनी दीर्घकालिक उपशमन नीतियां आरंभ की गई हैं, जहां बाढ़ संभावित क्षेत्रों में 'वेंट्स', पक्की सड़कें और पुल बनाए गए हैं, वहीं भूकंप प्रवण क्षेत्रों में जहां भूकंप रोधी इमारतें बनाई गई हैं? यह एनडीएमए का कार्य है. प्रतिक्रिया एनईसी और एनडीआरएफ द्वारा है।

प्रो. सौगत राय: मेरे पास संसदीय मामलों के मंत्री के वक्तव्य के बारे में कहने के लिए एक छोटी सी बात है। यह सच है कि जब इस मामले पर बहस शुरू हुई थी तब विपक्ष में हममें से अधिकांश लोग गुरुवार और शुक्रवार को उपस्थित नहीं थे। उस समय कृषि मंत्री ने बयान दिया होगा, या आधे घंटे तक भाषण दिया होगा। आज सुबह माननीय अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद विपक्ष के हम सभी लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम सभा में उपस्थित रहेंगे और सभा के संचालन में सहयोग करेंगे। आज कुछ सदस्यों ने, एक पूर्व मुख्यमंत्री सहित बहुत ही सम्माननीय सदस्यों ने महाराष्ट्र के सूखे के बारे में बातें कहीं। संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहकर हमारे साथ एक मुद्दा बनाने की कोशिश की कि जब कृषि मंत्री ने अपना भाषण दिया तो हम वहां क्यों नहीं थे। मैं, विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि इस मामले में विपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए जाने वाले निदेशों से कार्य नहीं करेगी ...(व्यवधान)

श्री एम.वैंकैय्या नायडू: माननीय सदस्य ने यह कहते हुए एक मुद्दा उठाया कि मंत्री अनुपस्थित थे। इसीलिए मैंने ऐसा कहा आप केक खाकर दोबारा नहीं खा सकते ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, यह चर्चा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद, जम्मू और कश्मीर में बाढ़ और महाराष्ट्र में सूखे पर काफी व्यापक रही है। अंतिम दिन माननीय कृषि मंत्री इतने व्यस्त हैं कि वे सदस्यों द्वारा दिए गए बाकी भाषणों को सुनने के लिए वे उपस्थित नहीं हो सकते। उनका कर्तव्य भाषण देने और चले जाने से शुरू और समाप्त नहीं होता है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस स्तर पर इस चर्चा को समाप्त करने के बजाय, आप कृपया इसे जारी रखें और माननीय कृषि मंत्री को आकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र में बहुत गंभीर सूखे की स्थिति पर उठाए गए मुद्दों पर उनका उत्तर देने दें। यह सूखा लगातार दूसरे वर्ष पड़ रहा है ...(व्यवधान)

श्री एम.वैंकैय्या नायडू: मुझे कोई समस्या नहीं है यदि माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर वे कल कृषि मंत्री की बात सुनना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात यह है कि उन्हें कल वहां उपस्थित होना चाहिए ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):कल वह उत्तर देने जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री पी.करुणाकरन (कासरगोड):महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षति और मुआवजे के लिए, विशेषरूप से कृषि उपज और नकदी फसलों के लिए निर्धारित मानदंड वर्षों पहले तय किए गए थे। यह बहुत कम और अपर्याप्त हैं। मैं, जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कृषि उपज के साथ-साथ नकदी फसलों के मुआवजे के मानदंडों को संशोधित और उनपर पुनर्विचार करना चाहती है क्योंकि यह बहुत कम है।

श्री एम.वैंकैय्या नायडू: यह माननीय मंत्री को संसूचित कर दिया जाएगा और जब वह आएंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो आप कल चर्चा कर सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वह संक्षिप्त उत्तर दे सकते हैं।

श्री एम.वैंकैय्या नायडू: मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं यही कह रहा हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि सभा सहमत है तो कल माननीय मंत्री जी आकर उत्तर देंगे। वे अंतिम उत्तर देंगे । केवल इतना ही है।

08.12.2014

<u>सांय 6.15 बजे</u>

[अनुवाद]

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन</u>...जारी
(दो) छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के शहीदों के प्रति अमानवीय व्यवहार के बारे में

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, आज सुबह हमने छत्तीसगढ़ के सी.आर.पी.एफ. जवानों के प्रति अमानवीय रवैये का मुद्दा उठाया था। उस समय, हमने माननीय गृह मंत्री जी से एक वक्तव्य मांगा था। माननीय गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। इस संबंध में आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक वक्तव्य चाहता हूँ।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक):मेरी एकमात्र चिंता, आज सभा किस तरीके से संचालित हो रही है उस बात को लेकर है। माननीय मंत्री पहले ही वहां मौजूद तीन मुद्दों का उत्तर दे चुके हैं जोकि कृषि से संबंधित है, मुझे महाराष्ट्र से कोई समस्या नहीं है। मैं, जानना चाहता हूँ कि क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मंत्री जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है जो हमारे सदस्य ने पूछे हैं या क्या हमें उनसे कल उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। क्या वह चक्रवात से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, उत्तर-पूर्व और कश्मीर में बाढ़ से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर देंगे?

माननीय उपाध्यक्ष: क्या आप जानना चाहते हैं, कृषि के अलावा, क्या यह मंत्री जी आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं का अंतिम उत्तर भी देंगे?

श्री भर्तृहरि महताब: जी हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, क्या आप उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं? यदि आप अभी उत्तर देना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं और कल, कृषि मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

श्री किरेन रिजीजू: महोदय, मैं एनडीएमए के बारे में एक ही स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ जिसके बारे में इस चर्चा को आरंभ करने वाले सदस्य, श्री कलिकेश एन. सिंह देव पूछ रहे थे।

एनडीएमए केवल नीति तैयार करता है और एनडीआरएफ, जो सीधे गृह मंत्रालय के तहत आता है, ओडिशा राज्य सहित हर राज्य द्वारा इसके काम के लिए सराहना की गई है। मुझे लगता है, आपको एनडीआरएफ के सदस्यों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के बारे में भली-भांति अवगत होना चाहिए।

कटाव के संबंध में, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि 13वें वित्त आयोग ने कटाव, आकाशीय बिजली गिरना, बांस के फूल आने और सांप के काटने को स्वीकार नहीं किया है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी 14वें वित्त आयोग के विचाराधीन हैं। हम पहले ही इसकी सिफारिश कर चुके हैं। मैं, सिर्फ इस बात की जानकारी सदन को देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा इस सदन के समक्ष उठाया है कि छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जो 14 जवान शहीद हुए थे, जिस समय उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, तो पोस्टमार्टम के बाद उनके जो कपड़े शरीर के ऊपर थे, वे डस्टबिन में किसी ने डाल दिये थे। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : जूते भी।

श्री राजनाथ सिंह : जो भी रहा, डस्टबिन में डाल दिया। ज्यों ही मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई, मेरा भी सैंटीमैंट हर्ट हुआ और तुरंत मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन करके कहा कि तुरंत इस मामले की जाँच कराई जानी चाहिए। केवल जाँच ही नहीं कराई जानी चाहिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। तुरंत उसके बाद, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ने मुझे इनफॉर्म किया कि मैजिस्टीरियल इनक्वायरी के आदेश कर दिए गए हैं और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>सायं 06.17 बजे</u>

तत्पश्चात्, लोक सभा मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014 / 18 अग्रहायण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित